हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

अधिकृत विवरण

सोमवार, 27 अगस्त, 2012

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 अगस्त, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 मध्याह्न पश्चात् हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Hon'ble Chief Minister will make an obituary references.

Shri Randeep Singh Surjewala: This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Suraj Mal, former Member of Haryana Legislative Assembly and father of Shri Rajinder Singh Joon, Member of Haryana Legislative Assembly on August 26, 2012.

Shri Suraj Mal was born on January 1, 1920 at village Lowa Khurd. He started his political career as a Chairman of Panchayat Samiti Bahadurgarh and also served as a Vice-President of Municipal Committee Bahadurgarh. He remained a Member of Haryana Legislative Assembly from the year 1991 to 1996. He was directly associated with the concerns of the common man. He took keen interest in promotion of education and social service. He was dedicated towards the upliftment of the down-trodden and poor sections of the society.

In his death, the state has lost an able legislator, administrator and a committed social worker. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House also places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Sukha Singh, freedom fighter of village Bhatt Majra, District Kurukshetra on August 26, 2012.

He was born on January 1910 at village Kundanpur District Siyalkot (Pakistan). During the freedom struggle of India, he had got the golden opportunity to work with Neta Ji Subhash Chander Boss. He joined the Singapur police in 1936. He remained in various jails of Burma for three years and faced a number of ordeals. He settled at village Bhatt Majra in 1953.

In his death, the country has lost a great freedom fighter. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and sudden demise of those innocent persons who lost their lives in a tragic road accident which occurred at Rai in Sonepat District on National Highway No.1 on 26th August, 2012.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं भी अपने दल की तरफ से अपने आपको उससे जोड़ता हूँ। विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून के पिता व हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूरजमल के 26 अगस्त, 2012 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी धीरे-धीरे हमें छोड़ कर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव भट्ट माजरा के स्वतंत्रता सेनानी श्री सुखा सिंह के 26 अगस्त, 2012 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ। सोनीपत में राई के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं भी अपने दल की तरफ से अपने आपको उससे जोड़ता हूँ। विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून के पिता व हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूरजमल के 26 अगस्त, 2012 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी धीरे-धीरे हमें छोड़ कर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव भट्ट माजरा के स्वतंत्रता सेनानी श्री सुखा सिंह के 26 अगस्त, 2012 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ। सोनीपत में राई के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अमेरिका में गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी में कुछ सिक्ख मारे गये थे तथा मारुति इण्डस्ट्री में हुई आगजनी में भी कुछ अधिकारी मारे गये थे, उनके निधन पर भी मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिये जायें। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House.

I deeply feel grieved on the sad demise of Shri Suraj Mal Joon, Former Member of this House and Shri Shuka Singh, Freedom Fighter and innocent persons who lost their lives in a tragic mishap on National Highway No.1 at Rai in District Sonepat. Shri Suraj Mal Joon remained Member of this House from 1991 to 1996. He was father of Shri Rajinder Singh Joon, a Member of this House. He was a great social worker who worked untiringly for his constituency in particular and for the State in general. He took keen interest in the development of sports.

Shri Sukha Singh, who was a freedom fighter during the freedom struggle of India worked with Netaji Subhash Chander Bose and remained in various jails of Burma. He settled in Haryana after independence.

The innocent persons who lost their lives in an accident at Rai yesterday were residents of village Sandal Kalan as well as Shahjadpur of my own constituency. I visited the village and remained there till the cremation took place and the bereaved families were in great shock.

Shri Anil Vij has requested that in the obituary references, the reference may also be made to the Sikhs killed in Milwaukee last month and also the senior officer in the Maruti incident. So those names may also be included.

I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families.

Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect to the deceased.)

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिटना, पंचकूला तथा ओ०पी० जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत के विद्यार्थियों का अभिनन्दन।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिटना के 26 विद्यार्थी और ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के 25 विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में आज के सदन की कार्यवाही देखने के लिए मौजूद हैं हम उनको सदन की तरफ से शुभ कामनाएं देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं।

Mr. Speaker : We welcome all the students.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, question hour now.

Total Number of Government Schools in the State

***1236. Shri Rajbir Singh Barara :** Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the total number of Government Primary Schools, Government Middle Schools, Government High Schools and Government Senior Secondary Schools at present in Haryana State; and

(b) the districtwise details of the number of students studying in the abovesaid schools and whether the required number of rooms, dual desks, toilets and staff are available in all the schools in accordance with the total strength of the students?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, A statement is laid on the table of the House.

(a)	(i)	Total Number of Government Primary Schools	:	9,434
	(ii)	Total Number of Independent Government Middle Schools	:	2,456
	(iii)	Total Number of Government High Schools	:	1,545
	(iv)	Total Number of Government Sr. Sec. Schools	:	1,602
		Grand Total	:	**15,037**

[श्रीमती गीता भुक्कल]

(b) The Districtwise details of the number of students studying in the abovesaid schools is given below :—

Sr. No.	Name of District	Total Number of of Student studying in GPS	Total Number of of student studying in GMS	Total Number of student studying in GHS	Total Number of student studying in GSSS	Districtwise grand total of student strength
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ambala	47,902	31,400	21,517	12,287	113,106
2.	Bhiwani	98,419	49,917	31,254	30,674	210,264
3.	Faridabad	68,081	22,864	13,977	12,002	116,924
4.	Fatehabad	67,430	33,184	16,598	11,904	129,116
5.	Gurgaon	65,073	27,688	18,053	16,134	126,948
6.	Hisar	96,020	50,563	26,841	21,774	195,198
7.	Jhajjar	35,976	19,998	13,878	13,362	83,214
8.	Jind	80,888	43,467	24,180	16,371	164,906
9.	Kaithal	65,094	34,855	21,310	15,324	136,583
10.	Karnal	80,621	39,731	12,208	10,108	142,668
11.	Kurukshetra	48,849	29,078	17,094	11,309	106,330
12.	Mewat	1,60,335	25,877	9,677	6,417	41,971
13.	Mahendergarh	46,897	25,839	8,583	7,572	88,891
14.	Panipat	62,228	26,964	16,211	10,991	116,394
15.	Palwal	86,724	28,085	10,670	7,529	133,008
16.	Panchkula	32,560	14,675	8,432	6,128	61,795
17.	Rewari	37,890	24,723	14,531	13,408	90,552
18.	Rohtak	43,485	22,798	14,625	13,946	94,854
19.	Sirsa	91,288	43,155	23,545	16,499	174,487
20.	Sonepat	70,908	36,544	21,109	17,402	145,963
21.	YamunaNagar	58,501	35,358	20,150	11,384	125,393
Total		**14,45,169**	**6,66,763**	**3,64,443**	**2,82,525**	**27,58,900**

As for as the requirement of additional rooms, Dual Desks, toilets and staff are concerned, there is a gap and it is meted out through State Government budgetary support and schemes like Sarv Shiksha Abhiyan (SSA)/Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)/Total Sanitation Scheme etc.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में सरकार ने कुछ स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उनको मॉडल स्कूल बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना

चाहता हूँ कि इन मॉडल स्कूलों में क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं? जो सुविधाएं इन स्कूलों में दी गई हैं क्या ये सुविधाएं सभी स्कूलों में पूरी हैं या नहीं?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों की स्ट्रैन्थ, शौचालयों और उनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में है, जिसकी स्टेटमैंट हमने सदन में दे दी है। इसके अलावा जो बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर हुए हैं उनमें हमने 36 मॉडल स्कूल बनाए हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मॉडल स्कूल बनाए हैं तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने किसान मॉडल स्कूल बनवाए हैं। इसके अलावा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गये हैं। 36 मॉडल स्कूल्ज इस समय हमने बैकवर्ड ब्लॉक्स में बनाये हैं जिनमें टीचर्स की रिक्रूटमैंट की प्रक्रिया भी जारी है तथा ज्यादातर एडज्वॉयनिंग स्कूल के स्टाफ को इन मॉडल स्कूलों में डैपुटेशन पर लगाया है। इन मॉडल स्कूलों के लिए फर्नीचर वगैरह परचेज कर लिया गया है। नौवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में बच्चों के एडमिशन हो गये हैं। इसके साथ-साथ जो अन्य सुविधायें होती हैं वे भी हम समय-समय पर प्रदान कर रहे हैं। इन स्कूलों में अच्छी स्ट्रैंथ रहे इसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की हुई है।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बराड़ा स्कूल की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां जो प्राईमरी स्कूल है उसमें 400 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वहां अभी तक केवल मात्र 85 ही ड्यूल डैस्क हैं। इसी तरह राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में 1124 बच्चे पढ़ते हैं और वहां मात्र 225 ड्यूल डैक्स हैं और उनमें से भी 80 के करीब खराब हैं। ये ड्यूल डैस्क भी चौटाला साहब की सरकार जब सत्ता में थी तब मिले थे उसके बाद कोई भी ड्यूल डैस्क परचेज नहीं किये गये। इन स्कूलों में गरीब हरिजन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। ड्यूल डैस्क न होने की वजह से बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों को ड्यूल डैक्स की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कराना है। हमने शिक्षा के अधिकार को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया है। नये-नये स्कूल्ज बनाये गए हैं और उन्हें अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा जो ड्यूल डैक्स की बात हमारे माननीय सदस्य ने कही वह वास्तव में सही है। हमारे स्कूलों में आज ड्यूल डैस्क की बहुत ज्यादा समस्या है। इस बार हमने 35 करोड़ रुपये का फर्नीचर परचेज किया है जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से इस साल प्रोवाईड करवायेंगे। इसके अलावा तकरीबन साढ़े छः करोड़ रुपये की लागत से 14860 ड्यूल डैस्क का आर्डर अंडर प्रोसेस है। एलीमैंटरी एजूकेशन के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इस बार किया है। पहली और दूसरी कक्षा के लिए 12500 ड्यूल डैस्क और तकरीबन 38000 चेयर्स के लिए हमने डिमांड भेजी हुई है। दूसरा हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी ने ड्यूल डैस्क के लिए रेट कॉंट्रैक्ट किया हुआ है। कई स्कूल्ज में हमने फोरैस्ट विभाग के माध्यम से यह कोशिश की है कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईड करवायें ताकि सही समय पर हमारे बच्चों को ड्यूल डैस्क की सुविधा मिल सके। स्पीकर सर, शिक्षा विभाग की जो यह बुरी हालत है यह हमें विरासत में मिली है। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हम शिक्षा की हालत में सुधार कर सकें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की, मिडिल स्कूलों की और हायर स्कूलों की संख्या का ब्यौरा दिया है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पानीपत में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 62228 है इसलिए सबसे प्रथम मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर की नियुक्ति होती है। कुछ स्कूलों में सरप्लस टीचर्स होने से बचने के लिए प्राईवेट स्कूलों के बच्चों के एडमिशन कर दिये जाते हैं। क्या शिक्षा विभाग ने कभी कोई स्पॉट चैकिंग की है कि स्कूलों के अंदर जो संख्या दर्शाई गई है क्या वह सही है? अगर स्पॉट चैकिंग की गई है तो कब की गई है ? इस सबकी जानकारी मंत्री जी देने का कष्ट करें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल : स्पीकर सर, जैसाकि हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि पानीपत में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की टोटल संख्या 62228 है, मिडल स्कूलों में 26964 हैं और हाई स्कूलों में इनकी संख्या 16211 है। इस समय सीनियर सकैंडरी स्कूल में 10991 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमने स्टूडैंट स्ट्रैंथ के लिए डाटा भी कलैक्ट किया है। इसके अलावा प्राईमरी शिक्षा के लिए 30 स्टूडैंट्स पर एक टीचर शिक्षा के अधिकार के तहत बहुत जरूरी है और उसके बाद 35 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान है, जोकि बहुत जरूरी है। ताकि जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है उसमें किसी भी तरह की बाधा न आए। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश को उच्च स्तरीय एजूकेशन हब बनाना है और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं हम न केवल प्राइमरी और मिडल एजूकेशन पर बल्कि हायर एजूकेशन पर भी पूरा जोर दे रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पॉट चैकिंग के बारे में भी पूछा था कि स्पॉट चैकिंग करवाई है या नहीं ? उसके बारे में जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्पॉट चैकिंग भी करवा रहे हैं।

प्रो० संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मॉडर्न स्कूलों का खोला जाना सरकार का एक बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कदम है और इससे सरकारी फीस की दरों पर बच्चों को पब्लिक स्कूलों जैसी शिक्षा दी जायेगी, लेकिन पिछले सैशन में भी मंत्री महोदया ने इस बारे में जवाब देते हुए बताया था कि टीचर्ज की रिक्रूटमैंट की प्रौसेस चल रही है इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि यह प्रौसेस कब तक चलती रहेगी। मंत्री महोदया बताएं कि इन स्कूलों के लिए टीचर्ज की भर्ती कब तक हो जाएगी और इन स्कूलों के लिए कितनी बिल्डिंग्ज़ अब तक बनी हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सैपरेट क्वेशचन है।

Complaints Regarding P.D.S.

***1145. Shri Ram Pal Majra :** Will the Food and Supplies Minister be pleased to state whether any complaints have been received during the year 2009-10, 2010-11, 2011-12 regarding the distribution of commodities which are supplied through the Public Distribution System through the Depot Holders; if so, the action taken on the said complaints ?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : हां श्रीमान ;

शिकायतों तथा नियमित जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों के आधार पर की गई कार्यवाही निम्न प्रकार से है :—

	2009-10	2010-11	2011-12
प्राप्त शिकायतों की संख्या	1222	1305	975
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत पुलिस विभाग में दर्ज मामले।	49	50	28
गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	36	39	20
रद्द किये गये लाईसैंसों की संख्या	326	265	210
उन व्यवहारियों की संख्या जिनकी प्रतिभूति राशी जब्त की गई	1026	660	431
कुल जब्त प्रतिभूति राशि (रु.)	**11,84,000**	**8,62,200**	**8,86,700**

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने डिटेल दी है उसके मुताबिक वर्ष 2009-10 में 1222 कंप्लेंट्स आईं और पुलिस केस 49 बने व गिरफ्तारी 36 हुई। इसी प्रकार से वर्ष 2011-12 में कंप्लेंट्स 975 आईं, पुलिस केस 28 बने और गिरफ्तारी केवल 20 हुई। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री महोदय को पता ही है कि सस्ती दरों पर मिलने वाले गेहूं और रसोई गैस पर कालाबाजारी जारी है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या किसी रसोई गैस ऐजन्सी पर या तेल के डीलर पर कोई पुलिस कार्यवाही हुई है? रिप्लाई से ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारियों में ढिलाई बरती गई है क्योंकि जहां 49 पुलिस केस दर्ज हुए वहां गिरफ्तारी मात्र 36 केसिज में हुई है और जहां 28 पुलिस केस बने हैं वहां गिरफ्तारी मात्र 20 हुई हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बतला दूं कि गैस की सप्लाई पी.डी.एस. के अन्तर्गत नहीं है। पी.डी.एस. के तहत चीनी, गेहूं और मिट्टी के तेल की सप्लाई आती है। पहले कभी यह होल सेल का सिस्टम होता था जो आजकल नहीं है। अलग अलग सालों के फिगर्ज इस रिप्लाई में दिए गये हैं वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के फिगर्ज अलग-अलग दिए गये हैं। कई केसों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ मामले कोर्ट के अधीन हैं उनमें जो भी माननीय कोर्ट का जजमैंट आयेगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी। लेकिन Under Essential Commodities Act के तहत जिस भी नेचर के उनके दोष पाये जाते हैं उसी हिसाब से एक्शन लिया जाता है। जितनी प्रतिभूति जब्त की गई है। इसमें वर्ष 2009-2010 और वर्ष 2011-2012 के फिगर्ज नहीं दिखाये गये हैं। अगर अलग-अलग रिकार्ड की फिगर्ज वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक के भी देखे जायें तो उनमें भी तकरीबन लगभग इतनी ही रेशो आपको देखने को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कालाबाजारी होने के बारे में बात की है। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि कालाबाजारी कहीं न कहीं कमोबेश

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

हर क्षेत्र में मौजूद है। Public Distribution System हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है जो वर्ष 1940 से पहले तो कुछ हद तक यह नियमित सिस्टम होता था। वर्ष 1990 से पहले तो सिस्टम आम जनता के लिए लागू होता था लेकिन वर्ष 1990 के बाद यह टारगेटिड हो गया है जिसमें स्टेट बी.पी.एल. कैटेगरी और उसमें भी ए और वाई कैटेगरी बना दी गई हैं। डिपो होल्डर के मारजिन मनी के बारे में पिछले सैशन में भी एक सवाल किया गया था। डिपो होल्डर के मारजिन मनी को बढ़ाने के बारे में सबसे पहले वर्ष 1991-1992 में सरकार ने प्रयास किया और वर्ष 1999 में मार्जन मनी बढ़ाई गई थी। इन डिपो होल्डर के मारजिन मनी को भारत सरकार फिक्स करती है इसलिए अब डिपो होल्डर की मारजिन मनी को बढ़ाने के लिए हमने भारत सरकार को केस भेजा है और यह सिफारिश की है कि कम से कम 5000 रूपये महीने तक तो इनको मारजिन मनी मिलनी चाहिए। ताकि ये कम से कम डायवर्शन की बात न सोचें। डायवर्शन की जो बात कही है असल में वह इतनी नहीं है। इस बारे में हमारे पास विशेष तौर से कोई शिकायत ग्रामीण लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर नहीं आई है और अगर आयेगी तो उसके बारे में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। ए और वाई कैटेगरी के लिए गेहूं का उठान सरकार ज्यादा नहीं करती है। जहां तक इन्होंने गैस के बारे में सवाल किया तो पी.डी.एस. में गैस कवर नहीं होता। स्टेट के अन्दर गैस कम्पनी के बारे में कोई शिकायत आती है तो हम जरूर चैक करते हैं और उसके बारे में कार्यवाही भी की जाती है उनके हैड क्वार्टर को भी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिकमेण्ड करते हैं और चालान भी करते हैं और अगर जरूरत होती है तो केस रजिस्टर भी करते हैं। अगर माननीय सदस्य लिखित में अलग से सवाल देंगे तो इनको इस बारे में सारे फिग्र्ज भी बता दिए जायेंगे।

Shri Rampal Majra : Speaker Sir, Haryana Public Distribution System Licencing Control Holder No. 2009. में Public Distribution System को क्या कहा गया है means Commodities allocated by the State Government and the Central Government for the distribution amongst Ration Card Holders through the Public Distribution System अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं मार्जन मनी को बढ़ाने बारे हमने भारत सरकार को लिखा है। माननीय मंत्री जी जानते हैं और इन्होंने खुद माना भी हैं कि डिपो होल्डर की मारजिन मनी कम होने के कारण ही यह काला बाजारी ज्यादा बढ़ रही है। स्पीकर सर, जब यह स्टेट का इश्यू है ये भारत सरकार को इस बारे में क्यों लिख रहे हैं कि डिपो होल्डर का मारजिन मनी पांच हजार रूपये तक फिक्स किया जाए। क्या सरकार की डिपो होल्डर्ज के वेतनमान या कमीशन को बढ़ाने की कोई योजना है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार चीनी वगैरह के होलसेल के नोमिनी के लिए और डिपो होल्डर्ज के लिए अलग अलग मापदण्ड नियमित करती हैं कि इनका मारजिन मनी इतना होना चाहिए। वैसे स्टेट गवर्नमैंट को भी कुछ हद तक यह अधिकार है कि अगर चाहे तो वह अपनी ओर से भी मारजिन मनी को इस प्रकार से फिक्स कर सकती है ताकि कंन्ज़ूमर पर उसका बोझ न पड़े।

असल तो इसके पीछे यही है लेकिन इससे कंज्यूमर्ज पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। गेहूं का रेट ए.वाई.के लिए 2 रुपये 12 पैसे, बी.पी.एल. के लिए 4 रुपये 88 पैसे और ए.पी.एल. के लिए 6 रुपये 93 पैसे के करीब है। डिपोहोल्डर्ज को यह अंदेशा है कि उनको कुछ नहीं बचता

इसलिए वे डायवर्शन करते हैं। अगर डिपोहोल्डर इसमें थोड़ा बहुत डायवर्शन करता भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपो होल्डर्ज की मार्जन मनी को बढ़ाने के लिए हमने 2005 में गवर्नमैंट आफ इंडिया को प्रपोजल तैयार करके भेजी है। (विघ्न) इसके लिए स्टेट गवर्नमैंट ने भी अपनी प्रपोजल तैयार की है और यह प्रपोजल मुख्यमंत्री के पास भेज रहे हैं और जल्दी ही डिसाइड करेंगे कि डिपोहोल्डर्ज को कम से कम 4 हजार रुपये का मार्जन अलग अलग चीजों पर बढ़ाकर जरूर दिया जाए।

Mr. Speaker: I think we should go to the next question.

Upgradation of Schools

***1241. Shri Naresh Selwal, MLA :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that a resolution was forwarded to the Government for the upgradation of Bithmara High School and Pabra High School but these schools have not been upgraded so far; if so, the reasons thereof ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) : Sir, the case of upgradation of Government High School Bithmara was duly considered by the Government but could not be accepted as it did not fulfill the norms of upgradation to Senior Secondary level. However, no such proposal was received for the upgradation of Government High School Pabra.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, बिठमड़ा उच्च विद्यालय को अपग्रेड करने का मामला सरकार के पास आया था लेकिन यह स्कूल हमारे नार्म्स पूरे नहीं करता। हमारे नार्म्स के हिसाब से किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए लेकिन इस स्कूल में बच्चों की संख्या 132 है इसलिए नॉन फिजीबल होने की वजह से बिठमड़ा का स्कूल अपग्रेड नहीं हो पाया। दूसरा इन्होंने पाबड़ा उच्च स्कूल की अपग्रेडेशन के बारे में कहा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि नार्म्स के हिसाब से किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए उस स्कूल मे बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए लेकिन इस स्कूल में बच्चों की संख्या 137 है तथा इसके साथ-साथ इस स्कूल के नजदीक का स्कूल भी आलरेडी अपग्रेडिड है इसलिए यह स्कूल भी अपग्रेड नहीं हो पाया।

श्री नरेश सेलवाल: अध्यक्ष महोदय, ये दोनों बिठमड़ा और पाबड़ा गांव मेरे हल्के के सबसे बड़े गांव हैं जिनके अंदर 25 हजार से ज्यादा आबादी है।

श्री अध्यक्ष: सेलवाल जी, आप अपनी रिक्वैस्ट रिटन में भेज दें। Minister will consider it.

श्री नरेश सेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी रिक्वैस्ट मंत्री जी को रिटन मे भी भेजी है लेकिन इन दोनों स्कूलों को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदया को पर्सनली भी मिला हूं लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इसमें मिलने या रिक्वैस्ट की बात नहीं है। बिठमड़ा के स्कूल को अपग्रेड करने

[श्रीमती गीता भुक्कल]
के बारे में हमारे सम्मानित सदस्य ने बहुत बार लिखकर भेजा है लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इसमें बड़ा गांव होने के साथ साथ जरूरत इस बात की भी है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की इनरोलमैंट ज्यादा होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि उकलाना कांस्टीच्यूंसी में सरकार ने करीबन 9 स्कूल अपग्रेड किए हैं। हिसार में कुल 38 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। इसके साथ साथ उकलाना जो रिजर्व हल्का है वहां एजूकेशनली बैकवर्ड ब्लाक में 2 मॉडल स्कूल भी खोले गए हैं। सरकार ने ये दोनों मॉडल स्कूल अग्रोहा और गैबीपुर में खोले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह भी बताना चाहूंगी कि स्कूलों की अपग्रेडेशन को लेकर जो भी मांगें हमारे पास आएंगी हम उनको एग्जामिन करके उस पर विचार करेंगें।

Regularization of Unauthorized Colonies

***1224. Shri Anand Kaushik, M.L.A. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the unauthorized colonies particularly in Faridabad.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Yes, Sir, However, the matter is subjudice on account of pending litigation in the High Court.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह मामला कोर्ट में कब से विचाराधीन है। सदन के नेता मुख्यमंत्री महोदय जी यहां बैठे हुए हैं, इसी सवाल के जवाब में 8 मार्च, 2011 को उनका आश्वासन था कि अगले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पहले पहले सभी अवैध कालोनियों को नियमित कर दिया जाएगा। (विघ्न) यह मामला कोर्ट में कब से विचाराधीन है मैं यही जानना चाहता हूं। पिछले साढ़े सात सालों से इन अवैध कालोनियों में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं उनको लगातार तसल्ली दी जा रही है कि ये कालोनियां 3 महीने में नियमित कर दी जाएंगी, ये कालोनियां 6 महीने में नियमित कर दी जाएंगी।(विघ्न) सदन के नेता के आश्वासन के बाद बाकी कुछ करने को रह नहीं जाता। सदन के नेता के आश्वासन के बाद भी मामला सिरे नहीं चढ़ता तो हमको बहुत दुःख होता है।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप सवाल पूछें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है कि कोर्ट में यह मामला कब गया, उससे पहले कितना समय सरकार के पास था और उस समय अनअथोराईज्ड कालोनीज को रैगुलराईज करने में क्या अड़चने थीं जो उनको रैगुलराईज नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या अब बाकी को रैगुलराईज करवाना चाहते हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हम सब अनअथोराइज्ड कालोनीज़ रैगुलराईज करवाना चाहते हैं। इस बारे में सदन के नेता ने आश्वासन दिया था इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि सदन के नेता की बात पूरी होनी चाहिए।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में जब इनकी सरकार गई उससे दो दिन पहले ये लोग 1700 कालोनीज को रैगुलराईज करने के आर्डर करके चले गये। उसके बाद हमारी

सरकार ने उन 1700 कालोनीज में लगभग सारी मूलभूत सुविधाएं जिनकी जरूरत थी वे प्रोवाईड करवाई। वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद दोबारा निर्णय लिया कि यार्डस्टिक बनाकर बाकी की कालोनीज को भी रैगुलराईज करेंगे। जहां म्युनिसिपल कारपोरेशंज हैं वहां पर डिविजनल कमीश्नर्ज की और जहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटीज हैं वहां पर डी.सीज. की अध्यक्षता में कमेटीज बनाई गई ताकि वे कमेटीज जो अनअथोराईज्ड कालोनीज हैं वे रैगुलराइजेशन के सारे मापदण्ड पूरा करती हैं या नहीं करती उस बारे में रिपोर्ट सबमिट करें। उनमें कम से कम 50 प्रतिशत आबादी होनी चाहिए। उन कमेटीज की रिपोर्ट आ गई है। 542 अनअथोराईज्ड कालोनीज को चिह्नित कर लिया गया है लेकिन उनके आर्डर इम्पलीमैंट करने से पहले इसी वर्ष एक रिट हाई कोर्ट में फाईल हो गई थी जिस पर चीफ जस्टिस के डिविजन बैंच ने एक इन्टरिम आर्डर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अनअथोराईज्ड कालोनीज को रैगुलराईज करने पर आगे कार्यवाही न की जाये। We are contesting the case. We have presented the view point and anxiety that you have presented in the House. Chief Minister as also the Government is anxious that they should be given all amenities. We are going to present all the facts. We hope that the interim directions will be vacated and very soon they will be regularized.

Over Bridge on NH No. 1

***1212. Shri Narender Sangwan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a religious place is situated near the Pakka Pull at village Uchansamana (Gharounda) and large number of devotees visit this place daily;

(b) whether it is also a fact that there is no Over Bridge on NH No. 1 to cross the road by the villagers to visit the aforesaid religious place; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Over Bridge on NH No. 1 to facilitate the villagers to visit the aforesaid religious place?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes Sir,

It is correct that there is religious place near village Uchansamana (Uchasiwana) Known as Dargah of HAZRAT ILLAHI BAKSH. It is situated at Km.115+800 of NH-1 on the Right Hand Side while going from Delhi to Amritsar.

(b) There is no existing over bridge on NH-1 at this location.

(c) There is no proposal of the Govt. to construct the over bridge at this location. However, in order to facilitate the crossing of villagers from one side to other & to the said religious place, the following provisions have been made in the Concession Agreement for the work of 6 lane from Panipat to Ambala for the crossing of the people and vehicular traffic.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

1. Vehicular Under Pass at Km.113+100. Speaker Sir, I have checked with Govt. of India. It is already constructed. It is now operational.

2. Foot Over Bridge at Km.115+280. Sir, concessioner has already given an affidavit in an ongoing litigation before the Hon'ble High Court that it will be completed by 31st of December this year.

3. Speaker Sir, the same affidavit for its completion by 31st December has been given by the concessioner in Hon'ble High Court.

4. Vehicular Under Pass at Km.116+275 near this religious place. Speaker Sir, that has also been started on this spot.

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आपके सवाल के जवाब में मंत्री जी ने सब कुछ क्लीयर कर दिया है इसलिए अब इस पर सप्लीमैंटरी पूछने की आवश्यकता नहीं है।

To Depute the Divers

***1230. Shri Jai Tirath Dahiya :** Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state whether it is a fact that seven persons have died due to drowning in Yamuna river during the month of August, 2012 in Rai Constituency (Sonepat); if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to impart training to divers and to depute such divers at District Head Quarters alongside the Yamuna river?

Irrigation Minister (Sh. Harmohinder Singh Chatha) : Yes, Sir. Seven children died on 3rd and 11th August, 2012 at Ghats located in villages Jagdishpur, Barauli and Mimarpur in District Sonepat, As regards availability of divers, these are arranged by the local administration on need basis. Divers are also available with National Disaster Management Authority, Delhi. There is no proposal to engage divers on full time basis, and to depute them alongside Yamuna river.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I also want to inform the House as also my Hon'ble Member that Chief Minister has already directed the police administration that they should trained some of their personnel in the diving operation. Such personnel can be given some extra pay and they should be posted/drafted at various places so that they can do dual functions and I am sure that police administration will be very soon taking necessary action in this regard.

श्री जय तीर्थ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो डाईवर्ज़ हैं ये मौके पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी जो बच्चे डूबे हैं उनमें से किसी की डैड-बॉडी दो दिन बाद मिली है और किसी की तीन दिन बाद क्योंकि उनकी डैड-बॉडी को ढूंढने के लिए कोई गोताखोर अवेलेबल नहीं था। बाद में यू.पी. से एक गोताखोर को बुलाया गया जिसने एक डैड-बॉडी को तलाश करने के 10 हज़ार रूपये मांगे। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो यमुना के

साथ लगते गांव हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एक गोताखोर की ड्यूटी अवश्य लगाई जाये ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह समय पर अवेलेबल हो सके।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मैं अपने को माननीय सदस्य श्री जयतीर्थ के साथ जोड़ते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यमुना के साथ लगते एरियाज़ में इस प्रकार की दुर्घटनायें होती ही रहती हैं इसलिए सरकार इस बारे में प्राथमिकता के तौर पर कार्यवाही करके गोताखोरों की नियुक्ति करे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य यह पूछना चाह रहे हैं कि सरकार डाईवर्ज़ की नियुक्ति कब तक करने जा रही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसे कि मैंने आपकी अनुमति से सदन को बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार इस सारे मामले को लेकर बेहद गम्भीर और चिंतित है। इस बारे में इंटरनैशनल डिज़ास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी से हमारा आलरेडी टाई-अप है इसलिए वहां से तो ज़रूरत पड़ने पर डाईवर्ज़ आ जाते हैं। इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी.जी.पी., हरियाणा को भी यह आदेश दिये हैं कि जो पुलिस परसोनल हैं चाहे वे एन.डी.एम.एस. से हों या दूसरी एजेंसीज़ से हों उन्हें वे अपने स्तर पर डाईविंग के लिए ट्रेंड कर लें और उन्हें जरूरत के अनुसार भिन्न-भिन्न जगहों पर पोस्ट कर दें जिसके लिए उन्हें स्पैशल पे भी दे दें। वे नॉमर्ली पुलिस फंक्शन भी करें और जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो और उनकी ज़रूरत पड़े तो फिर वे डाईवर का कार्य भी साईमलटेनियसली कर सकें। पुलिस डिपार्टमैंट जल्दी ही इस मामले में कार्यवाही करेगा।

Four Laning of Road

***1256. Smt. Savitri Jindal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is a problem of Traffic Jam from Balsamand Distributary to Dabra Chowk at Tosham road in Hisar City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the aforesaid road from two lane to four lane togetherwith the time by which the work of upgrading of road is likely to be completed?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

श्रीमती सावित्री जिन्दल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि शहर की आबादी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे वाहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है इससे ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी ही रहती है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हिसार शहर को इस ट्रैफिक जाम से जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलवाई जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय सावित्री जिन्दल के वैल्युबल सुझाव को नोट कर लिया है। हम ऑलरेडी इसके एस्टीमेट्स बना रहे हैं। यह ट्रैफिक जाम चाहे अभी नहीं है परन्तु इस रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता है इसलिए हम इस पर अगले फाईनैंशियल ईयर में अवश्य विचार करेंगे।

प्रो० सम्पत्त सिंह : स्पीकर सर, जब से कारपोरेशन बना है उसके बाद से हिसार शहर का रेजीडैंशियल एरिया काफी बढ़ गया है। उस एरिया के एक तरफ तो मॉडल टाऊन है जो कि आज से लगभग 50 साल पहले का बसा हुआ है। यह मॉडल टाऊन आज सारे का सारा कॉमर्शियल हो गया है। इसके दूसरी तरफ सैक्टर्ज़ हैं और इसके साथ ही साथ इस रोड के ऊपर कम से कम 30-35 एजुकेशनल इंस्टीच्यूशंज़ भी हैं। इस रोड पर अभी हाल ही में एक फैटल एक्सीडैंट भी हुआ था जिसमें काफी स्कूली बच्चे मारे गये थे। मैं भी माननीय सदस्य श्रीमती सावित्री जिंदल जी के साथ-साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है and this road also leads to Bhiwani स्पीकर सर, इसके अलावा इस रोड पर बहुत से स्टोन क्रैशर भी हैं इसलिए अगर निकट भविष्य में माईनिंग खुल जाती है तो इस रोड पर माईनिंग से रिलेटिड ट्रक्स और दूसरे व्हीकल का ट्रैफिक भी बढ़ेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रोड का रि-सर्वे किया जाये और सिर्फ रि-सर्वे करके इसके एस्टीमेट्स ही न बनाये जायें बल्कि इसको एप्रूव भी किया जाये।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, please note down it.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया है।

श्री बहादुर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सड़कें बनाने का काम सिर्फ हिसार और सोनीपत में ही करेंगे या फिर मेरे जिले महेन्द्रगढ़ की तरफ भी ध्यान देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे काबिल दोस्त को बताना चाहूँगा कि 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा बना था। 1966 से लेकर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी, सबसे लम्बी और सबसे महंगी सड़क 1300 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली नॉर्थ साउथ कोरिडोर इनके क्षेत्र से होकर जायेगी।

चौ० मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि हमारे पुन्हाना से एक सड़क शुरू होती है जो कि चौधरी जलेब खान के हल्के में खत्म होती है। उस पर काम शुरू होने से हमें बहुत खुशी हुई थी क्योंकि वह सड़क बहुत ही जर्जर हालत में थी और उसको देख कर ऐसा लगता था जैसे सड़क में गड्ढे न होकर गड्ढों में सड़क हो। अब स्थिति यह है कि वह सड़क पुन्हाना की तरफ से शुरू हुई थी और अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जितनी सड़क बन चुकी है वह पीछे से दोबारा उखड़ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार का बहुत पैसा बरबाद हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसकी इन्कवायरी करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ तो आप जो मर्जी सजा देना। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसका रिवाइज्ड ऐस्टीमेट बनाकर उसको शिड्यूल के मुताबिक बनवाया जाये।

Sports University in Bhiwani

***1227. Shri Ghanshyam Dass Garg :** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sports University in Bhiwani?

Minister of State for Sports & Youth Affairs (Shri Sukhbir Kataria) :

No, Sir.

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। 1966 से अब तक 561 खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा उनमें से 15 खिलाड़ियों ने मैडल जीते हैं। ऑलम्पिक, एशियन गेम्स तथा राष्ट्र गण्डल खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने मैडल जीते हैं। अब तक 24 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 26 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड तथा 2 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बावजूद भी पिछले 8 वर्षों से भिवानी के लिए कोई खेल नीति नहीं बनाई गई है, ऐसा क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी क्या एक जिले के लिए कोई नीति बनाई जाती है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात बताई है वह अच्छी बात है कि भिवानी से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। नैशनल और इन्टरनैशनल स्तर पर भिवानी के खिलाड़ी अच्छा परफोर्म कर रहे हैं जिसको देखते हुए हम भिवानी में अब तक 41 स्टेडियम्ज़ बना चुके हैं। एक भीम स्टेडियम भिवानी में चल रहा है जिसमें मल्टी परपज हॉल भी हैं। एथलैटिक्स की हमारी एकेडमी चल रही है, बॉक्सिंग की एकेडमी चल रही है। उसमें बहुत ज्यादा सुविधायें दी गई हैं। दूसरी बात हमारे जिन खिलाड़ियों ने इन्टरनैशनल स्तर पर अच्छा परफोर्म किया है उनको हमने इन्सपैक्टर और डी.एस.पी. बनाया है। भिवानी में खिलाड़ियों की परफोर्मेंस को देखते हुए हम खेलो के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

चौ० नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेवात जिले में कितने स्टेडियम बने हैं और वहाँ पर क्या कोई कोच किसी भी खेल का प्रशिक्षण दे रहा है और अगर दे रहा है तो कृपया बताने का कष्ट करें?

Mr. Speaker: It is a separate question.

चौ० नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, भिवानी से मेवात ज्यादा दूर नहीं है।

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, हमारे भिवानी में खेल यूनिवर्सिटी की डिमांड है इसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : यह डिमांड है।

Regularization of Illegal Colonies

***1156. Smt. Kavita Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the districtwise number of illegal colonies which have been regularized in the State during the last seven years; and

(b) the number of illegal colonies of Sonepat city which are proposed to be regularized togetherwith the time by which these colonies are likely to be regularized?

Chief Minister(Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) No colony has been regularized during the last seven years.

(b) There is a proposal to regularize unauthorized colonies in the municipal areas. However, since the matter is sub-judice, no further details can be given at this stage. I have already answered the question in detail in response to an earlier question.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि अवैध कॉलोनियां काटने पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी उसकी रजिस्ट्री करने वाले रैवेन्यू डिपार्टमैंट के ऑफिसर्ज पर क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि कुछ भूमाफिया और ऑफिसर्ज के कारण अवैध कॉलोनियों का कटना अब भी जारी है। अध्यक्ष महोदय, इन कालोनियों में रहने वाले प्रदेश के हजारों नागरिक जोकि नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब तक इन अवैध कालोनियों को वैध नहीं किया जाता तब तक मानवता के नाते पीने के पानी के एक स्टैंड पोस्ट इन कॉलोनियों में लगाया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहूँगी कि अवैध कॉलोनियों को वैध कराने का मामला काफी लम्बे अरसे से जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि मेरी लिस्ट में है, क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि कोर्ट से यह मामला जल्दी से जल्दी निपट जाए?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, although I have already answer earlier but for the information of the Hon'ble Member, I want to repeat that the matter as she has agreed that is pending in the High Court where there is an interim direction. (Interruption) आप सुनेंगे तब पता चलेगा।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि अवैध कॉलोनियां काटने पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी जिन ऑफिसर्ज ने काटे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री की हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने तीन सप्लीमैंट्रीज पूछी हैं, मैं उन तीनों का जवाब दे रहा हूँ। She is capable of asking questions. She has asked three supplementaries. I will answer to all her three supplementaries. Her third supplementary was as to whether Government will take sufficient steps to ensure that the colonies will be provided all amenities. We have already pointed out the interim directions are removed by the Court or vacated by the Court, that we are concerned about it and therefore we are already filing necessary affidavits in the court. We will request the Division Bench of the Court that the stay is vacated at the earliest so that they can be granted minimum amenities. Her 'B' supplementary was whether we will provide facilities like a stand-post etc. Sir, there is absolutely no difficulty all that. I want to say that not only a stand-post but all amenities will be provided and 542 colonies have already been identified for that purpose . Hon'ble Chief Minister and the Governmment is very concerned about it. I can assure my learned friend that all kind of amenities would be provided. Her supplementary 'A' was as to whether we will take action against those who have constructed illegal colonies or who have soled plots therein.

Mr. Speaker: Action may also be taken against the officers of the department who are at fault.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the Town and Country Planning Department from time to time has not only registesred FIRs but also taken action both at the men who have such plots or sold them as also against certain officers/officials of the Department. All details are not handy with me. Those details have with the Department. If she wants then she can either write to me or to the Hon'ble Chief Minister or ask a separate question. I can give all the details with the city-wise or district-wise only at that point of time.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो बताया कि जहां अवैध कालोनियां कट रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और पावर ऑफ अटोरनी कंट्रोल प्लानिंग केस दर्ज भी करते हैं। स्पीकर सर, यह बिल्कुल सच है कि परन्तु केस उन पर दर्ज होते हैं। जो किसान उन प्रोप्रटी डीलर्ज को जमीन बेचते हैं तो क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जिन्होंने ये कलोनियां काटी हैं जो डीलर हैं और जो कलोनियां काट कर चले गए वह भी गरीब आदमियों को फंसा गए क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे। दूसरा इसी में है कि कुरूक्षेत्र के अन्दर एक मेला एरिया है कुरूक्षेत्रा डवलपमेंट बोर्ड ने कुछ जमीन तो एक्वायर की और कुछ जमीन को इसलिए रखा गया था कि किसान उसमें अपनी जमीन बो सकें और कुरूक्षेत्रा डवलपमेंट बोर्ड को जब जरूरत पड़ेगी वह उसको ले सकती हैं उस मेला एरिया के अन्दर भी अवैध कालोनियां कटी हैं। उनके खिलाफ जिन अधिकारियों ने कटवाई हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

उद्योग मंत्री(श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने दो सप्लीमैंटरी सवाल पूछे हैं। कुरूक्षेत्र के मेला ग्राऊंड को लेकर के उनका जो एक प्वॉयंटिड सवाल है उसके संबंध में मेरा अरोड़ा जी से सादर अनुरोध है कि वे उसके बारे में एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दें तथा उसकी एक प्रतिलिपि स्पीकर साहब और मुझे भी भेज दें we will make sure and I can assure my learned friend on the floor of the House that we will take action against everybody and nobody would be spared. Sir, any specific instance that comes to notice as well as answer to his supplementary question (a) is, we will take necessary action.

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अवैध कॉलोनियों में जो प्लॉट काटे गये हैं उनकी रजिस्ट्री न करने के संबंध में सरकार ने क्या लिखित में कोई आदेश जारी किया है? अगर किया है और उसके बाद भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो क्या उन अधिकारियों या तहसीलदारों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने सरकारी आदेश के बावजूद भी रजिस्ट्रियां कर दी हैं? दूसरा एक शामलात पहाड़ को खरीदकर प्लेन एरिया में गिरदावरी करवाई जा रही है और इस काम को तहसीलदार कर रहे हैं। पहाड़ के एरिया को प्लेन एरिया में दिखाकर उनके नाम से रजिस्ट्रियां करवा कर गिरदावरी दिखाई जा रही हैं। क्या उनकी भी जांच करवाई जायेगी और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: यह एक अलग प्रश्न है।

Supply of Water in the Brar Khera Minor

***1140 Shri Parminder Singh Dhull, ML.A:** Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) the quantum of water being supplied in Brar Khera Minor emanating from Sunder Branch Canal in Julana Constituency at present; and

(b) whether the supply of water is likely to be increased in the aforesaid minor after improving its condition?

Irrigation Minister (Shri Harmohinder Singh Chatha) :

(a) & (b) Sir, the Brar Khera Minor is being run regularly. It got its full supply of water during its last two turns i.e. from 26.06.2012 to 03.07.2012 and from 28.07.2012 to 04.08.2012. The capacity of this minor was increased from 32.51 cusecs to 40.51 cusecs during 2008. There is no need to increase any further capacity.

चौ० परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, बराड़ खेड़ा माईनर से 6-7 गांवों को पानी पहुंचता है। पहले यह एक रजबाहा था लेकिन अब इसको काटकर तीन टुकड़े कर दिये गये हैं एक बराड़ खेड़ा माईनर दूसरा बराड़ खेड़ा-1L तथा तीसरा है बवाना सब-माईनर। बवाना सब-माईनर को बने चार साल हो गये हैं लेकिन इसमें आज तक एक घूंट भी पानी नहीं आया जिससे सारा बवाना पीड़ित है। बराड़ खेड़ा-1L में भी पानी नहीं आ रहा है। जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब यह कैपेसिटी बढ़ाई गई थी तो उस वक्त टोटल एरिया 7551 एकड़ था जो अब बढ़कर 11500 एकड़ से ऊपर हो चुका है। आपकी किताब के हिसाब से वहां पर 40 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी वजह से बीबीपुर, इगरा, बहैबलपुर तथा बवाना गांव टोटली सफर हो रहे हैं। बराड़ा खेड़ा माईनर का लैवल भी ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे संबंधित अधिकारी जिसने इस माईनर का लैवल किया था के खिलाफ कार्यवाही करके इन पीड़ित गांवों के किसानों को पानी पहुचायेंगे ? क्या बवाना सब-माईनर को बढ़ाकर के बराड़ खेड़ा 1L में डाला जायेगा जिससे इगरा बीबीपुर तथा जामनीखेड़ा की टेल तक पूरा पानी पहुंच सके।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर सर, जैसाकि मेरे वर्दी फ्रैंड ने कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पानी की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी वह केवल मात्र पब्लिक हैल्थ के लिए बढ़ाई गई थी, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बढ़ाई गई थी और यह पानी पब्लिक हैल्थ को ही जा रहा है इसे एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाने का अभी तक कोई विचार है भी नहीं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: स्पीकर सर, जो बराड़ खेड़ा रजबाहा है वह किसानों के लिए ही बनाया गया है। आज इसमें से 11000 एकड़ एरिया को पानी जाता है। हमारा यहां का एरिया बिल्कुल सूखा है। जमीन का पानी हमारे यहां नहीं है। अगर इस रजबाहे का पानी इन गांवों तक नहीं जायेगा तो यह गांव उजड़ जायेंगे। मंत्री जी इन गांवों को उजड़ने से बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? नहर बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि इनका पानी गांव में तथा खेतों में जाये। इस माईनर में पानी नहीं आने की वजह से 6 गांव सफर हो रहे हैं। आपकी जो पब्लिक हैल्थ की डिग्गी है

उनके अन्दर भी इसका पानी नहीं जा रहा है। उसके कैरियर भी सारे टूटे पड़े हैं। आप इसकी जांच भी करवा सकते हैं।

Quantum of Water Released from Hathani Kund Barrage

***1243. Shri Raj Pal Bhukhri :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(a) the quantum of water being released by the Irrigation Department from Hathani Kund Barrage during rainy season togetherwith the quantum of water reaching upto Karnal Munak Head;

(b) whether the adequate quantum of water is not reaching upto Munak Head; if so, the reasons thereof togetherwith the arrangements being made by the Government to release more quantum of water for the purpose of irrigation in South Haryana; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make arrangement to save the water losses being occurred in its way?

Irrigation Minister (Shri Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Water released from Hathani Kund Barrage into Western Jamuna Canal from 1st July 2012 to 20th August 2012 was 569046 Cs. days and quantum of water that reached up to Karnal Munak Head was 416260 Cs. days.

(b) Sir, adequate quantum of water is reaching upto Munak Head.

(c) There is proposal of side lining of Western Jamuna Canal (Main Line Lower) and Western Jamuna Canal Main Br. up to Munak.

श्री राज पाल भुखड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे एरिया में पानी की बहुत दिक्कत है। साल में तीन महीने नहरों में जो पानी पीछे से ज्यादा आता है और वह पानी वेस्ट जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसमें से मेरे एरिया को कुछ पानी मिल सकता है। सर, इस योजना की पहले घोषणा भी हुई थी कि हथिनीकुंड बैराज से नारायणगढ़ होते हुए कोई नहर बनाई जायेगी ?

Metalling the Passage

***1171. Shri Hari Chand Middha :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Dariyawala to village Barsola; and

(b) if so, the time by which the construction work of the above said passage is likely to be started ?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

श्री हरि चंद मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले सैशन में इन्होंने यह बात कही थी कि जींद में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया जायेगा। सर, उसके उलट आज के दिन हालात यह हैं कि जींद में चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं और लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप क्वैशचन पूछें।

श्री हरी चंद मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या गांव दरियावाला से गांव बरसोला तक कच्चे रास्ते को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा यदि हां तो उपरोक्त रास्ते का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह 4 किलोमीटर का कच्चा कंसोलिडेशन पाथ है और कंसोलिडेशन के लिए छोड़ा हुआ है। पी.डब्लू.डी.(बी.एण्ड आर.) के पास इसको पक्का करने का या इस कच्चे कंसोलिडेशन पाथ पर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के सफीदों में बागड़ूखुर्द से सिवानामाल तक कोई सड़क बनाने की योजना है यदि है तो यह कब तक बनकर तैयार होगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय,यह एक सैपरेट क्वैशचन है।

Post Graduate Courses in the Government College Gohana

***1165 Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) whether there is provision of Post Graduate Courses in History, Pol. Sc., Hindi or English in Government College Gohana; and

(b) if not, whether there is any proposal to start the above said Post Graduate Courses in the abovesaid College ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) :

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व इंग्लिश सब्जैक्ट्स न तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में है और न ही गोहाना के गवर्नमैंट कॉलेज में ये सब्जैक्ट्स

हैं। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि इन सब्जैक्ट्स में स्टूडैंट्स की संख्या कम है या वहां पर इन सब्जैक्ट्स को चालू न करने की कोई और वजह है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने गोहाना के सरकारी कालेज में हिस्ट्री, पोलिटिकल साईंस, हिन्दी या अंग्रेजी विषयों को पी.जी. लैवल पर शुरू करने के बारे में प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि बच्चों को स्कूल ऐजूकेशन के साथ साथ हायर ऐजूकेशन प्रोवाईड करना हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता पर रखा गया है। इस समय 88 सरकारी कालेजिज हैं जिनमें से 28 कालेजिज ऐसे हैं जहां पर पी.जी. कोर्सिज़ और जॉब ओरियेन्टिड कोर्सिज़ भी चल रहे हैं। वर्तमान सरकार ने इस साल में 8 नये कालेजिज खोले हैं। हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है, दो रिजनल सैंटर भी खोले गये हैं, 9 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं और एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई है। जहां तक गोहाना की बात है वहां पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है जिसमें बहुत सारे कोर्सिस पढ़ाये जाते हैं। इसके अलावा गोहाना के बहुत ही नजदीक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक भी है जहां पर काफी कोर्सिज़ पढ़ाये जाते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में कम से कम दस विषय ऐसे हैं जिनमें पी.जी. कोर्सिज़ नहीं हैं जिसमें साईंस सब्जैक्ट नहीं है, पोलिटिकल साईंस नहीं है, हिस्ट्री, सोशियोलोजी और साईकोलोजी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ये कोर्सिज़ कब तक शुरू करवाए जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दें कि कौन-कौन से सब्जैक्ट्स वहां पर नहीं हैं ?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो सवाल किया है उसका जवाब ही नहीं आया ?

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया: अध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब ने मीरपुर जोकि रेवाड़ी में है वहां जाना था। सरकार हर बार घोषणा करती है कि शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे दक्षिणी हरियाणा में कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई है। जो यूनिवर्सिटी मीरपुर में खोली जानी चाहिए थी अभी खुली नहीं है तो क्या ऐजूकेशन के मामले में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है?

Mr. Speaker: Hon'ble Minister may tell the House that Gurgaon and beyond how many Universities we are coming with up?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि पूरा हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में एक हब के रूप में उभर कर आ रहा है और चाहे दक्षिणी हरियाणा की बात हो या उत्तरी-पश्चिमी हरियाणा की बात हो आज हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, यह छोटा सा हरियाणा प्रदेश है इसको आपने दक्षिणी, हरियाणा और उत्तरी-पश्चिमी क्या बना रखा है। It is a small State. What do you mean by these regions? Hon'ble Minister, how can you say Dakshini Haryana? What do you mean by this? It is just Haryana. It is a small State.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, हमारे छोटे से प्रदेश हरियाणा में बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। हमारे स्टेट की पापुलेशन पूरे देश की जनसंख्या की केवल दो प्रतिशत है। हम गुड़गांव में एक डिफैंस यूनिवर्सिटी लेकर आये। महेन्द्रगढ़ में एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आये हैं, मीरपुर में एक यूनिवर्सिटी का रिजनल सैंटर चल रहा है जिसमें बहुत सारे कोर्सिज चल रहे हैं। रेवाड़ी में कई कालेजिज खोले गये हैं, अभी कोसली में एक नया कालेज खोला गया है। आज हरियाणा ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की की है। मीरपुर (रेवाड़ी) में जो यूनिवर्सिटी का रिजनल सैंटर चल रहा है वहां पर एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.ए. इकोनोमिक्स, एम.कॉम पांच साल के लिए और P.G. Diploma Courses in Retail Management जैसे कई प्रकार के कोर्सिस चल रहे हैं। सरकार ने वहां पर काफी पोस्ट्स भी मन्जूर की हैं और वहां पर काफी कन्सट्रक्शन के कार्य भी चल रहे हैं। इस साल 8 नये कालेजिज खोले गये हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी वर्तमान सरकार आने के बाद खोली गई है और वहां पर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को हमारी सरकार आने के बाद बनाया गया है जहां पर पहले केवल मात्र दस कमरे हुआ करते थे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is replying. Please keep silent. Please sit down. Let the Minister complete the reply.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, चाहे रेगुलर कोर्सिज़ हों या जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज़ हों या पी.जी. कोर्सिज़ हों उनके लिए हम न केवल सरकारी यूनिवर्सिटीज बल्कि प्राईवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट लेकर आए जिसके कारण आज गुड़गांव में सबसे ज्यादा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज काम कर रही है। सोनीपत में राजीव गान्धी ऐजूकेशन सिटी जोकि इन्टरनेशनल लैवल का ऐजूकेशन हब बनने वाला है।

उसमें आई.आई.टी. का एक्सटैंशन सैंटर भी आया है और नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी आई है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए चाहे नए कालेजिज की बात हो, स्कूलों की बात हो या यूनिवर्सिटीज की बात हो, सब जगह सरकार के द्वारा बराबर प्रयास किए जा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

Renovation of Grain Market

***1161 Rao Bahadur Singh :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the grain market of Nangal Chaudhary; if so, the time by which the aforesaid grain market is likely to be renovated ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :

Yes, Sir.

The work is likely to be completed by 30.09.2013.

सरदार परमवीर सिंह: इस मंडी की रिपेयर और रैनोवेशन हम करवाने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राव बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय,* * * * *

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker Nothing is to be recorded without my permission. Honb'le members please sit down. Yes, Rao Bahadur Singh Ji ask your supplementary. (Interruption) Whatever is spoken without my permission, not to be recorded. Please sit down.

Sardar Paramvir Singh: I would like to inform the members * * * * * (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी भी हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आता है। उसकी एक महत्त्वपूर्ण अनाज मंडी के बारे में मंत्री महोदय घोषणा करने वाले हैं परंतु ये चाहते नहीं है कि यह फैसला हो। (विघ्न) मंत्री जी इनके लिए ढेर सारी राशि मंजूर करके लाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption)

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय * * * * *

Mr. Speaker : Hon'ble Member is on legs. उनको सवाल तो पूछने दो उसके बाद आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछ लेना।

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछो।

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मेरे पुराने हल्के पिनंगवा में मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम था और उन्होंने वहां पर कन्या कालेज खोलने की अनाउंसमैंट की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री महोदय की अनाउंसमैंट के अनुसार सरकार का वहां पर कोई कन्या कालेज खोलने का प्रस्ताव है और यदि है तो यह कालेज कब तक बन जाएगा ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this question relates to Agriculture.

Mr. Speaker : No need to answer this question. Now, the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

***1154. Shri Anil Vij :** Will the Finance Minister be pleased to state whether it is a fact that the district plan funds of many Districts has lapsed in the year 2011-12; If so, the district-wise amount lapsed together with reason thereof alongwith the action taken against any official ?

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अनिल विज]

Statement referred to Starred Assembly Question 1154 regarding position of DPC meetings and funds released under District Plan Scheme for the year 2011-12.

(a) A sum of Rs. 181.01 crore, out of an allocation of Rs. 232.08 crore, was utilised under the Scheme "District Plan' implemented by the State Planning Department through the Deputy Commissioners for the financial year 2011-12. Seven districts failed to utilize the entire amount allocated to them for the reasons specified hereunder:—

Sr. No.	Name of District	Total funds allocated (Rs. lakh)	Date of District Planning Committee constituted by Urban Local Bodies Department	Date of District Planning Committee Meeting convened	Amount not utilised by district (Rs. lakh)	Reasons for non-utilisation
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panchkula	511.60	30-Mar-11	24-Mar-12	511.60	Delay in holding the meeting of the DPC because of a related CWP in the High Court; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
2.	Ambala	1040.60	19-Mar-12	26-Mar-12	1040.60	Delay in constitution of the DPC by the Department of ULB; late finalisation of projects/works to be executed; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
3.	Jhajjar	875.95	17-Dec-10	28-Mar-12	875.95	Delay in holding the meeting of the DPC; late finalisation of projects/ works to be executed; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
4.	Panipat	1101.04	7-Mar-12	20-Mar-12	15.19	Delay in constitution of the DPC by the Department of ULB; late finalisation of projects/works to be executed; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
5.	Fatehabad	861.86	14-Jan-11	21-Feb-12	861.86	Delay in finalisation of the Plan in the district and preparation of estimates; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
6.	Kaithal	982.09	17-Mar-11	22-Feb-12	982.09	Delay in finalisation of the Plan in the district and preparation of estimates; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
7.	Karnal	1378.88	31-Mar-11	31-Jan-12	819.74	Delay in finalisation of the Plan in the district and preparation of estimates; Embargo on clearing new bills by the Treasury at the end of the financial year.
	Total	**6752.02**			**5107.03**	

(b) Since the primary reason for the non-utilisation of funds by these districts was systemic and not individual, the Department of Planning is revising the modalities for the implementation of the Scheme.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : श्रीमान् जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

Supply of Water in the Dharodi Minor

***1238. Shri Pirthi Singh Namberdar :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the supply of water in the Dharodi Minor of Narwana Constituency has not been started so far from Bhakra Link Canal; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the water is likely to be supplied in the aforesaid Minor?

सिंचाई मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : श्रीमान जी, धरोदी रजबाहे को सिंचाई के लिए भाखड़ा संपर्क नहर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धरोदी रजबाहे की पूर्ति धमतान वितरिका से ही जारी रहेगी जैसा की वर्तमान में हो रहा है।

Construction of Fly Over Bridge

***1175. Smt. Sumita Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Fly Over Bridge at Gogripur Fatak, Karnal; if so, the time by which the aforesaid Fly Over Bridge is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

हां, श्रीमान जी।

इस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

Repair of Link Road

***1223 Shri Ashok Kashyap :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the link road from Gheer to Kunjpura via village Modipar in Indri Constituency; and

(b) If so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) तथा (ख) नहीं श्रीमान जी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Laying of Sewerage in M.C. Colony

***1152 Col. Raghbir Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) the yearwise details of the tenders invited for laying of sewerage in M.C. Colony of Dadri City;

(b) whether the abovesaid sewerage system has been made functional; if not, the reasons thereof: and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the sewerage system functional in the abovesaid colony; if so, the time by which the aforesaid system is likely to be made functional?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) ;

(क) श्रीमान जी, वार्ड नं० एक एम.सी. कॉलोनी सहित सीवरेज लाईन बिछाने के लिए रुपये 52.75 लाख की निविदायें मार्च, 2008 के दौरान आमंत्रित की गई थीं।

(ख) उपरोक्त निविदा के अन्तर्गत एम.सी. कॉलोनी में श्री रोहताश, नगर पार्षद की गली में 300 मीटर लम्बाई के सीवर को छोड़कर, सारा सीवर लगाकर चालू कर दिया गया है। यह सीवर उपलब्ध मेन सीवर की उचित गहराई न होने के कारण नहीं लगाया जा सकता।

(ग) हां, श्रीमान जी। एम.सी. कालोनी में उपरोक्त शेष सीवर मार्च, 2013 तक चालू कर दिया जायेगा।

Cases of Road Accidents

***1179 Sh. Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of road accidents registered in Haryana from January 1, 2012 to till today ;

(b) the number of persons killed and injured in these accidents during the above said period;

(c) the number of cases in which compensation has been given by Insurance Companies or by accused or by the Transport Department and the Haryana Government together with the total amount thereof;

(d) the steps taken by the State Government to avoid such accidents and also to implement traffic rules effectively;

(e) the number of persons missing in Haryana since January 1, 2000 and the number of such persons, category wise separately i.e. below Eighteen Years old and above, male and female; and

(f) the number of persons who have been declared proclaimed offenders by Police and Courts ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(क)

अवधि	सड़क दुर्घटनाएं
01.01.2012 से 31.07.2012	5674

(ख)

अवधि	मौतें	घायल
01.01.2012 से 31.07.2012	2592	5284

(ग)

दिनांक 01.01.2012 से 31.07.2012 तक दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे की निम्नलिखित धन राशि प्रदान की गई :—

	केसों की संख्या	कुल धनराशि (रुपये में)
बीमा कम्पनियों द्वारा धन राशि दिये जाने वाले मामलों की संख्या	बीमा कम्पनियों द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दी गई धन राशि का रिकार्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।	
अपराधियों द्वारा धन राशि दिये जाने वाले मामलों की संख्या।	अपराधियों द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दी गई धनराशि का रिकार्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।	
परिवहन विभाग द्वारा धन राशि दिये जाने वाले मामलों की संख्या।	शून्य	शून्य
हरियाणा सरकार द्वारा धन राशि दिये जाने वाले मामलों की संख्या तथा धन राशि की मात्रा (राजीव गांधी परिवार बीमा योजना समेत) वितरित की गई।	1212	रुपये 12,91,20,000/-

(घ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने व सड़क सुरक्षा के बारे अनिवार्य जानकारी को बढ़ाने हेतु, राज्य में 22 यातायात पुलिस थानों और 5 यातायात पुलिस चौकियों की स्थापना की गई जिनमें आवश्यकतानुसार पुलिस बल और वाहनों का प्रावधान किया गया है।

2. निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करके अति तीव्र गति से चलाने वाले वाहन चालकों पर नियन्त्रण करने के लिए 32 हाई स्पीड इंटरसैप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप 01.01.2012 से 31.07.2012 तक 66487 उल्लंघन करने वालों को पकड़ा गया और चालान किये गए।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

3. दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 43 एम्बुलैंस उपलब्ध करवाई गई हैं।

4. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का चालान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में प्रयाप्त मात्रा में एल्को सैंसरों से लैस सोब्राइटी चैक प्वाईंट्स स्थापित किए गए जिसके परिणामस्वरूप समय अवधि 01.01.2012 से 31.07.2012 तक 17876 शराबी चालको को पकड़ा गया और चालान किए गये।

5. निर्धारित क्षमता से अधिक भार लाद कर चलने वाले वाहनों व अन्य महत्वपूर्ण अपराध के चालान जिला परिवहन अधिकारियों/सचिव, आर.टी.ए. द्वारा परिवहन विभाग के नियंत्रण में किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार परिवहन विभाग की मांग पर पुलिस सहायता प्रदान की जाती है।

6. राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता अभियान सैमीनार व पैन्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं।

7. दिनांक 27.10.2009 को समाज के सभ्य लोगों; भूतपूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों, गैर सरकारी संस्थायें, रिहायशी भलाई संगठनों, सेवानिवृत्त (रिटायरी), दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, वाहन संगठनों इत्यादि को शामिल करके सड़क सुरक्षा संगठन को गठित किया गया जोकि सभी जिलो में सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस विभाग की मदद कर रहा है।

8. राज्य में 1170 दुर्घटना ग्रस्त स्थान लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, दूरसंचार, बिजली व परिवहन विभाग के सहयोग से चिन्हित किए गए हैं। जिनमें से 803 दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है व शेष स्थानों पर कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1051 बिन्दुओं का चयन स्पीड ब्रेकर के लिए किया गया है जिनमें से 810 बिन्दुओं पर स्पीड ब्रेकरो का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है।

9. यातायात मुख्यालय करनाल में एक यातायात नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जहाँ पर जनसम्पर्क के लिए दुर्घटना हैल्पलाइन 24 घण्टे टोल फ्री नम्बर 1073 की सुविधा उपलब्ध है। जनसाधारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण सम्पर्क है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त तीव्र गति से चलने वाले वाहनो, शराबी चालकों, बिना हैल्मेट के चालकों और सीट बैल्ट का प्रयोग न करने वालों, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने वालों और ज्यादा सवारियां लाद कर चलने वाले वाहनों के लिए जोकि सड़क सुरक्षा के लिए गम्भीर पहलू है के चालान निरंतर किये जा रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करवाने हेतु वर्ष 2012 में 01.01.2012 से 31.07.2012 तक 9,64,750 वाहनों के चालान किए गए।

11. दिनांक 01.01.2012 से 31.07.2012 तक 16,018 मैक्सी कैबों के चालान किए गए।

(ङ) 1 जनवरी, 2000 से 15 अगस्त, 2012 तक गुमशुदा लोगों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

कुल गुमशुदा व्यक्तियों का विवरण	18 वर्ष से कम गुमशुदा व्यक्तियों का विवरण		18 वर्ष से अधिक गुमशुदा व्यक्तियों का विवरण	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
24,039	5467	2628	9928	6016

(च) 1 जनवरी, 2000 से 15 अगस्त, 2012 तक 6589 व्यक्तियों को पुलिस व न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Arrangements of Sewerage and Drinking Water

225. Master Dharampal Obra : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there are no arrangements of draining out dirty water and drinking water is also not available in village Behal of Loharu Constituency;

(b) if so, the time by which sewerage system is likely to be laid to drain out dirty water from village Behal; and

(c) the time by which drinking water is likely to be supplied through the Water House in Village Behal?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) नहीं श्रीमान जी। गांव बहल के 70 प्रतिशत क्षेत्र गन्दे पानी की निकासी खुली नालियों द्वारा की जा रही है। शेष क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था के निर्माण के लिए कार्य प्रगति पर है। गांव बहल की पीने के पानी की आपूर्ति 3 नलकूपों द्वारा 45 एल.पी.सी.डी. (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की दर से की जा रही है।

(ख) इस समय गांव में जल आपूर्ति की सेवा का स्तर 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है जो कि सीवर लाईनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक है इसलिए सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं की जा सकती।

(ग) गांव बहल में अलग से नहर आधारित जलघर बनाने के प्रस्ताव की जांच पड़ताल की जा रही है बशर्ते कि नहरी पानी उपलब्ध हो तथा अनुमान के अनुमोदित होने के पश्चात् इसके निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

Re-Construction of Road

236. Shri Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state:

(a) the steps taken by the Government to repair the road from Safidon gate to Safidon road upto by-pass of Jind city which has been damaged completely; and

(b) the steps taken by the Government to reconstruct the road from the Residence of Superintendent of Police to village Pandu Pindara which has been damaged completely?

लोक निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) तथा (ख) श्रीमान् जी, यह ठीक नहीं है, ये सड़कें पूर्णत: क्षतिग्रस्त नहीं हैं। सड़कों का रख-रखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है।

Reward Oriented Power PRM

260 Shri Sampat Singh : Will the Power Minister be pleased to state the number of consumers (DHBVNL & UHBVNL) who availed the chance of newly announced policy "Reward Oriented Power PRM" ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : सदन के पटल पर उत्तर प्रस्तुत है।

कम से कम समग्र तकनीकी एवं व्यवसायिक (ए.टी. एण्ड सी.) घाटे वाले फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देकर ईमानदार उपभोक्ताओं को ईनाम देने के मुद्दे पर विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित फीडरों की श्रेणी को "नो पावर कट" आपूर्ति दी जाए।

(1) तीन प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले स्वतंत्र फीडर।

(2) छ: प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले औद्योगिक फीडर।

(3) दस प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले शहरी फीडर।

(4) कोई अन्य ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडर जिस पर ए.टी. एण्ड सी. घाटा 15 प्रतिशत तक होगा चार घंटे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति प्राप्त करेगा।

तद्नुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सेल्ज परिपत्र संख्या डी-4/2012 दिनांक 10/04/2012 के द्वारा यह योजना लागू की थी। बाद में बिजली की उपलब्धता में कमी होने के कारण 25/05/2012 को इस योजना को अस्थाई तौर पर रोक दिया गया था और अब तक रुकी हुई है। आपूर्ति/बिजली उपलब्ध की स्थिति सुधरने पर इसे पुन: चालू कर दिया जाएगा। इस योजना से लाभान्वित फीडर/उपभोक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है :—

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

क्रमांक संख्या	फीडरों के प्रकार	उपरोक्त योजना के दायरे में आने वाले फीडरों की संख्या	लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या
1.	तीन प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले स्वतंत्र फीडर।	211	794
2.	छह प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले औद्योगिक फीडर।	147	9242
3.	दस प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले शहरी फीडर।	49	60602
4.	15 प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले कोई अन्य ग्रामीण घरेलु आपूर्ति फीडर।	37	26978
	कुल	444	97616

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

क्रमांक संख्या	फीडरों के प्रकार	उपरोक्त योजना के दायरे में आने वाले फीडरों की संख्या	लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या
1.	तीन प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले स्वतंत्र फीडर।	3	यद्यपि सेल्स निर्देश संख्या यू-14/2012 दिनांक 5/07/2012 जारी किया जा चुका है किन्तु बिजली की उपलब्धता कम होने के कारण योजना अभी लागू नहीं की गई है। बिजली की उपलब्धता/आपूर्ति स्थिति में सुधार आने पर योजना को लागू किया जाएगा।
2.	छह प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले औद्योगिक फीडर।	75	
3.	दस प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले शहरी फीडर।	86	
4.	15 प्रतिशत तक ए.टी. एण्ड सी. घाटे वाले कोई अन्य ग्रामीण घरेलु आपूर्ति फीडर।	61	
	कुल	225	

Compensation for the Acquired Land

226. Master Dharampal Obra.: Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that compensation has not been granted so far by the Government for the land acquired for 3R distributary under Burji No. 10, 11, 12 emanating from Jui Canal in Village Kasni Kalan of Loharu Constituency; if so, the time by which the aforesaid compensation is likely to be granted to the farmers by the Government?

सिंचाई मंत्री (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : जुई नहर प्रणाली के गोकलपुरा रजबाहा की बुर्जी संख्या 13850 दायां से 3 आर वित्रिका (उप रजबाहा) निकलती है। यह वित्रिका वर्ष 1974-75 के दौरान बनाई गई थी। गोकलपुरा, कासनी और कासनी कलॉं गांव की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना, अधीक्षण अभियन्ता/इंदिरा गांधी नहर वृत, रोहतक के द्वारा खण्ड-6 के अंतर्गत पत्र क्रमांक नं० 721-722/2 एल दिनांक 19.01.1976 को की गई थी। इसके बाद गांव कासनी और गोकलपुरा की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया लेकिन गांव कासनी कलां की 6.02 एकड़ अधिग्रहित की भूमि की चकबन्दी न होने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका। अब कासनी कलां गांव के हिस्सेदारों ने अनुरोध किया है कि उनकी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया जाए क्योंकि अब चकबन्दी पूरी हो गयी है। आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

Allotment of Plots in Model Town Hisar

261. Shri Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) total number of residential and commercial plots allotted originally in Model Town Hisar, separately and the name of the authority who has allotted these plots;

(b) total number, out of aforesaid plots, which are now being used for residential and commercial purposes separately; and

(c) the total number of plot holders who have constructed their buildings without the permission of the Corporation and have violated the rules of township togetherwith their addresses?

मुख्यमंत्री (श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान जी,

(क) रिकार्ड अनुसार माडल टाउन में मूलत: 282 रिहायशी प्लाट आबंटित किये गये हैं। अलाटमैन्ट की मूल ड्राईंग के अनुसार कोई वाणिज्यिक प्लाट आबंटित नहीं किया गया था। ये प्लाट पुनर्वास विभाग द्वारा अलाट किए गए थे।

(ख) क्योंकि यह एक बहुत पुरानी स्कीम है, प्लाट द्वारा इन प्लाटों का साईज बड़ा होने के कारण इनको उप-विभाजित कर लिया गया है। मौके की स्थिति अनुसार लगभग 60% प्लाटों पर वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही है। लगभग 40% प्लाट रिहायशी उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाये जा रहे हैं।

(ग) अधिकतर अलाटियों द्वारा अपने प्लाटों को उप-विभाजित कर दिया गया है एवं 346 उप-विभाजित ईकाईयों पर बिना नगर निगम से नक्शा स्वीकृत करवाये वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। नगर निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन करने एवं बिना अपने नक्शे स्वीकृत करवाये वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने पर इन व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

Electricity to Dhanies from Domestic Feeder

227. Master Dharampal Obra : Will the Power Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Government has announced to supply electricity from domestic feeders to the people living in Dhanies in the State; if so, whether such type of supply has not been made by the Haryana Vidyut Parsaran Nigam in the Dhanies falling under Loharu, Dhigawa, Behal and Siwani Power Sub Division in Loharu Constituency; and

(b) the time by which Haryana Vidyut Parsaran Nigam is likely to supply electricity to the Dhanies through the domestic feeders togetherwith the details of Dhanies which have been connected with the domestic feeders so far?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां, श्रीमान, पहले से विद्युतीकृत 11 या अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली ढाणियों की वर्तमान बिजली आपूर्ति को हिस्सेदारी के आधार पर कृषि फीडरों से ग्रामीण घरेलु फीडरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है; अर्थात् 50 प्रतिशत लागत उपभोक्ता द्वारा तथा 50 प्रतिशत लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

लोहारू निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोहारू, ढिगावा, बहल और सिवानी बिजली सब स्टेशनों के तहत आने वाली तीन ढाणियों ने इस योजना को अपनाया है और लागत उनके हिस्से की राशि जमा हो गई है। इन ढाणियों की आपूर्ति कृषि फीडर से ग्रामीण घरेलु फीडरों पर स्थानातंरण का कार्य दो मास में पूरा कर दिया जाएगा।

(ख) इस योजना को अपनाने वाली ढाणियों को लागत की उनके हिस्से की राशि जमा होने की तारीख से दो महीने के अन्दर आपूर्ति स्थानातंरित कर दी जाएगी। अब तक राज्य में 541 ढाणियां (द.ह.बि.वि.नि. = 427 + उ.ह.बि.वि.नि. = 114) कृषि आपूर्ति से ग्रामीण घरेलु आपूर्ति पर स्थानांतरित की गई है।

Dangerous Curves on NH No. 65

228. Master Dharampal Obra : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that there are countless dangerous curves on the road from the village Budhshaily to Jhupa Kalan of Siwani town on the National Highway No. 65, due to which a number of accidents have been occurred in the past and the hundreds of persons have died in the accidents, if so, the steps being taken by the Government for safety of the people on the afoesaid road?

लोक निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

हां श्रीमान्।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 65 पर सिवानी शहर के गांव बुधशैली से झुप्पा कलां के बीच में कई मोड़ हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। इस बारे में मोड़ों के सुधार के लिए 355.67 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर लिया गया है जो कि विचाराधीन है।

बैठक का स्थगन

(i)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Shri B.B. Batra, MLA regarding medical aid and facilities are being given to pregnant women and newly born. Shri Sampat Singh, MLA has also given a calling attention notice on the same matter. I have admitted it. (Interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हमने लॉ एण्ड आर्डर पर काम रोको प्रस्ताव दिया था उसका फेट बताया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker: That has been disallowed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करवाई जानी चाहिए। * * * * *

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (Interruption) That has been disallowed.

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 24.8.12 को मुझे हाउस में जातिसूचक गालियां दी गईं उसके लिए मैंने लिखित में आपको शिकायत दी हुई है स्पीकर सर, आपके पास तो सब साधन हैं। आडियो और वीडियो रिकार्डिंग भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड आर्डर के बारे में मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) वह डिस अलाऊ कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दलित समाज का मैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपने दलित साथी को बोलने का मौका दिया है (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी एक दलित साथी की बात नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ये लोग दलित साथी की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) दलित समाज न्याय चाहता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णलाल पंवार : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Don't show me any paper. प्लीज आप बैठ जाईए (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने समाज के एक दलित भाई का अपमान किया है। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग दलित लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Arora, please sit down.

श्री कृष्णलाल पंवार : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव दिया था। आपने वह किस बिनाह पर डिस अलाउ कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह डिस अलाउ कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : वह डिस अलाउ किस लिये कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: That has been disallowed.(Interruption) I have given the reasons और आपको इसके कारण कम्युनिकेट भी कर दिए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम बैठ जाते हैं परंतु आप सदन में चर्चा तो करायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें इंसाफ चाहिए। दलित समाज आपकी तरफ देख रहा है। आप इस पर न्याय कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग एक दलित की आवाज को दबाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) पूरा दलित समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप न्याय करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी इसलिए शोर शराबा कर रहे हैं कि एक दलित भाई अपने ऊपर हुए अत्याचार को यहां उजागर न कर सके। (शोर एवं व्यवधान) क्या यह शोर शराबा इसलिए किया जा रहा है कि एक दलित साथी की आवाज को दबाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी यहां भी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है तो बाहर क्या होता होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) कविता जी आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात मान लेंगे लेकिन आप भी तो हमारी बात मानें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Restore the order of the House. प्लीज आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) Please everybody sit down. I am on my legs, please sit down.(Interruption) Please sit down. Don't you know when the Speaker is on his legs everybody has to sit down. Sit down please. (Interruption) Sit down please.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, प्लीज आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। मैं खड़ा हूं। आप बैठिये प्लीज। आप सभी शांत हो जाईये।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के 9 विधायक दागी हैं। (शोर एवं व्यवधान) * * * * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर,* * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज हाऊस की वैल में आकर न्यूज़ आईटम पढ़ने लगे।)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर विज, यह आप क्या ले रहे हैं? इसे मेरे पास भिजवाईऐ। (शोर एवं व्यवधान) I will not allow you to speak. (शोर एवं व्यवधान) विज जी, आप कृपया करके अपनी सीट पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान) Please go back to your seat.

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जायें। I am asking you to go back to your seats. (Noise & Interruption) Mr. Vij, please go back to your seat. (विघ्न) मिस्टर विज, यह चश्मे का सहारा आप कब तक लोगे। क्या चश्मे के बगैर आपका काम नहीं चलता? (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि चश्मा पहन लें। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया अपनी सीट पर जाईए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, एक समय में भारतीय जनता पार्टी के साथी कई किश्तियों में सवार रहते हैं। यह इनकी पुरानी आदत है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर,........... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपने एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए परमिट किया हुआ है और वह माननीय सदस्य बोलना शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपकी परमिशन के बावजूद भी विपक्ष के साथियों द्वारा उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जायें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, with your permission somebody has got up to speak. स्पीकर सर, आपकी इजाजत से श्री जयवीर सिंह जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए हैं इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जब आपने उन्हें इजाजत दी है तो आप उनकी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां जयवीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर,........... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप कृपया पहले श्री जयवीर जी को अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर, शुक्रवार दिनांक 24.08.2012 को सदन के अन्दर मुझे जातिसूचक शब्दों के साथ सम्बोधित करते हुए मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है जिसके बारे में मैंने आपको लिखित रूप में भी अपनी शिकायत दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस मामले में सही निर्णय करें ताकि पूरे प्रदेश का दलित समाज राहत की सांस ले क्योंकि इससे पूरे प्रदेश के दलित समाज में रोष व्याप्त है और पूरे प्रदेश का दलित समाज इससे अपने आपको अपमानित महसूस कर रहा है। स्पीकर सर, पूरा दलित समाज आपसे न्याय की उम्मीद रखता है। हमें आपसे पूरे न्याय की उम्मीद है इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पूरा न्याय मिले और भविष्य में इस सदन के अन्दर इस प्रकार की घटना न दोहराई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सुरजेवाला जी एवं माननीय श्री जयवीर सिंह जी, अभय चौटाला जी ने कहा था उस दिन उस समय वे अपनी सीट पर बैठे हुए थे। He stated that he was on his seat. (Noise & Interruption)

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर, उस दिन माननीय सदस्य श्री अभय चौटाला द्वारा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझे गालियां दी गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपने श्री जयवीर सिंह जी को बोलने के लिए परमिट किया हुआ है लेकिन विपक्ष के साथी श्री जयवीर सिंह जी की बात को क्यों नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज पुनः हाऊस की वैल में आ गये।)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please go back to your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके पास वीडियो रिकार्डिंग है और आपके पास ऑडियो रिकार्डिंग भी है आप इस मामले से सम्बंधित ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग निकलवाकर देखिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोक दल के सदस्य हाऊस की वैल में आकर नारेबाज़ी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर विज, आप कृपया अपनी सीट पर वापस जाईये। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जायें।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, आपके पास इस मामले से सम्बंधित वीडियो रिकार्डिंग है और आपके पास ऑडियो रिकार्डिंग भी है। आप उसे निकलवाकर देख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमें न्याय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सर, हमें न्याय चाहिए। सदन के एक माननीय सदस्य ने एक दलित के बेटे का अपमान किया। यह उनके साथ-साथ पूरे सदन का भी अपमान है और पूरे हरियाणा प्रदेश का अपमान है। (शोर एवं व्यवधान) सर, हमें इस मामले में न्याय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सर, एक दलित के बेटे की आवाज़ को दबाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) सर, हमें न्याय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जायें। श्री जयवीर सिंह जी, आप बोलिए।

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर, यह सदन इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें विपक्ष के एक माननीय साथी द्वारा एक दलित विधायक का अपमान किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) सर, आप इससे सम्बंधित ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग देखिए सच्चाई खुद-ब-खुद आपके सामने आ जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) सर, हमें न्याय चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सर, पूरे प्रदेश का दलित समाज आपसे न्याय की उम्मीद लगाये बैठा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the House is adjourned for fifteen minutes. After fifteen minutes we will meet again.

*15.20 hrs (The Sabha then *adjourned for 15 minutes and re-assembled at 3.35 P.M.)

श्री अध्यक्ष : जयवीर सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को मेरे साथ यहां सदन के अन्दर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए मैंने आपके सामने लिखित में भी शिकायत दी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पर सही निर्णय दें। आज प्रदेश के पूरे दलित समाज में इस बात के लिए रोष है। आज पूरा दलित समाज आपसे न्याय की उम्मीद रखता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें न्याय मिलना चाहिए ताकि सदन में ऐसी चीजें दोबारा न आएं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, माननीय एम.एल.ए. अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि वे उस समय अपनी सीट पर बैठे थे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir,............ (Interruption)

Mr. Speaker : Anil Vij ji, second time you have come to the well of the House. I will not allow you to do so. (Interruption)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जाति सूचक गाली दी गई।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपने जयवीर बाल्मीकि जी को परमीटिड किया हुआ है फिर ये उनकी बात को क्यों सुनना नहीं चाहते? ये उस दिन भी कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं कहा। सर, आपके पास रिकॉर्डिंग है आप उसमें क्यों नहीं सुन लेते। केवल एक दलित साथी की आवाज को दबाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें न्याय चाहिए और यह पूरा सदन आपसे न्याय चाहता है। आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप उसमें देख सकते हैं। इन्होंने खड़े होकर मुझे गालियां दी थी। स्पीकर सर, हमें न्याय चाहिए। यह सदन जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें एक दलित विधायक का सरेआम अपमान किया गया है। स्पीकर सर, यह दलित समाज आपसे न्याय की उम्मीद रखता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, "अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि मैं अपनी सीट पर ही बैठा था और मैंने सीट पर बैठे-बैठे ही बड़ी विनम्रता से बात कही",जोकि सच नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, ...

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है और पूरा प्रदेश आपकी तरफ इस बात के लिए देख रहा है कि स्पीकर जो भी फैसला देंगे सही देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, ...

Mr. Speaker : Vij Sahib, you may resume your seat otherwise I will name you. Go back to your seat. (Interruption) I warn you last time. Go back to your seat. All members go back to your seats. I am warning you. Do not disturb the House. Do not stand in the well of the House. I am going to name who is standing in the well of the House. Go back to your seats.

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह पूरा दलित समाज आपसे न्याय की गुहार कर रहा है। आप न्याय कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am requesting you that you may all resume your seats. Please sit down, Mr. Majra. माजरा जी आप बैठ जाइए। Please sit down. आप सभी बैठ जाइये। आप फिर खड़े हो गए। Mr. Majra, I am requesting you time and again. Please sit down. (Interruption) This is the last warning to you, Mr. Majra.

श्री राम पाल माजरा : * * * * *

Mr. Speaker : Majra Ji, you are a senior Member. It is not only my responsibility to run the House. It is yours as well. (Interruption) Nothing is to be recorded here.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज: * * * * *

Mr. Speaker: Anything said by Mr. Majra and Mr. Vij without my permission, will not be recorded. माजरा जी , आप बड़े सीनियर मैम्बर हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप अपनी सीट पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) आप एक सीनियर और सीजंड मैम्बर हैं, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर,...........

श्री अध्यक्ष:विज साहब, आप प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठिये नहीं तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, इससे ज्यादा आप और कर भी क्या सकते हो?

Mr. Speaker: Alright, I am going to name you. Mr. Vij. Despite my request you do not sit. If you will not sit you will be taken out of the House.(Interruption) विज साहब, मैंने आपको दस बार रिक्वैस्ट किया कि आप अपनी सीट पर बैठ जाईये then I will decide. (interruption) Alright, I am naming you. Are you sitting or I call you out of the House? (Interruption). आप बैठ रहे हैं या नहीं? आप बैठ जाईये and don't stand up again without my permission (Interruption) प्लीज बैठिये (शोर एवं व्यवधान)। You can only ask for it. (Interruption).

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप बोलने के लिए उठ तो गये हो लेकिन पहले मेरे से पूछ तो लो कि मैं बोलना चाहता हूं (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति दे रहे हो? अगर आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे तभी तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपसे काफी देर से बोलने के लिए परमिशन मांग रहा हूं लेकिन आपने मुझे अभी तक बोलने की परमिशन नहीं दी है। मैं आपसे न्याय मांगता हूं। सारा दलित समाज आपकी तरफ देख रहा है। मुझे न्याय चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जयवीर जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिये, मैं आपको भी बोलने का मौका जरूर दूंगा (शोर एवं व्यवधान)।

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, आप जयवीर जी को तो मौका देने की बात कह रहे हो और मैं पिछले 15 मिनट से आपसे परमिशन मांग रहा हूं आपने मेरे को तो परमिशन नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हो? (शोर एवं व्यवधान) यह कोई बात हुई? (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से तो हम लोगों को वैल में ही आना पड़ेगा (शोर एवं व्यवधान)।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी परमिशन से अपनी बात रखना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिये (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Speaker: Please Sit down.(noise & Interruption) श्री अभय सिंह चौटाला जी का ब्यान आ चुका है कि वह अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे (शोर एवं व्यवधान)।

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोदय............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय,............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाह रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, अजीब बात है मैं खड़ा हूं मुझसे तो आप बात नहीं कर रहे हो और उनको इशारा करके पूछ रहे हो कि क्या कहना चाहते हो (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप प्लीज मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। आप मुझे धमका रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, डॉ. अजय सिंह चौटाला व श्री शेर सिंह बड़शामी को छोड़कर इंडियन नैशनल लोकदल के दूसरे सभी सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हरियाणा जनहित कांग्रेस की एकमात्र सदस्या अपनी सीट पर ही खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

(इंडियन नैशनल कांग्रेस के भी कुछ सदस्य वैल में आकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।)

श्री जयवीर सिंह: स्पीकर सर, आपके पास तो सारी ऑडियो वीडियो है* * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please sit down. I am requesting you to please sit down. प्लीज आप बैठिये (शोर एवं व्यवधान)। बड़शामी जी, आप प्लीज बैठिये। आप हमेशा धमकाने वाले लहजे में बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज बैठिए। आपने कई मैम्बर्स को भी धमकाया है (शोर एवं व्यवधान)। प्लीज आप बैठिये (शोर एवं व्यवधान)।

श्री जयवीर सिंह: स्पीकर सर, यह एक दलित के सम्मान की बात है .... (शोर एवं व्यवधान)।

श्री शेर सिंह बड़शामी: स्पीकर सर, हमें भी बोलने का अधिकार है? (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: बोल सकते हैं (शोर एवं व्यवधान) लेकिन बारी आने पर ही बोला जाता है आपके पीछे से तो पांच आदमी और बोल रहे हैं (शोर एवं व्यवधान) what should I do? (Interruption) No, I will not allow. (Interruption) I will not allow. (Interruption)I will not allow. (Interruption) आप लोग तो सारे ही बोल रहे थे (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज बैठिए। Go back to your seats.

श्री जयवीर सिंह: स्पीकर सर, यह एक दलित के सम्मान की बात है........... (शोर एवं व्यवधान)। सर, हमें आपसे न्याय चाहिए (शोर एवं व्यवधान)। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। यहां सदन में दलित की आवाज को अपोजीशन के द्वारा दबाया जा रहा है (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, पहले आप इनको कंट्रोल कीजिये उसके बाद ही मैं बोलूंगा (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप प्लीज बैठिए। सभी माननीय सदस्य प्लीज आप बैठिये। हरिचंद जी, आप भी प्लीज बैठिये।

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये लोग दलितों का अपमान करने वाले हैं... (शोर एवं व्यवधान)। कांग्रेसी तो गरीबों के लिये मर भी सकते हैं (शोर एवं व्यवधान)।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ तो मुझे किया है और बोल दूसरी तरफ के मैम्बर्ज रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र और सादर निवेदन है (शोर एवं व्यवधान) आपने श्री जयवीर सिंह बाल्मीकि को अपनी बात कहने की इजाजत दी थी। इतनी देर में व्यवधान डाल दिया गया और उनकी बात हमें सुन नहीं पाई। (शोर एवं व्यवधान) महोदय, माननीय सदस्य अभी भी अपनी लैग्ज पर हैं उनको अपनी बात कहने का मौका दीजिये। यह मेरा आपसे सादर निवेदन है (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अलाऊ किया है फिर भी ये मैडम खड़ी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, आज पूरा हरियाणा प्रदेश आपके मुंह की तरफ देख रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक महिला मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आप 3-4 बार यहां तक आ चुके हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Please everybody go back to your seat.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश का दलित समाज आपकी तरफ देख रहा है। जितना बड़ा अन्याय भाई जयवीर बाल्मीकि के साथ यहां हुआ है, वह बहुत ही दुखद है। हरियाणा प्रदेश में 20 परसैंट से ज्यादा बाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान) उनको जातिसूचक शब्द कहे गए हैं। जब तक ये सदन में माफी नहीं मांगते हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इन्होंने दलितों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है। दलितों के प्रति इनकी ऐसी भावना है। इस देश का हरेक व्यक्ति सम्मानित है। पहले तो इन्होंने यहां बैठे बैठे कहा कि ये लोग ऐसे ही चुनकर आ गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम भी वोटों से चुनकर आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिये, ये उनके प्रति ऐस्पर्शन है। जो रिजर्वेशन मिली, जिसकी वजह से जो लोग यहां चुनकर आए हैं वे उन लोगों के वोटों से ही चुनकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जब तक इस सदन में माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने

देंगे।(शोर एवं व्यवधान) आज हमारे बाल्मीकि समाज को इन्होंने बहुत ज्यादा आहत किया है। जब तक ये यहां माफी नहीं मांगेंगे। हम सदन नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल में आ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे।) (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इनसे माफी मंगवाएं।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please everybody go back to your seat.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई जयवीर बाल्मीकि का इस सदन में अपमान हुआ है, उसका जवाब हमें चाहिए। हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं और न्याय की अपेक्षा रखते हैं। (शोर एवं व्यवधान) यहां पर जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें यहां पर धमकाया गया है। हम आपसे इस मामले में पूरे न्याय की उम्मीद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमारे सम्मानित सी.पी.एस. को यहां जान से मारने की धमकी दी गई है। हम इनकी यह तानाशाही सदन में नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल और शिरोमणी अकाली दल के कई सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करते रहे।)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the House is adjourned for 15 minutes. Leader of BJP, Leader of Opposition and Parliamentary Affairs Minister may please come to my Chamber.

*15.55 hrs. (The Sabha then *adjourned for 15 minutes and re-assembled at 4.10 P.M.)

Deputy Speaker : Hon'ble Members, the House is adjourned for 10 minutes.

(The House adjourned at 4.10 P.M. and re-assembled at 4.20 P.M.)

चेयर द्वारा अपील

श्री अध्यक्ष : सभी सम्मानित विधायकगण, हरियाणा प्रदेश का यह महान सदन जिसके आप सदस्य हैं यह लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां पर आप प्रदेश के लोगों की आवाज़ को सुनाने के लिए आते हैं न कि दबाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि पिछले दो दिनों से इस महान सदन में जिन महान मुद्दों पर, जो कि लोक हित के मुद्दे हैं, चर्चा होनी चाहिए थी वह चर्चा नहीं हो पा रही है। इसका कोई न कोई हल हमें निकालना ही होगा। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी सदन की गरिमा के साथ-साथ अपनी स्वयं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कृपा करके सदन को चलने दें और इस सदन की कार्यवाही को चलाने में मुझे सहयोग करें क्योंकि सदन को चलाने की जिम्मेदारी अकेले अध्यक्ष की नहीं है सत्तापक्ष की भी उतनी है और डैमोक्रेसी के इम्पोर्टैंट कम्पोनैंट विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर सदन बनाते हैं इसलिए हम सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करना चाहिए और इस सदन की कार्यवाही को

[श्री अध्यक्ष]
शांतिपूर्वक व सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। श्री मोहम्मद इलियास ने जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर की सीट के साइड में खड़े होकर नारे लगाये वह इस सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य को कतई शोभा नहीं देता। ये सदन के सदस्य है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका अनुशासन में विश्वास हो इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता। It is totally unacceptable behaviour ये एक ऐसे सदस्य हैं जो पहली या दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार इस सदन में चुनकर आये हैं।

चौधरी मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, मैं सादर कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा श्री जयवीर सिंह बाल्मीकि जी ने मेरे सामने लिखित रूप में उठाया था वह साधारण बात नहीं है। उसके बारे में मैं अब यह कह दूं कि यह सच है या यह झूठ है या इसके बारे में जांच की जाये तो यह बड़ा मुश्किल है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी बात को बड़ी मजबूती से कहा जा रहा है। मैं यह चाहता हूं कि इस मुद्दे का कोई हल निकाला जाये क्योंकि इसको निरंतरता देना लोकतंत्र की परम्पराओं के विपरीत है। एक माननीय सदस्य जो मुख्य संसदीय सचिव भी हैं उन्होंने अपनी बात लिखित रूप में मुझे दी है। श्री अभय चौटाला जी ने सदन को बताया कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। उस समय वह अपनी सीट पर बैठे थे। उन्होंने न तो किसी को कोई धमकी दी और न ही कोई दूसरी बात की। अब मैं इस चर्चा को एक निर्णायक रूप देना चाहता हूं। यहां विपक्ष द्वारा आरोप लगाये जाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर एक ही समय में 15-15 माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर अपने-अपने ढंग से अपनी बात कहना शुरू कर देंगे तो ऐसी स्थिति में मैं किसको बोलने के लिए अलाऊ करूं ? हरेक आदमी एक अलग मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। हरेक आदमी का अलग मुद्दा है और इसी प्रकार से हरेक दल का भी अपना अलग मुद्दा है। अगर एक ही दल के 15-20 सदस्य एक साथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हो जायेंगे तो मुझे समझ में कैसे आयेगा कि कौन सा सदस्य कौन सा मुद्दा उठाना चाहता है। माननीय सदस्यों को इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए कि अध्यक्ष की परमिशन लेकर एक समय में सिर्फ एक माननीय सदस्य को ही बोलने के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों को इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही सभी माननीय सदस्यों की भी है यानि इस सदन को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। श्री जयवीर बाल्मीकि ने आज फिर मुझे यह बात कही है और यहाँ पर इस बारे में नारेबाजी भी हुई है।

श्री जगदीश नैय्यर : सर, एक शिकायत मैंने भी तो दी थी।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात का भी जिक्र होगा जब जिक्र का टाइम आयेगा। श्री अभय सिंह चौटाला जी, लास्टली आपको कुछ कहना है, या आपकी तरफ से कोई और कुछ कहना चाहता हो ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह इश्यू उस दिन भी उठा था।

श्री अध्यक्ष : आप आखरी बार कुछ कहना चाह रहे हैं या वे भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप मेरी बात सुनिए। स्पीकर सर, आखरी बार 24 अगस्त को भी यह इश्यू उठा था हमने उस समय भी आपसे अनुरोध किया था कि आप हाउस की एक कमेटी बना दें वह निर्णय कर देगी। इस समय जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाये। एक सदस्य ने दूसरे सदस्य पर आरोप लगाया और दूसरे सदस्य ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। अगर उस बात से आप या हाउस सन्तुष्ट नहीं हैं तो उस पर एक हाउस की कमेटी बना लें। हम आप पर छोड़ देते हैं आप जो फैसला करेंगे वह हमें मंजूर होगा। परन्तु इस इश्यू को आगे लाकर जो दूसरे इश्यूज हैं उनको गोल करने का प्रयास न किया जाये। यह बात ठीक नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री अशोक अरोड़ा जी ने आपके सामने रखी है मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ कि यह कोई इश्यू नहीं था बल्कि यह इश्यू बनाया गया है। हमने उस दिन भी रिक्वैस्ट की थी कि इस इश्यू पर एक कमेटी बना दी जाये। उस कमेटी के मैम्बर्ज जो भी फैसला करेंगे वह हमें मंजूर होगा और दूसरे माननीय सदस्य को भी मंजूर होना चाहिए जिसने शिकायत की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने मेरे सामने कहा था कि आप अपनी सीट पर थे और आपने कोई बात नहीं कही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उस बात के बाद इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि जब एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि मैं अपनी सीट पर था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप फिर बात को घुमा रहे हो, आप इस इश्यू को खत्म नहीं करना चाहते लेकिन आप यह चाहते हैं कि यह हाउस न चले और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि हाउस चले।

श्री अभय सिंह चौटाला : हां, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हाउस चले।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : हम तो चाहते हैं कि हाउस चले लेकिन आप कहाँ चाहते हैं कि हाउस चले ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पष्टीकरण तो मैंने आपको दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश चौटाला जी, आप बोलिए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : क्या आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया है अब कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा?

Mr. Speaker : I will not allow any disturbance please on this Mudda आप सिर्फ इसी मुद्दे पर अपनी बात कहें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ और मैं बिना मुद्दे के कभी बात नहीं करता। आपको गुस्सा पता नहीं कैसे आ जाता है ? अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के सर्वसम्मत सम्मानित सदस्य के रूप में इस कुर्सी पर बिठाये गये हैं। आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि हाउस के सभी मैम्बर्स को समान अवसर प्रदान किया जाये। आप अगर इसको महसूस न करें तो मैं आपको बताऊं कि 24 अगस्त के कटु वातावरण में आपने अपने डिप्टी सैक्रेट्री को मेरे पास भेजा और मुझे बुलाया और मैं जब वहाँ से चल कर यहाँ आया तो आपके उसी डिप्टी सैक्रेट्री ने कह दिया कि नहीं, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, क्या यह ठीक है ? मैं जो कह रहा हूँ, क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए, मैं बाद में बताऊंगा। I have noted your point.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : नहीं अगर गलत हो तो बताओ, आपके डिप्टी सैक्रेट्री कुलदीप सिंह आपके पास ही खड़े हैं इनसे पूछो कि ये आपके कहने से गये थे या अपनी मर्जी से गये थे।

श्री अध्यक्ष : जब आपकी बात समाप्त हो जायेगी तब मैं जवाब दूंगा।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : नहीं, आप बीच-बीच में बताते रहिये। जब और कटु बात आयेगी तो आप तलखी में आ जाओगे।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी तलखी में नहीं आता।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : तलखी में तो आ गये थे, तुरन्त ही आ गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह क्रॉस इग्जामिनेशन चल रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : फिर वही बात हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे ठीक बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : इस सदन और इस कांस्टीच्यूशन सिस्टम की एक परम्परा रही है कि लीडर ऑफ दी हाउस तो किसी समय भी इन्टरवीन कर सकता है लेकिन किसी और को तो यह अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में आज आप अपनी रूलिंग दे ही दीजिए कि पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इन्टरवीन करने का अख्तियार है या नहीं। I request for your ruling. चौटाला जी हर बार खड़े हो कर यही बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : कैसा अधिकार, यह अधिकार किसने दिया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सम्मानित तरीके से बुलाता हूँ लेकिन ये इससे आगे नहीं पहुंचते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : इसको भी अधिकार दिया है, गीता भुक्कल को भी अधिकार दिया गया है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कह रहा था कि आपकी जिम्मेवारी हाउस को ठीक ढंग से चलाने की है।

श्री अध्यक्ष : हाउस को ठीक ढंग से चलाने की क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेवारी है ?

चेयर के विरुद्ध आक्षेप

श्री ओमप्रकाश चौटाला : हाँ सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है क्योंकि आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आपकी बात हर एक को माननी पड़ती है और अगर कोई नहीं माने तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं ? अध्यक्ष महोदय आपका काम सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाना है। यह देखना भी आपका फर्ज है कि सबको बोलने के लिए समान अवसर मिल रहा है या नहीं। आज तक हमारी एक भी कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर नहीं की गई। आखिर हम कहां जाएंगे। विपक्ष के लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपनी तरफ से प्रजातान्त्रिक तरीके से प्रयास करें यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। अध्यक्ष महोदय अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम वैल में ही आएंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री इतिहास में डैमोक्रेसी में कहीं कोई मिसाल देखी है कि रूलिंग पार्टी के लोग भी वैल में आ जाते हों, विपक्ष के लोग तो हाउस की वैल में आया करते हैं लेकिन अगर रूलिंग पार्टी के लोग भी वैल में आ जाते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर मैं यह कहूँ कि उस साजिश के आप * * * हैं तो आपको बहुत पीड़ा होगी। हां * * * मैं फिर दोहरा रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अब संसदीय प्रणाली की सारी मर्यादाएं भंग हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने संसदीय प्रणाली की सारी हदें पार कर दी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं जवाब देने में सक्षम हूँ मैं बताऊंगा कि * * * कौन है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि यह जो * * * शब्द का इस्तेमाल किया है यह परम्परा के बहुत खिलाफ है स्पीकर के अगेंसट इस तरह के शब्द यूज करना ठीक नहीं है इसलिए इसको विदड्रा करें। ये अपनी बात कहें हम इनकी बात सुन रहे हैं। अब ये * * * शब्द रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। He should not be allowed to speak like this. (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह शब्द विदड्रा करने के लिए नहीं बल्कि इस पर और जोर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं बार-बार इस बात को कहूँगा कि आप उस साजिश के * * * हैं और इसका सबूत हमें 24 तारीख को मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कौन किसका * * * है यह बात सारे हरियाणा को मालूम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपका रवैया ठीक नहीं है। चेयर की गरिमा को कायम रखना आपका फर्ज है। चेयर तो बदलती रहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा को कायम रखना केवल आपका काम नहीं है बल्कि हाउस की गरिमा को कायम रखने की जिम्मेदारी इनकी भी है। अगर हाउस के अध्यक्ष के लिए यह बात कही जाएगी तो यह गलत परम्परा है। अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा कायम रखने के लिए आपको यह शब्द विदड्रा करना पड़ेगा। He should withdraw his words. He should not allow to proceed.

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री चौटाला जी आप जो ये * * * शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप * * * शब्द को वापस लेने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई शब्द वापस नहीं लूँगा बल्कि इस पर और जोर देकर कहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप * * * शब्द को वापस नहीं लोगे।

Shri Om Parkash Chautala : Question does not arise. अध्यक्ष महोदय, मैं कोई शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं बहुत सोच समझकर ही कोई बात कहता हूँ और मैं प्रमाण के साथ यह बात कह रहा हूँ कि आप उस साजिश के * * * हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जिस मर्यादा की दुहाई दे रहे थे चलो आप अपनी बात कम्पलीट करो बाद में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाकर के और फिर दोबारा रोककर के अपमानित करने का काम किया है और मेरी गैरहाजिरी में आपने स्वयं वह चिट्ठी पढ़कर सुनाई। (विघ्न) ये क्यों बार-बार बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने मुझे अलाऊ कर रखा है तो मैं बोल रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रकार से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार वे चेयर को अपमानित नहीं कर सकते और ना ही वह पूरे सदन को अपमानित कर सकते हैं। इस प्रकार का उनका कोई अधिकार नहीं है। उनका कभी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा तानाशाही के लिए वह पूरे प्रांत में जाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तानाशाही की वजह से वे आपके सम्मान में और पूरे सदन के सम्मान में इस प्रकार की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इनके द्वारा जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको हाऊस के रिकॉर्ड में एक्सपंज किया जाए नहीं तो यह हाऊस प्रजातन्त्र का मंदिर नहीं रहेगा और तानाशाही की रिवायत यहां पर पड़ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आदरणीय चौटाला जी को यह कहें कि वह अपने शब्द वापिस लें, हाउस से माफी मांगे और हाउस के साथ-साथ आपसे भी माफी मांगे। अध्यक्ष महोदय, केवल गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। यह हरियाणा की जनता है और इन्होंने ही इन्हें यहां बिठाया है। इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करके अगर ये कभी सत्ता में आने की उम्मीद भी करते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा कि ये अपनी उम्मीद को छोड़ दें। अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली की अपनी मान्यताएं हैं उसके अपने मापदण्ड हैं इनको उन मान्यताओं और मापदण्डों के अन्दर रह कर अनुशासन में रहकर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है जिसका हम लोग भी सम्मान करते हैं। विपक्ष के नेता ने जब एक मंत्री बोलने लगे तो उनके ऊपर भी आक्षेप किये, एक मुख्य संसदीय सचिव बोलने लगे तो उनके ऊपर भी आक्षेप किये और इस प्रकार की बात कही जिससे न केवल पूरे सदन का बल्कि सम्मानित चेयर का भी अनादर हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से न संसदीय कार्यवाही चल पायेगी, न इस सदन की कार्यवाही चल पायेगी और न विपक्ष के नेता अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक तरह से कर पायेंगे (शोर एवं विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, यह जिम्मेवारी न केवल आपकी है बल्कि पूरे सदन और विपक्ष के नेता के तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की खुद की जिम्मेवारी भी है कि वह आयु और तजुर्बे दोनों में जो अपने

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज किया गया।

से बडे और छोटे हैं ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करें (शोर एवं विघ्न) तभी अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय कार्यवाही आप चला पायेंगे और तभी हम सम्मान कर पायेंगे (शोर एवं विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय चौटाला जी को यह कहना चाहता हूं कि अगर वह और कोई बात का संज्ञान लेना ही नही चाहते तो सदन के अन्दर जो पिलर पर लिखा हुआ है उसको तो उन्हें कम से कम पढ ही लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, क्या आप अपने शब्द वापस ले रहे हो?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, शब्द वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। Question does not arise.

श्रीमती अनीता यादव: स्पीकर साहब, जो इस सदन में एक पिलर पर माननीय सदस्यों को सदन में बोलने के बारे में लिखा है एक बार आप उसको चौटाला साहब से पढवा लें (शोर एवं व्यवधान)।

श्री आनन्द सिंह दांगी: स्पीकर साहब, जो चौटाला जी ने * * * शब्द का प्रयोग किया है उनसे पूछो तो कि इसकी क्या डैफिनेशन है? (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो शब्द कहे हैं सबूत के साथ कहे हैं। वक्त आने पर मैं इसे प्रमाणित भी करूंगा (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप अपने शब्द वापस नहीं ले रहे हो?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं (शोर एवं व्यवधान)। मैंने जो कहा है ठीक कहा है और बिल्कुल सोच-समझकर ही कहा है।

(इस समय सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से संसदीय कार्यवाही नहीं चलेगी। किसी भी सदस्य को चाहे वह कितना भी पुराना सदस्य क्यों न हो यह अधिकार नहीं है कि वह पूरे हाउस को रैनसम पर ले ले(शोर एवं व्यवधान)।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो शब्द कहे हैं वह अनपार्लियामैंट्री शब्द हैं तथा चेयर के लिए एस्पर्शनस हैं। यदि चौटाला साहब इन शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तो इन शब्दों को रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हुड्डा साहब, आपकी पंचायत की जरूरत ही नहीं है यह काम तो चेयर पहले से करती आई है। इसमें आपकी पंचायत की जरूरत नहीं है (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Speaker : I will not allow anything less than the apology. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब तो एक ही जुबान में दो जुबानें बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हाउस के नेता को इंटरवीन करने का अधिकार है। मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो ये भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनको बैठकर बात सुननी तो चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हुड्डा साहब, आप उठकर कहां बात करते हो, आप तो बैठे-बैठे ही बोलते हैं (शोर एवं व्यवधान)।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो चौटाला साहब ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहे हैं इनको रिकॉर्ड से निकाल दिया जायें (शोर एवं व्यवधान)। सारा हाउस इस बात का गवाह है जब मैं अपनी बात कह रहा था तो चौटाला साहब खड़े हो गये थे। अध्यक्ष महोदय, इसका तो आपके पास रिकॉर्ड है आप चाहे तो निकलवाकर देख लीजिये। इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त हो जायेगा कि चौटाला जी मेरे बैठने के बाद खड़े हुए थे या नहीं (शोर एवं व्यवधान)। अगर यह सच न निकला तो मैं भी मान लूंगा कि चौटाला साहब सही कह रहे थे (शोर एवं व्यवधान)।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौटाला जी इस सदन के पुराने सदस्य हैं तथा विपक्ष के नेता भी हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर और एक पुराने तजुर्बेकार सदस्य के तौर पर इनका अपना अनुभव है। उम्र का भी एक तकाजा होता है और इनको अपनी उम्र का भी तजुर्बा है। कोई सदस्य चाहे पहली बार चुनकर आया हो या वह छटी बार चुनकर आया हो हम सबकी संसदीय प्रणाली को निर्वहन करने की जिम्मेवारी है। हम सब के अन्दर एक दूसरे के प्रति सम्मान की और विशेषतौर से इस सदन और स्पीकर की चेयर के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर की चेयर की गरिमा का निर्वहन करना केवल आपकी ही जिम्मेवारी नहीं है बल्कि यह जिम्मेवारी सदन के नेता के साथ-साथ विपक्ष के नेता की भी है और इसके साथ-साथ यह जिम्मेवारी हर सम्मानित सदस्य की भी बन जाती है। मैं भी तीसरी बार चुनकर इस सदन में आया हूं लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने पहली बार इस सदन में चेयर के प्रति दुर्भावना से की गई शब्दावली का प्रयोग होते हुए देखा है। स्पीकर सर, मैं बड़े भारी मन और पीड़ा से आपको कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता को ये शब्द वापस लेने चाहिएं। विपक्ष के नेता को चेयर से और सदन से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली, चेयर को धमकाने का रवैया, चेयर के प्रति अपमान का रवैया, चेयर के प्रति अपमान की शब्दावली एक सदस्य के तौर पर तथा एक संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर हमें बिल्कुल नामंजूर है इसलिए मेरा चौटाला जी से अनुरोध है कि उनको चेयर से भी माफी मांगनी चाहिए, सदन से भी माफी मांगनी चाहिए और अपने द्वारा कहे शब्द वापस ले लेने चाहिएं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि चेयर के खिलाफ पहली बार ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। मै आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चेयर द्वारा विपक्ष के नेता को बुलाना और बाद में कह देना कि आने की जरूरत नहीं है और उसके बाद आपके हाथ में कागज पकड़ा दिया जाना यह भी पहली बार ही हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात श्री अशोक अरोड़ा जी को याद दिलाना चाहूंगा कि श्री अशोक अरोड़ा जी तो ऐसे स्पीकर थे जो उस समय के मुख्य विपक्ष कांग्रेस के सदस्यों को सदन से बाहर निकालकर कुंडी लगा लिया करते थे और सदन की कार्यवाही चलाया करते थे। (शोर एवं व्यवधान) ये इनका खुद का रवैया रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सुरजेवाला जी, आपने यह अशोक अरोड़ा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। स्पीकर सर, आपके पास रिकार्ड है आप देख सकते हैं। जब अशोक अरोड़ा स्पीकर बना था तो इस हाउस का ऐसा पहला स्पीकर था जिसने पार्टी भी छोड़ी थी, पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में भी नहीं गया था। किसी सदस्य को नेम भी नहीं किया था और सदन से बाहर भी नहीं निकाला था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, आज विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सदन की गरिमा के विपरीत है। कौन * * * है, किसका कैसा इतिहास है। * * * वाले काम किसने किए हैं, यह सभी जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान) कौन व्यक्ति * * * है * * * की तरह किसने हाउस को चलाया है ? कितने कांडों में कौन कौन है यह हरियाणा विधान सभा का अध्यक्ष जानता है। जिसको * * * कहा गया है। यह भाषा विपक्ष के नेता की तो हो सकती है इसलिए यह विपक्ष के नेता को समझाइए। मुझे मत समझाइए। जिन लोगों के ऊपर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं वे मुझे * * * कह रहे हैं। * * * ये हैं। (शोर एवं व्यवधान) (शेम शेम की आवाजें) जो लोग अनपार्लियामैंट्री भाषा का इस्तेमाल करते हैं वे लोग मर्यादा की बातें करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आज ये मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। these remarks may be expunged. These remarks may taken away from the proceedings of the House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि They can't be expunged. Speaker Sir, I am bringing a resolution in this regard.

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के आचरण की निन्दा करने सम्बन्धी संकल्प

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a resolution in regard to condemning the conduct of Shri Om Parkash Chautala in the House from the Parliamentary Affairs Minister. He may move his resolution.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That remarks passed by Shri Om Prakash Chautala, Leader of the Opposition and aspersions cast by him on the Chair and this august House not only be expunged but also his conduct should be condemned for casting such aspersions.

Mr. Speaker: Motion moved—

That remarks passed by Shri Om Prakash Chautala, Leader of the Opposition and aspersions cast by him on the Chair and this august House not only be expunged but also his conduct should be condemned for casting such aspersions.

Mr. Speaker: Question is—

That remarks passed by Shri Om Prakash Chautala, Leader of the Opposition and aspersions cast by him on the Chair and this august House not only be expunged but also his conduct should be condemned for casting such aspersions.

The motion was carried.

डॉ.अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : I have not allowed you. (Noise and interruption). Not to be recorded. I condemn the conduct.

श्री अध्यक्ष : जो कुछ मि.अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज किया गया।

मुख्य संसदीय सचिव : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे और पूरे बाल्मीकि समुदाय के मान-सम्मान की बात है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि यहां पर दलित समाज की आवाज को दबाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का निलम्बन

Mr. Speaker: Please go back to your seats. (Interruption). Please go to your seats. I am warning you. Please go back to your seats. चौटाला साहब, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आपने जो अनपार्लियामेंट्री शब्द कहे हैं, क्या आप उनको विदड्रा करेंगे ?

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी माननीय सदस्य और शिरोमणी अकाली दल पार्टी के एक मात्र सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक माननीय सदस्य श्री जयवीर बाल्मीकि आपकी परमिशन से अपनी लैग्ज पर है जोकि इस हाउस के माननीय सदस्य है। विपक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार से हाउस की वैल में आकर नहीं बोल सकते और एक दलित सदस्य की आवाज को नहीं दबा सकते।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाईये। अरोड़ा जी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये। Please go to your seat. I warn you. मैंने आपको वार्निंग दी है। I am warning you last time. I am warning you. Please go back to your seats. (Interruption) I am warning you last time again. Please go back to your seats.

श्री जयवीर सिंह : स्पीकर सर, मेरे मान-सम्मान को जो ठेस पहुंची है और जो दलित समाज का इस सदन में अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे इन्साफ चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: If you want to say any thing please go back to your seats. (Interruption) I am warning you last time again. Please go back to your seats. I am warning you last time. I am warning you.

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी माननीय सदस्य और शिरोमणी अकाली दल पार्टी के एक मात्र सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker: If you want to say any thing please go back to your seats. (Interruption) I am warning you last time again.

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, * * * *

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, * * * *

श्री मोहम्मद इलियास: स्पीकर सर, * * * *

Mr. Speaker: Please go back to your seats. (Interruption) I am warning you last time.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move:

That Shri Abhey Singh Chautala, Dr. Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Dr. Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh Nambardar, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Brara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Ram Pal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Present Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Shri Abhey Singh Chautala, Dr. Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Dr. Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh Nambardar, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Brara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Ram Pal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr.Speaker : Question is—

That Shri Abhey Singh Chautala, Dr. Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Dr. Bishan Lal Saini, Rao Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh Nambardar, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Brara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Ram Pal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]
the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Present Session.

The motion was carried.

(At this stage, all the suspended members of the INLD and Shiromani Akali Dal present in the House withdrew themselves from the House)

श्री जयवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 24.8.12 शुक्रवार को मैंने लिखित में शिकायत दर्ज की थी। यहां एक दलित समाज के अपमान की बात हुई है। मेरी भावना को ठेस पहुंचाई गई है। मुझे जातिसूचक गालियां दी गई और धमकियां दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से उम्मीद रखता हूं और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे यहां श्री ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा धमकियां दी गई और अभय सिंह चौटाला, जो इस सदन के विधायक भी है उन्होंने मुझे जातिसूचक गालियां दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है और मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि पूरे प्रदेश को और हरियाणा के दलित समाज को आपसे न्याय मिलेगा। जो कुछ भी इस सदन में हुआ उससे आज पूरे समाज में काफी रोष है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि सदन की गरिमा क्या होती है। हमें जनता चुनकर यहां भेजती है। जनता की हमसे उम्मीदें होती हैं। अगर यहां एक दूसरे के समाज का अपमान होता रहा तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे यहां न्याय दिया जाएगा, समाज को न्याय दिया जाएगा और पूरे प्रदेश को न्याय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हों, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हों उनके ऊपर सदन सख्त से सख्त कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, आपके पास बाकायदा सभी साधन उपलब्ध हैं। हाउस की कार्यवाही की आडियो और वीडियो रिकार्डिंग होती है उससे सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। कार्यवाही को देखने से पूरे सदन को भी पता चल जायेगा कि यहां पर हमारे साथ कितना निंदनीय व्यवहार उन लोगों ने किया है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे सदन को आप पर पूर्ण विश्वास है इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री जयवीर बाल्मीकि के विरुद्ध की गई जातिसूचक टिप्पणियों के मामले में अध्यक्ष महोदय का निर्णय

Mr. Speaker: Hon'ble Members, to verify the contents of the application submitted by Shri Jaiveer Singh Balmiki, C.P.S. wherein he has stated that he was called bad names even by 'Jatisuchak shabd' by Shri Abhay Singh Chautala, MLA in the House on 24.8.2012, I have enquired into the matter. I have watched the video clippings also which evidently depict that Shri Abhay Singh Chautala, MLA is visibly seen instigating other Members of INLD to show utter disregard to Shri Jaiveer Singh Balmiki. The gestures and actions of Shri Abhay Singh Chautala, MLA certainly establishes the allegations leveled against him. Such kind of conduct should be deprecated. However, to close the matter, to maintain harmony and for smooth functioning of the House, I am of the considered view that Shri Abhay Singh Chautala should be reprimanded by the House so that such incidents are not repeated in future. Is there any Member who wants to see the video clippings of the proceedings of that day?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं। आपने देख लिया हम सहमत हैं।

Mr. Speaker: All right.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, the reprimand is by calling a Member to the well of the House or reprimand is also sometime without calling a Member. What is the ruling of the Hon'ble Speaker on that Sir?

Mr. Speaker: We will call him. Since he has been suspended for the remainder of the Session, we will call him in the next Sitting. Whenever the House sits next for the Session, we will call him to the bar of the House and reprimand him.

Shri Randeep Singh Surjewala : All right, Sir.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि अपोजीशन के लीडर ने चेयर के लिए जो सरगना शब्द इस्तेमाल किया है वह बहुत ही अशोभनीय है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द पहले ही एक्सपैंज कर दिया गया है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अगर आपने उसको एक्सपैंज करवाया है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Apart from the fact that those remarks have been expunged, Shri Om Prakash Chautala and behaviour has been condemned by the House. A resolution in this regard has already been passed.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने सदन में इतने अशोभनीय शब्द बोले हैं उसने सदन में क्षमा याचना नहीं की। वे अपने आपको प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं और जनता के बीच जाकर किस तरह की बकवास करते हैं। कम से कम सदन में तो उनको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर यहां भी इस तरह से छूट मिल जायेगी तो फिर वे लोग कहीं भी कुछ भी कहेंगे।

Mr. Speaker: It only shows his own stature, own character and his own education and his upbringing and the way he has been brought up.

श्री आनंद सिंह दांगी : चलो आपकी भी यही इच्छा है तो ठीक है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो कुछ विपक्ष की तरफ से आज हुआ और फ्राईडे को भी हुआ उस पर आपने बड़ी फिराखदिली दिखाई लेकिन हमें बहुत ही मानसिक पीड़ा हो रही है। इन दो दिनों की कार्यवाही में जो प्रकरण विशेषकर चेयर के प्रति हम देख रहे हैं वह बहुत ही अशोभनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला अकेले आपके व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं हुआ, यह मामला आपसे संबंधित नहीं है बल्कि चेयर से संबंधित है और सारे हाउस की गरिमा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, आपके इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए इसका मतलब यही है कि ये जो फ्युडल लोग होते हैं उनकी भाषा ही इसी तरह की होती है लेकिन असैम्बली में फ्युडल का कोई प्लेस नहीं है यहां सारे मैम्बर्ज बराबर हैं। यहां चाहे कोई फ्युडल लॉर्ड

[प्रो० सम्पत सिंह]

फैमिली से आया हो, चाहे कोई साधारण परिवार से आया हो या फिर चाहे कोई मैम्बर किसी गरीब परिवार से आया हो यहां सब का बराबर का अधिकार है। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने और बाकी जो दूसरे संविधान के निर्माता थे उनके प्रयासों से यह बात संविधान में लिखवाई गई जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। अगर ये संविधान न होता, प्रजातंत्र न होता और कानून का राज न होता तो जयवीर भाई और सम्पत्त सिंह या और जो इस छोटे से समाज में पैदा होने वाले लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं होनी थी। न किसी ने हमें असैम्बली में आने देना था और न ही पार्लियामैंट में ही हमें किसी ने जाने देना था। जिस तरह की लॉ-लैसनैस विपक्ष के लोग बाहर करते हैं वैसे ही लॉ-लैसनैस का माहौल ये लोग यहां पर क्रियेट करना चाहते हैं। स्पीकर सर, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने सिरसा में लॉ-लैसनैस क्रियेट की हुई है वह बहुत चिंताजनक है। इनके द्वारा गुंडे भेज-भेज कर लोगों के प्लॉटों पर कब्जे करवाये जा रहे हैं और किसी के हाथ-पांव बुरी तरह से तोड़े जा रहे हैं। इस तरह की एक्टीविटीज़ ये लोग हाउस से बाहर कर रहे हैं उन पर नकेल डालना तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का काम है लेकिन अगर हाउस के अंदर भी इनके द्वारा इस प्रकार की बातें की जायें तो उसके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। स्पीकर सर, आपको धमकाने का मतलब पूरे सदन को धमकाना है और ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज़ यूज़ करना कि मेरा कुछ करना है तो कर लो, मेरा जो कुछ बिगाड़ना हो तो बिगाड़ लो मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता बहुत ही गलत है। इसी प्रकार की भाषा उनके सुपुत्र और पार्टी के दूसरे सदस्य भी बोलते हैं। ये लोग बैठे-बैठे जिस प्रकार से गालियां देते हैं उससे हमें असहनीय पीड़ा होती है। स्पीकर सर, अगर आईंदा से ऐसी बातें होंगी तो हम तो हाउस से उठकर बाहर चले जाया करेंगे क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। हमने इतना समय देखा है। यहां पर एक सिस्टम है जिसको हमें मज़बूत करना है। क्या हम हमेशा के लिए यहां पर रहेंगे। यहां कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा लेकिन यह सिस्टम हमेशा के लिए रहना चाहिए। अगर यह सिस्टम सही नहीं रहेगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस तरह का इनका रवैया है और इनका यह रवैया अगर आप इग्नोर करते हैं तो यह बिलकुल भी ठीक नहीं है। अगर आप इनके साथ इसी प्रकार से हैलिमी बरतेंगे तो इनका व्यवहार और बदतर होता जायेगा। आप उनके प्रति अपना बहुत नर्म स्वभाव दिखा रहे हैं। आप बहुत उदारदिली दिखा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चेयर का जो न्युट्रल करैक्टर होता है आपने उनके प्रति अपने व्यवहार में उससे ज्यादा उदारता दिखाई है लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा आपके प्रति इस प्रकार की भाषा यूज़ करना बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। उनका इस प्रकार का करैक्टर क्या शो करता है। मेरे विचार से उनका इस प्रकार का व्यवहार यही शो करता है कि उनकी नज़र में सदन की कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर सर, आपके अकेले की बात नहीं है और न ही किसी अकेले मैम्बर की बात है उनकी नज़र में पूरे सदन की और सदन के समय की कोई वैल्यू नहीं है। यह कितना प्रीशियस टाईम था। सभी मैम्बर अपने-अपने हल्के की समस्याओं को यहां उठाने के लिए कितनी तैयारियां करके आते हैं। आज के कालिंग अटैंशन मोशन को भी आप देखिए जो कि मैंने और श्री बतरा जी ने दिया हुआ है उसके लिए हमने 6 महीने तक तैयारी की थी। हम इसके लिए पता नहीं कहां-कहां से आंकड़े ढूंढकर लाये हैं लेकिन इन लोगों के पास चार गालियां देने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं है। इनको प्रदेश की समस्याओं से भी कोई मतलब नहीं

है। स्पीकर सर, इस प्रकार से हाउस के अंदर एकदम रैनसम क्रियेट कर देना, इस प्रकार की बॉथलैस एक्टीविटीज़ करना और स्पीकर के प्रति अभद्र भाषा का ही प्रयोग नहीं बल्कि अभद्र व्यवहार भी करना और जिसके लिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज़ थी और जो उनका बोलने का तरीका था वह बहुत ज्यादा निंदनीय है इससे ज्यादा अशोभनीय चीज़ और कोई नहीं हो सकती। स्पीकर सर, इस प्रकार के व्यवहार और बातों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों को काबू करने के लिए जो भी आपके पास हथियार हैं और आपके पास जो भी पॉवर है आप उसको यूज़ करें ताकि इस किस्म की एक्टीविटीज़ हाउस के अंदर दोबारा न हों। उनको ऐसा सबक दें जिससे इस प्रकार की बातें आगे से कोई भी माननीय सदस्य सदन के अंदर न करे। स्पीकर सर, अगर कोई माननीय सदस्य चेयर को ही धमकाना शुरू कर दे तो हमारे जैसे सदस्यों की क्या औकात रह जायेगी। हम तो आम सदस्य हैं। हम तो आपसे संरक्षण मांगते हैं और अगर कोई माननीय सदस्य संरक्षण करने वाली अथॉरिटी को ही चैलेंज करना और धमकाना शुरू कर दे, चेयर के प्रति अब्यूसिव लैंग्वेज़ यूज़ करने लग जाये, जो उनके दिल में आये वैसी भाषा बोलना शुरू कर दें तो यह सब बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने यहां पर जैसी भाषा बोली है वैसी तो कोई गांव-गली के लड़ाई-झगड़ों में भी यूज़ नहीं करता। उन लोगों ने तो गांव के झगड़ों में जो लैंग्वेज़ बोली जाती है उससे कहीं फालतू गलत लैंग्वेज़ यूज़ की है। सर, उनको सिर्फ अकेले कंडम करने से बात नहीं बनेगी क्योंकि उनको तो कंडम का मतलब ही नहीं पता है कि कंडम क्या चीज़ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके लिए आप कोई सख्त कार्यवाही का बंदोबस्त करें जिससे इनका सही ईलाज ढूंढा जा सके क्योंकि यह पूरे सदन की इज्जत का सवाल है अर्थात सदन के मान-सम्मान का सवाल है। धन्यवाद सर।

श्री अनिल धंतौड़ी : स्पीकर सर, मैं पहली बार चुनकर इस विधान सभा में आया हूं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि विधान सभा में हम जैसे जो नौजवान साथी हैं उनको अपने क्षेत्र की बात और समूचे हरियाणा की बातें और लोगों की भावनाओं को यहां रखने का मौका मिलेगा लेकिन 24 तारीख से लेकर आज तक जो चल रहा है वह बेहद निंदनीय है। मैं भी चौधरी सम्पत सिंह से पूरी तरह से सहमत हूं कि 24 तारीख को जिस प्रकार का व्यवहार हमारे आदरणीय सदस्य श्री जयवीर सिंह बाल्मिकी जी के साथ विपक्ष के साथियों द्वारा किया गया वह पूरी तरह से निंदनीय और अशोभनीय है। अध्यक्ष महोदय, आज जो आपके प्रति श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की शब्दावली थी और जो बोलने का तरीका था ये दोनों बेहद निंदनीय हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की भाषा का अगर इस सदन के अंदर प्रयोग किया जायेगा तो जो हमारी आने वाली जैनरेशन है जो हमें देख रही है, सुन रही है और पढ़ रही है इसका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जायेगा। यह सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके पास, चेयर के पास जो भी पॉवर्स हैं उनको यूज करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आने वाले दिनों में इस विधान सभा में और सदन में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग न हो।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से 24 अगस्त से हमारा हाउस चल रहा है और जिस प्रकार के यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं वह हैल्दी डैमोक्रेसी के लिए अच्छे साइन नहीं हैं। हम खुद भी नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार से वैल में जायें और शोर मचायें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, भाषा के ऊपर से नियन्त्रण दोनों तरफ से खोया जा रहा है। मैं किसी दूसरी पार्टी या दूसरे एम.एल.ए. का जिक्र नहीं करता, मैं तो अपनी

[श्री अनिल विज]

पार्टी और अपनी बात कहना चाहता हूँ। सर, हम चुनकर आये हैं, हमको जनता ने चुन कर भेजा है। हमारे सामने अनेक मसले होते हैं, हम लोगों की आवाज हैं और हमारे पास अनेक मुद्दे होते हैं। हमारे पास प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, विधान सभा स्तर के मुद्दे होते हैं और हम उनको यहाँ पर उठाना चाहते हैं लेकिन हमें उन मुद्दों को उठाने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता और फिर हमें जोर से बोलना पड़ता है। सर, हमें वैल में भी जाना पड़ता है और अपनी बात कहनी पड़ती है। हमें कोई ऐसा सिस्टम इवोल्व करना चाहिए, कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे इस तरह के हालात ही पैदा न हों। मैंने कई विधान सभाओं में जाकर देखा है। वहाँ पर क्वैश्चन आवर के बाद भी पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। अगर सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही हो तो सभी पार्टियों के एक-एक या दो-दो सदस्यों के व्यूज लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने कई कालिंग अटैन्शन मोशन दिये हुये हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण कालिंग अटैन्शन मोशन हैं। कई बार अचानक कोई मुद्दा आ सकता है, जिसका यहां नोटिस भी नहीं दिया होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सदस्य का राईट नहीं है कि वह उसको सदन में उठाये ? अगर मेरे यहाँ आते-आते रास्ते में मुझे किसी घटना की जानकारी हो जाये जिसको यहाँ पर उठाना जरूरी हो तो क्या उसके लिए नोटिस जरूरी है। उसको किस समय पर उठाया जा सकता है। सर, उसको उठाने का सही समय प्रश्न काल के बाद और लैजिस्लेटिव बिजनेस से पहले का जो समय है उसको कई जगह जीरो आवर भी बोलते हैं लेकिन यह कहीं पर डिफाइन नहीं है, उस समय में इस तरह के मुद्दे उठाये जा सकते हैं। उस समय में विधान सभा का मुद्दा उठाया जा सकता है, हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या को भी उठाया जा सकता है, कोई प्रदेश का मुद्दा भी उठाया जा सकता है, कोई बड़ी घटना हो गई है या होने वाली है उसको उठाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, समस्या यह नहीं है कि मुद्दा क्या है, समस्या यह है कि सिस्टम नहीं बना हुआ है जिसके कारण इस तरह के सीन्स क्रिएट होते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है और न हम चाहते हैं, हम चार-चार बार चुन कर आये हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात अपनी सीट पर खड़े हो कर बोलें ताकि हमारी बात आप तक भी पहुंचे और प्रदेश के लोगों तक भी पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, आपकी हंसी को देख कर मुझे एक शेयर याद आ रहा है :-

इस सदी में तेरे चेहरे पे तबस्सुम की लकीर,
हंसने वाले तेरा दिल जरूर पत्थर का होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं सहित नागरिकों को चिकित्सा सेवाओं/ सुविधाओं संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 3 from Shri Bharat Bhushan Batra, MLA regarding Medical Services/ Facilities to the citizens including pregnant women and infants. I admit it. I have also received a Calling Attention Notice No. 8 from Shri Sampat Singh MLA on the similar subject and it has been clubbed with the Calling Attention Notice No. 3. Shri Sampat Singh, MLA can also ask supplementary. Now, Shri Bharat Bhushan Batra may read out his notice.

@श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सामान्यतः यह देखा गया है कि शिशुओं की मृत्यु-दर बढ़ रही है। बच्चों, नवजात शिशुओं तथा महिलाओं का हीमोगोलोबिन स्तर कम हो रहा है। हमारे राज्य में जीवन की सामान्य अवधि क्या है ? गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को किस प्रकार का प्रोत्साहन, चिकित्सा सहायता तथा सुविधाएं दी जा रही हैं।

चिकित्सा सेवाओं में सरकारी प्रयास सराहनीय हैं परन्तु क्या ये सामान्य लोगों तक पहुंच रहे हैं ? क्या डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं औषधालयों इत्यादि में रात को रूकते हैं ? क्या डेंटल सर्जनों की नियुक्ति के पश्चात् भी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय डेंटल चेयर तथा उपकरणों सहित अन्य सुविधाओं से सज्जित हैं ?

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में अन्तरंग तथा बहिरंग रोगियों की क्षमता कितनी है ? यह क्षमता से कितनी अधिक है ? स्वास्थ्य विश्वविद्यालय राज्य का एक प्रतिष्ठित तथा अतिसम्मानित संस्थान है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली का बजट 1125 करोड़ रुपये, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का बजट 175 करोड़ रुपये है। स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, चण्डीगढ़ का बजट 546 करोड़ रुपये है। क्या सरकार का पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का बजट बढ़ाने का इरादा है ? बजट में वृद्धि के बिना, हम विशेषज्ञता तथा सर्वोच्च विशेषज्ञता का सपना नहीं देख सकते।

अतः मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह : इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्त्व के विषय कि ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वास्थ्य की हालत बिगड़ रही है। यद्यपि हरियाणा में 52 सिविल अस्पताल, 112 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 441 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2625 उप-केन्द्र, आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुष केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केन्द्र हैं। हरियाणा सरकार ने पी.जी.आई.मेडिकल कॉलेज, रोहतक का दर्जा पहले ही बढ़ा दिया है तथा पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विश्वविद्यालय को रोहतक में स्थापित कर दिया है। हरियाणा में तीन और चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं। अधिकतर अस्पतालों की इमारतों का ढांचा काफी बड़ा है तथा कुछ अस्पतालों में उपकरण भी प्रर्याप्त हैं।

जबकि सरकार तथा अन्य द्वारा, केन्द्रीय सरकार तथा रैड क्रॉस सोसाइटी इत्यादि द्वारा अधिक से अधिक चिकित्सा तथा अर्धचिकित्सा वाहन भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष इमारतों, उपकरणों तथा वाहनों इत्यादि पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। गरीब व्यक्तियों को सस्ती चिकित्सा सेवाएं देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अनेक अन्य चिकित्सा तथा बीमा योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। हरियाणा में शिशु मृत्यु-दर संकेतक तथा मातृक मृत्यु-दर देश में अब भी बहुत से अन्य राज्यों से अधिक है।

हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खाद्य उत्पादन, दूध उत्पादन, गन्ना, युवा एवं खेल कल्याण इत्यादि जैसे बहुत से पहलुओं में प्रथम स्थान पर है परन्तु स्वास्थ्य के मामले में राज्य पीछे रह गया है। भारत की 2011 की जनगणना निम्नलिखित स्वास्थ्य संकेतकों का मुख्य

@ Calling Attention Notice was read out by Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A.

[प्रो० सम्पत सिंह]

स्रोत है जो हरियाणा में स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है।

राज्य	एम.एम. आर.	मातृक मृत्यु दर	जीवन अवधि जोखिम
असम	390	27.5	1%
उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड	359	40.1	40%
राजस्थान	318	35.9	1.20%
मध्यप्रदेश/छतीसगढ	269	27.4	1%
बिहार/झारखण्ड	261	30.1	1.1%
उड़ीसा	258	19.5	0.70%
कर्नाटक	178	10.8	0.40%
पंजाब	172	11.3	0.40%
अन्य	160	10.2	0.40%
हरियाणा	153	13.5	0.50%
गुजरात	148	12.8	0.40%
पश्चिम बंगाल	145	9.2	0.30%
आन्ध्रप्रदेश	134	9.1	0.30%
महाराष्ट्र	104	6.9	0.20%
तमिलनाडू	97	5.6	0.20%
केरल	81	4.1	0.10%
भारत	212	16.3	0.60%

2010 में भारत के राज्यों में नवजात शिशु मृत्यु के संकेतक

राज्य	कुल मौतों में से नवजात शिशु की मौतों की प्रतिशतता	नवजात शिशु मृत्यु दर	नवजात प्रसव मृत्यु दर	पूर्व नवजात मृत्यु दर	प्रसव पूर्व मृत्यु दर	अब तक जन्म दर	5 से नीचे मृत्यु दर
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	10.6	46	30	24	31	7	48
असम	16.4	58	33	27	35	9	83
बिहार	19.6	48	31	27	28	1	64
छतीसगढ	16.1	51	37	26	37	12	61
दिल्ली	12.7	30	19	16	22	6	34
गुजरात	14.3	44	31	24	32	8	56
हरियाणा	16.1	48	33	25	34	9	55

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	7.4	40	31	25	35	10	49
जम्मु तथा कश्मीर	13.8	43	35	30	36	5	48
झारखण्ड	15.1	42	29	26	27	1	59
कर्नाटक	10.4	38	25	22	35	14	45
केरल	2.8	13	7	5	12	7	15
मध्यप्रदेश	20.4	62	44	34	42	8	82
महाराष्ट्र	7.4	28	22	17	24	7	33
उड़ीसा	14.4	361	42	33	41	8	78
पंजाब	8.1	34	25	19	25	6	43
राजस्थान	21.8	55	40	33	39	6	69
तमिलनाडू	5.0	24	16	13	23	10	27
उत्तरप्रदेश	21.2	61	42	30	35	5	79
पश्चिम बंगाल	8.5	31	23	19	28	9	37
भारत	14.5	49	33	25	32	7	59

अतः, वे स्वास्थ्य मंत्री से सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं।

वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will make a statement.

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं सदन के माननीय सदस्यों का राज्य के महत्त्वपूर्ण और गंभीर स्वास्थ्य सूचकों से जुड़े पहलुओं पर ध्यान आकर्षण करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य मापदण्डों को सुधारने के लिए निरन्तर कदम उठा रही है तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

राज्य में शिशु मृत्यु दर 66 (SRS 2001) से घट कर 60 (SRS 2005) हो गई थी और अब यह घट कर 48 (SRS 2010) तक आ गई है। ऐसे ही मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 186 (SRS 2004-06) से घट कर 153 (SRS 2007-09) पर आ गई है। कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) भी 3.0 (SRS 2004) से घट कर 2.3 (SRS 2010) हो गई है। संस्थागत प्रसवों की संख्या वर्ष 2006 में 49 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 77.3 प्रतिशत हो गई है। मुख्य रूप से यह वृद्धि सरकारी संस्थानों में हुई है। संस्थागत प्रसव 2006 में 16.30 प्रतिशत से बढ़ कर 2011 में 42.10 प्रतिशत हो गए हैं। यह जनता के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। यहां यह भी वर्णित किया जाता है कि हरियाणा राज्य पूरे देश में मातृ दर में 12वें और कुल प्रजनन दर में 7वें स्थान पर है जोकि राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर है। यद्यपि, राज्य का शिशु मृत्यु दर में 27वें स्थान पर होना एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (2006-10) के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों 2011 के अनुसार राज्य में पुरुषों की औसतन आयु (Life Expectancy) 67.9 वर्ष तथा महिलाओं की 69.8 वर्ष है जोकि

[राव नरेन्द्र सिंह]

पुरुषों की राष्ट्रीय औसत आयु 65.8 वर्ष व महिलाओं की राष्ट्रीय औसत आयु 68.1 वर्ष से अधिक है।

हरियाणा सरकार मृत्यु दर तथा बीमारियों को कम करने और औसतन आयु को बढ़ाने के लिए राज्य की जनता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा 54 अस्पताल, 110 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 466 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2,630 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज़ भी स्थापित की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का बजट वर्ष 2005-06 में 488.87 करोड़ रुपये से 3.25 गुणा बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1,585.96 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार द्वारा सभी ओ.पी.डी., आपातकालीन मरीजों व गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी जा रही हैं। गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए ओ.पी.डी. तथा अंतरंग ईलाज के लिए भी सभी दवाईयां मुफ्त दी जाती हैं। सस्ते सर्जरी पैकेज कार्यक्रम (Economical Surgery Package Programme) के तहत किफायती दरों पर सर्जरी की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्जरी की सुविधा गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों एवं स्लम ऐरिया के निवासियों के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, एक वर्ष तक के बच्चों और दुर्घटना के मामलों इत्यादि के लिए स्वास्थ्य वाहन सेवा (102) निःशुल्क उपलब्ध है। नवम्बर 2009 से अब तक लगभग 7.5 लाख लोग इस सुविधा का लोभ उठा चुके हैं। हाल ही में अम्बाला, मेवात, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में गैर-संक्रामक रोगों (Non-Communicable Diseases) जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर की रोकथाम व ईलाज के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य मापदण्डों में हुए इन समस्त सुधारों के बावजूद, प्रगति की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा इन मुद्दों को गहराई से समझते हुए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतू एन.आर.एच.एम. और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों, विशेषकर शहरी स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतू राज्य सरकार द्वारा "शहरी स्वास्थ्य मिशन" आरम्भ किया जा रहा है। इस प्रयास से शहरी स्वास्थ्य मापदण्डों विशेषतः स्लम बस्तियों के स्वास्थ्य मापदण्डों में सुधार आयेगा।

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को कम करने के लिए उठाए गए कदम

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में तेजी से कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों की योजना बनाने, अपनाने तथा लागू करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहां यह भी बताना उचित होगा कि मातृ मृत्यु अनुपात में कमी आने से मातृ मृत्यु दर तथा महिलाओं के जीवन-पर्यन्त मातृत्व कारणों से मृत्यु सम्बन्धी खतरों (Life Time Risk) में भी कमी आएगी। वर्ष 2012-13 में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 29.83 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मातृ मृत्यु के मुख्य कारण रक्तस्राव (24 प्रतिशत), सैप्सिस (15 प्रतिशत), उच्च रक्तचाप (12 प्रतिशत), असुरक्षित गर्भपात (13 प्रतिशत), प्रसव में बाधा (8 प्रतिशत) और अन्य (28 प्रतिशत) हैं। कुशल प्रसव कर्मियों द्वारा संस्थागत प्रसूति को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु को कम करना प्रमुख रणनीति है। गर्भवती महलाओं की प्रसव पूर्व जांच से

उच्च जोखिम गर्भावस्था (High Risk Pregnancy) को चिह्नित करके व उन्हें उत्तम प्रसव उपरांत देखभाल प्रदान कर मां और बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में सुरक्षित गर्भपात सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला अस्पताल के प्रसव कक्षों की क्षमता, संरचना तथा उपकरणों को उपलब्ध करवा कर अपग्रेड किया गया है और वर्तमान वर्ष में इसके लिए 160 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) एक राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत नि:शुल्क प्रसव सेवाएं (सिजेरियन सहित) और बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के साथ-साथ परिवहन सेवा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का उद्घाटन 1 जून 2011 को हरियाणा के मेवात जिले से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रसव से सम्बन्धित सभी जरूरत की वस्तुएं, दवाईयां व हर प्रकार की जांच (खून, पेशाब और अल्ट्रासाऊंड) तथा सामान्य प्रसव होने पर 3 दिन के लिए और सिजेरियन होने पर 7 दिन के लिए खुराक मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। गर्भवती महिलाएं व नवजात शिशुओं को यह सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष में 24.12 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

एन.आर.एच.एम. द्वारा चलाई जा रही **जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाय.)** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) एवं अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने पर 700/- रुपये की प्रोत्साहन राशि और घर में प्रसव होने पर बी.पी.एल. महिलाओं को 500/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे या अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने पर 600/- रुपये की प्रोत्साहन राशि और घर में प्रसव होने पर बी.पी.एल. महिलाओं को 500/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं (19 साल से ज्यादा उम्र की) को स्वास्थ्य संस्थान चाहे वह सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थान हो, में प्रसव करवाने पर 1500/- रुपये की सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2011-12 में जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार) और जननी सुरक्षा योजना (राज्य सरकार) का क्रमश: 65,659 और 38,283 महिलाओं ने लाभ उठाया।

राज्य में शुरूआती दौर में सुरक्षित संस्थागत प्रसूतियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान उप-केन्द्रों में डिलिवरी हट्स की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 471 डिलिवरी हट्स कार्य कर रही हैं। विचारोपरान्त विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव बढ़ाने का निर्णय लिया है। 24 घण्टे प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 1300 अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की भर्ती की जा चुकी है। उचित स्वास्थ्य उपकरण देकर व कर्मियों को नियुक्त कर 40 स्वास्थ्य संस्थानों (जिनमें जिला अस्पताल, उप-जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं) को प्रथम रैफरल यूनिट बना दिया गया है। इसके अन्तर्गत 24 x 7 आपातकालीन प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ और अनेस्थिटिस्ट लगाये गये हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.के.) के तहत डिलिवरी प्वाइंट पर नियुक्त स्टाफ को कुशल प्रसव कर्मी (एस.बी.ए.) का प्रशिक्षण व आवश्यक नवजात देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[राव नरेन्द्र सिंह]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (NFHS 3) के आंकड़ों के मुताबिक 69.7 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (15 से 49 वर्ष) अनीमिया ग्रस्त हैं। इस समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन फॉलिक एसिड (IFA) की गोलियां तथा हिमोग्लोबिनोमीटर उपलब्ध हो। सरकार हीमोग्लोबिन की जांच करने के लिए राज्य में एक नए और सरल उपाय **"कलर स्केप स्ट्रिप विधि"** की शुरूआत करने जा रही है। इसके साथ ही गम्भीर अनीमिया के मामलो में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए राज्य में रिवर्स ट्रैकिंग की पहल की है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी को महिलाओं के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी दी जाती है ताकि स्वास्थ्य कर्मी आपने कार्य में सुधार लाते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। Web Enabled Data Entry Module के माध्यम से कोताही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का Follow-up करने की शुरूआत की जा रही है। प्रत्येक स्तर पर मातृ मृत्यु को कम करने के लिए प्रत्येक मातृ मृत्यु (Maternal Death) के कारणों की जांच कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में कुल 360 मातृ मृत्यु (Maternal Death) के कारणों की समीक्षा की गई।

शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने के लिए उठाए गए कदम

शिशु मृत्यु के मुख्य कारणों में निमोनिया (15 प्रतिशत), Prematurity & Low Birth Weight (13 प्रतिशत), Birth Asphyxia and Birth Trauma (12 प्रतिशत), Neo Natal infection (12 प्रतिशत), Diarrhoeal Diseases (13 प्रतिशत), अन्य संक्रामक बीमारियां (7 प्रतिशत) तथा अन्य कारण (28 प्रतिशत) शामिल हैं। नवजात शिशुओं की मृत्यु के मुख्य कारणों में अपर्याप्त पोषण (Poor Nutrition), महिलाओं और किशोरियों में अनीमिया, नवजात बच्चों का कम वजन, स्तनपान शुरू करने में देरी, नवजात शिशु को उचित गरमाहट न दे पाना और बीमार शिशुओं के इलाज में देरी होना है। शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत चिकित्सा सुविधाएं, पारिवारिक एवं सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सुविधाओं को प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सभी प्रयास शिशु मृत्यु दर व इसके घटकों जैसे कि Early Neonatal Mortality, Neonatal Mortality, कुल मौतों में शिशु मृत्यु का अनुपात, Prenatal Mortality Rate, Still Birth Rate व under 5 Mortality Rate को भी कम करने में सहायक हैं।

राज्य में बीमार नवजात शिशुओं के लिए विशेष नवजात देखभाल तथा सभी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक नवजात देखभाल बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य आधार है। 1 से 2 प्रतिशत उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए राज्य के 13 जिलों में Sick Newborn Care Units (SNCUs) स्थापित किये जा चुके हैं व शेष जिलों में 31 मार्च 2013 तक यह इकाईयां स्थापित कर दी जाएंगी। उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में रैफर करने से पहले उनके स्थिरिकरण के लिए 10 जिलों के 11 उप जिला अस्पतालों और 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात स्थिरिकरण इकाईयां Newborn Stabilizing Units (NBSUs) स्थापित की जा चुकी हैं। बाकी बचे जिलों में, 31 मार्च 2013 तक 36 ऐसी इकाईयां स्थापित कर दी जाएंगी। 163 प्रसव केन्द्रों (24 X7) पर नवजात बच्चों की देखभाल व इलाज के लिए नवजात देखभाल केन्द्रों Newborn Care Corners (NBCC) की स्थापना की गई है और 31 मार्च 2013 तक 90 अन्य केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे।

शिशु मृत्यु दर व शिशुओं में रुग्णता को कम करने के उद्देश्य से सुविधा आधारित नवजात देखभाल के अतिरिक्त घरेलु प्रसवोत्तर देखभाल कार्यक्रम Home based Neonatal Care (HBNC) को लागू किया गया है। यह योजना NIPIUNOPS (Norway-India partnership Initiative United Nations Office for Project Services) के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत आशा कार्यकर्ता द्वारा एक बार प्रसव पूर्व और प्रसव उपरान्त 42 दिनों में 6 बार घर जाकर जांच की जाती है। इस जांच के दौरान आशा कार्यकर्ता महिलाओं और नवजात शिशुओं में खतरे के चिह्नों की पहचान कर जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों पर रैफर करती हैं। प्रत्येक आशा को घर में 7 बार जाकर प्रत्येक नवजात शिशु की देखभाल के लिए 250/- रुपये दिए जाते हैं।

नवजात को प्रसूति के बाद जल्दी से जल्दी स्तनपान तथा जन्म के पहले छः माह तक केवल स्तनपान करवाना शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण-3 (डी.एल.एच.एस.-3) 2007-08 के अनुसार राज्य में नवजात शिशुओं को 6 माह तक केवल स्तनपान करवाने की दर मात्र 9.4 प्रतिशत तथा प्रसूति के बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान करवाने की दर 17.4 प्रतिशत है, जोकि राज्य में स्तनपान से पहले नवजात को जन्म-घुट्टी, शहद, समय से पहले पूरक आहार तथा डिब्बाबंद दूध इत्यादि देना गलत पारम्परिक प्रथाओं को दर्शाता है। इस समस्या के निवारण के लिए,जिला अस्पतालों में यशोदा योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत यशोदा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवायेंगी तथा उनको प्रसव पीड़ा और प्रसूति के दौरान सहयोग करेंगी। यशोदा कार्यकर्ता नवजात बच्चों की देखभाल, उनका जन्म के समय वजन रिकार्ड और प्रसूति के बाद उनको जल्द से जल्द स्तनपान सुनिश्चित करेंगी। यशोदा कार्यकर्ता नवजात बच्चों को जीरो पोलियो, बी.सी.जी. और हैपेटाईटस बी के टीके लगवाना सुनिश्चित करवाएगी। इस वर्ष, राज्य में विश्व स्तनपान सप्ताह भी बड़े पैमाने पर राज्य मुख्यालय और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में मनाया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप में इन्फेंट मिल्क सबस्टिच्युट एक्ट (IMS Act) के तहत राज्य स्तर पर डिब्बाबंद शिशु दुग्ध उत्पादन करने वाली कंपनियों की भ्रामक मार्किटिंग के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई गई है।

नवजात और बच्चों की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन (आई.एम.एन.सी.आई.) कार्यक्रम शिशुओं व बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई गई एक नई योजना है, जिसके अन्तर्गत बीमार शिशुओं/बच्चों का ईलाज किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं को स्तनपान कराने की सलाह, बीमार बच्चों की पहचान एवं निमोनिया, दस्त व संक्रमण का ईलाज किया जाता है। यह कार्य बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर गम्भीर मरीजों को उच्च स्तरीय संस्थान पर ईलाज के लिए भेजा जाता है। पी.जी.आई., चण्डीगढ़ की सहायता से इस योजना को सुचारू रूप में क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है।

बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान वर्ष को सामान्य टीकाकरण का तीव्र प्रतिरक्षण (इन्टेसीफिकेशन ऑफ रूटीन इमुनाइजेशन) के रूप में मनाया जा रहा है। सात बीमारियों (पोलियो, डिपथिरिया, काली खांसी, टिट्नेस, टी.बी., खसरा व पीलिया (हैपेटाईटस-बी) से बचाव के लिए बच्चों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं।

[राव नरेन्द्र सिंह]
स्वतन्त्र मूल्यांकन के अनुसार राज्य में पूर्ण प्रतिरक्षण की दर वर्ष 2007-08 (DLHS-3) में 59.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 (C.E.S.-2009) में 71.7 प्रतिशत हो गई है।

राज्य में खसरा रक्षक अभियान के अन्तर्गत 09 महीने से 10 साल तक के 48.50 लाख बच्चों को खसरे के टीके लगाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से खसरा सर्वेलैंस तथा टीकाकरण कार्यक्रम को मॉनिटर किया जा रहा है। जनवरी 2010 से, हरियाणा पोलियो मुक्त राज्यों की श्रेणी में आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी (यू.एस.ए.आई.डी.एस.) के तकनीकी सहयोग से टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए सहायक पर्यवेक्षण (सपोर्टिव सुपरविज़न) शुरू किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में अक्तूबर, 2012 से पेंटावैलेंट टीका लगाने (एक साथ पांच बीमारियों से प्रतिरक्षण) की योजना शुरू की जा रही है।

माताओं व शिशुओं की मृत्यु की सही संख्या जानने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम मातृ एवं शिशु मृत्यु समीक्षा प्रणाली (Maternal & Infant Death Review System) के अन्तर्गत आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इसी प्रकार पी.जी.आई. रोहतक के छात्रों के माध्यम से मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं में पाई जाने वाली त्रुटियों की पहचान एवं सुधार के लिए सहायक पर्यवेक्षण (सपोर्टिव सुपरविज़न) शुरू किया गया है। पी.जी.आई., चण्डीगढ़ के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच एवं उपयोग को जांचने के लिए एक समवर्ती समीक्षा (Concurrent Evaluation) की शुरूआत की जा रही है।

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-2006) के अनुसार 6 महीने से 5 वर्ष तक के 72.3 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी पाई गई है, जिनमें 25.5 प्रतिशत में अल्प, 42.2 प्रतिशत में मध्यम एवं 4.3 प्रतिशत में गंभीर रूप में खून की कमी पाई गई है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई.एफ.ए. की गोलियां व पेट के कीड़े मारने की दवाई छः माह से अधिक आयु के सभी बच्चों को दी जा रही है। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों, सरकारी व सरकारी-सहायता प्राप्त विद्यालयों में सभी बच्चों की बीमारी, पोषक तत्वों की कमी, एवं निःशक्तता के लिए जांच की जाती है। इस कार्य में शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग भी सहयोग दे रहे हैं। इन बच्चों का ईलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है।

इन सभी कोशिशों के चलते जल्द ही हरियाणा में मातृ व शिशु मृत्यु दर निश्चित रूप से कम हो जाएगी। यद्यपि समुदाय के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि ऐसी मृत्यु को प्रसव पूर्ण जांचों, संस्थागत प्रसूति एवं प्रसव उपरान्त पूर्ण जांचों, पोषक एवं संतुलित आहार और समयानुसार चिकित्सीय देखभाल के द्वारा रोका जा सकता है। अतः सभी महिलाओं व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। मैं आपका ध्यान, स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक मुद्दों की तरफ भी दिलाना चाहूंगा, जिसमें प्रमुखतः महिलाओं की शिक्षा, उनका सशक्तिकरण, साफ वातावरण एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शामिल हैं, जो बीमारियों व मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के दिन, बदलती हुई आधुनिक जीवन-शैली, खान-पान की आदतों से महिलाओं व बच्चों में खून की कमी और कुपोषण आमतौर पर पाया जाता है। खून की कमी और कुपोषण से बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास पर विपरीत असर होता है।

मैं, माननीय सदस्यों से स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों एवं जनसमुदायों में इन मुद्दों की जानकारी हेतू प्रचार-प्रसार में हमारा सहयोग करें। आओ ! हम सब मिलकर, मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने और स्वास्थ्य हरियाणा के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।

आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं

राज्य सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे पहले भी बताया गया है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों के नेटवर्क द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता को दी जा रही हैं। निःशुल्क दवाईयां और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते, ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या 2008 के मुकाबले 2011 में बढ़कर 1.66 करोड़ हो गई है जोकि 57 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार, राज्य के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2010-11 में 12.5 लाख से बढ़कर 2011-12 में 14 लाख हो गई है। कुल 4.41 लाख संस्थागत प्रसूतियों में से, 2.42 लाख प्रसूतियां सरकारी संस्थानों में हुई हैं। राज्य में पिछले 03 वर्षों में स्वास्थ्य वाहन सेवा 102 सुविधा का लाभ 7.50 लाख लोगों ने उठाया है।

मैं, यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक चिकित्सकों व स्टाफ का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का सवाल है, उन्हें अपने नियुक्ति स्थल या उसके 8 कि.मी. के दायरे में रहने के निर्देश हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ.पी.डी. का समय सुबह 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 x 7 स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, डॉक्टर आपातकालीन दुर्घटनाओं और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 24 x 7 उपलब्ध रहते हैं। फिर भी, किसी स्टाफ के मुख्यालय पर न रहने की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

ज्यादातर उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में सभी उपकरण सामान्य मापदण्डों के अनुसार उपलब्ध करवाए गए हैं। हालांकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद एक लगातार प्रक्रिया है और समय-समय पर नए उपकरणों की खरीद आवश्यकतानुसार की जा रही है। राज्य में नए बने कुछ स्वास्थ्य संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी संस्थानों में डैंटल चेयर उपलब्ध करवाई गई हैं। नई डेन्टल चेयर, निदेशक, आपूर्ति एवं वितरण के माध्यम से खरीदी जा रही हैं। वर्ष 2004-2005 में चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 78.5 लाख तथा 2005-2006 में 38.6 लाख रुपये के खर्च की तुलना में वर्ष 2010 से 2012 के दौरान 73.00 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण खरीदे गए हैं। इस वर्ष भी रुपये 23.00 करोड़ की लागत से मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य वाहन सेवा एवं एक्स-रे मशीनें, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक के लिए खरीदी जा रही हैं। नवम्बर 2008 से अब तक 2254 चिकित्सकों की भर्ती की गई जिनमें 811 विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक

पं० भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक राज्य का एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जिसके द्वारा राज्य के लोगों को विशेषज्ञों द्वारा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं/

[राव नरेन्द्र सिंह]

सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा वर्ष 2011 में, ओ.पी.डी. में 15.2 लाख और आई.पी.डी. में 96,201 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। यहां वर्ष 2011 में औसतन 264 मरीज रोजाना दाखिल होते थे अब यह संख्या बढ़कर 308 हो गई है। इसी प्रकार ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या औसतन 5,148 रोजाना से बढ़कर 5,337 हो गई है। जनवरी 2012 से लेकर जुलाई 2012 तक ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या 9,26,724 एवं आई.पी.डी. मरीजों की संख्या 65,514 रही हैं।

एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान होने के नाते हरियाणा सरकार, पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक की तुलना पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़ या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, दिल्ली के साथ करना सही नहीं होगा। इसका एक कारण यह है कि यह दोनों राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जिनको भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिए पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़ और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक के मुकाबले बेहतर है। जैसे कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, दिल्ली में विशेष न्यूरो-विज्ञान केन्द्र, आधुनिक हृदय रोग केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्र आदि उपलब्ध हैं और पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़ में भी खासकर आधुनिक हृदय रोग, आधुनिक शिशु चिकित्सा केन्द्र एवं यूरोलोजी विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार, आने वाले समय में, पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2012-13 में, राज्य सरकार द्वारा पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को 175.86 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। केन्द्र सरकार से भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 125.00 करोड़ रुपये, प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 30.50 करोड़ रुपये मनोचिकित्सा विभाग को उत्कृष्टता केन्द्र (सैंटर फॉर एक्सीलेंस) बनाने के लिए और 1.46 करोड़ रुपये पायलट प्रोग्राम फॉर बर्न इंजरीज़ के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 में पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक का कुल बजट 7,742.08 लाख रुपये था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19,477.00 लाख रुपये हो गया है; जोकि लगभग अढाई गुणा बढ़ोत्तरी है।

पिछले 5-7 वर्षों में पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का भारी विकास हुआ है जिसमें प्रमुखतः नए भवन, ओ.पी.डी. ब्लॉक, सुपरस्पैसियलिटी ब्लॉक और दो छात्रावास, डैंटल कॉलेज का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ट्रॉमा सैन्टर, मातृ एवं शिशु अस्पताल, ऑडिटोरियम व दो लैक्चर थिएटर भी बनाए जा रहे हैं। यह जाहिर है कि राज्य सरकार, पं. भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अभी तक राज्य में केवल एक ही मैडिकल कॉलेज था। यह हमारी सरकार की ही पहल है कि राज्य में 3 मैडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 1000

करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीनिवेश किया जाएगा। इन मैडिकल कॉलेजों से अतिविशिष्ट स्तर की चिकित्सा देखभाल की सुविधाओं में बढौतरी के साथ-साथ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार, हरियाणा निवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकतापूर्वक विशेष ध्यान दे रही है। मैं सम्माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य के लोगों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Hon'ble Speaker Sir, when the budget was presented, it was emphasized that on social sector much of the budget of the planned will go and health is the prime so far as the health of the people of the State is concerned. While giving a comparison with the year 2004-2005 that वर्ष 2011 में यह था that is not the criteria. हम हैल्थ के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में इस रिप्लाई में स्थिति साफ नहीं की गई है। दूसरा, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक जोकि एक हैल्थ यूनिवर्सिटी है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है। यह संस्थान वर्ष 1962 में यहां पर आया था। आप इस संस्थान का पी.जी.आई. चण्डीगढ़ से और एम्स, दिल्ली से कैम्पेरीजन करें उससे इसका रिलेशन नहीं बनता है। अपने प्रान्त के अन्दर सुपर स्पैशियलिटी और उससे बड़ी सुपर स्पैशियलिटी सुविधाएं देने के लिए सरकार को एक स्पैशल प्रोविजन बनाना चाहिए। जिस हिसाब से वहां पर डाक्टर्ज हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर है और कैपेसिटी है। रोज अखबारों में यह आता है कि वहां पर एक बैड पर तीन-तीन मरीज लेटे हुए हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कई बार प्रैगनैंसी के दौरान बच्चे की डैथ हो जाती है तथा तीन-तीन दिनों तक उस मरीज का ऑप्रेशन नहीं होता है। यह व्यथा आपको समझ में आ सकती है। हैल्थ मिनिस्टर महोदय और वित्त मंत्री महोदय को इसमें कंसीडर करना चाहिए। हरियाणा के अन्दर स्पेशल और सुपर स्पैशियलिटी फैसीलिटीज को आप अगर देना चाहते हैं तो पी.जी.आई.एम.एस.रोहतक या उसे आप हैल्थ यूनिवर्सिटी, रोहतक कहें उसके लिए आपको एक्सट्रा बजट देना पड़ेगा ताकि लोगों को न तो दिल्ली के अस्पतालों की तरफ भागना पड़े और न ही जयपुर के अस्पताल की तरफ भागना पड़े। हमारी स्टेट के अंदर ही मैक्सीमम फैसीलिटीज होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 175 करोड़ रुपये से यह संस्थान नहीं चलेगा। इसका बजट और बढ़ाने के लिए आगे क्या उपाय किए जा रहे हैं इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल साथी बतरा जी ने दो बातें मुख्य रूप से पूछी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे पढ़ते हुए बीच में रूकवा दिया वरना मैं पूरा पढ़ता तो इनको सारी बातों का पता चल जाता। बत्तरा जी ने आम आदमी की बात की है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अंदर जिस तरह ओ. पी. डी. की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से आम आदमी का विश्वास सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को नई नई सुविधाएं दे रही है, जिस तरह से फ्री ड्रग्स की सप्लाई की जो स्कीम हमारे यहां है, जिस तरह सस्ते सर्जरी पैकेज की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से स्वास्थ्य वाहन सेवा- 102 स्थापित की गई हैं, इससे स्टेट में

[राव नरेन्द्र सिंह]

आम आदमी को बहुत फायदा हुआ है। जो डैटाज मैं बोल रहा था उसकी पिछले सालों से तुलना स्वाभाविक रूप से हमें करनी पड़ेगी कि आज से 5,7 या10 साल पहले हरियाणा की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज जब हम किसी भी डाटा को देखें तो निश्चित तौर से हम पाएंगें कि आज सरकार जो काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रहा है वह ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि निश्चित रूप से आज के जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं ये पहले से बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले समय मे हम देखेंगें कि इसके और अच्छे रिजल्टस सामने आएंगें। हमारा विभाग जो मेहनत कर रहा है और हमारे अधिकारी जो मेहनत कर रहे हैं इसके निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगें और ये रिजल्टस हमें अपने फिक्स किए हुए टारगैट को हासिल करने में सहायक होंगे। आज भी बहुत से मामलों में हमारा परसैंटेज गवर्नमैंट आफ इंडिया के परसैंटेज से बैटर है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए अकेले हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की या स्वास्थ्य विभाग की नहीं बल्कि हम सभी सदस्यों की और हरियाणा में रहने वाले सभी सदस्यों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी मां को बचाने के लिए सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का फायदा उठाएं। सरकार द्वारा चलाई गई सभी स्कीमों का फायदा हम उठाएं। एम्बुलैंसिज की सेवाएं ली जाएं ताकि जिन बच्चों में पैदा होते ही पीलिया हो रहा है या डायरिया हो रहा है या कोई और तकलीफ हो रही है तो उनको सरकारी अस्पतालों में ले जाकर दिखाया जा सके। यदि हम सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं तक नहीं पहुंचेगें तो निश्चित रूप से उन बच्चों की डैथ हो जाएगी। इसी तरह अगर मां को नहीं सम्भाला जाएगा तो उसकी भी डैथ हो जाएगी। ये सब चीजें आम आदमी के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, माननीय सदस्य बजट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह इनका दूसरा सवाल पी.जी.आई., रोहतक के बारे में है। माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल उठाया है इसमें कोई शक नहीं है कि निश्चित रूप से पी.जी.आई. रोहतक अकेले एक जिले का या एक शहर का नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों की नजरें उस पर रहती हैं। मैं समझता हूं कि न केवल हरियाणा से बल्कि आस आस के प्रांतों से काफी संख्या में लोग पी.जी.आई., रोहतक में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहां दिनोंदिन भारी भीड़ बढ़ रही है। आज की सरकार ने पं० भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के लिए जो किया है मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से रिप्लाई में से दो चार लाइनें जरूर पढ़ना चाहूंगा कि पं० भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में वर्ष 2011 में ओ.पी.डी. में 15.2 लाख और आई.पी.डी. में 96,201 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। वर्ष 2011 में औसतन 264 मरीज रोजाना दाखिल होते थे अब यह संख्या बढ़कर 308 हो गई है। हमारे बत्तरा साहब खुद इस बात को मान रहे हैं कि उसमें दिनोदिन संख्या बढ़ रही है। लोगों का विश्वास इसके प्रति बढ़ रहा है तभी यह संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को 175.86 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। केन्द्र सरकार से भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 125 करोड़ रुपये अलग से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 30.50 करोड़ रुपये

मनोचिकित्सा विभाग को उत्कृष्टता केन्द्र (सैंटर फार एक्सीलैंस) बनाने के लिए और 1.46 करोड़ रूपये पायलट प्रोग्राम फार बर्न इंजरीज के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 में पं० भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक का कुल बजट 7,742.08 लाख रूपये था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19,477 लाख रूपये हो गया है जोकि लगभग अढाई गुणा बढ़ोतरी है। यह इस चीज को दर्शाता है कि माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार कितना कार्य कर रही है और वह स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूक है। पिछले 5-7 वर्षों में पं० भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का भारी विकास हुआ है जिसमें प्रमुखत: नए भवन, ओ.पी.डी. ब्लाक, सुपर स्पैशियलिटी ब्लाक और दो छात्रावास, डैंटल कालेज का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ट्रॉमा सैन्टर, मातृ एवं शिशु अस्पताल, ऑडिटोरियम व दो लैक्चर थिएटर भी बनाए जा रहे हैं। यह जाहिर है कि हमारी सरकार रोहतक में ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। ये बातें शो करती हैं कि सरकार चाहती है कि वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जायें। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार वहां पर एडीशनल 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था करने जा रही है। यह परोपोजल सरकार के अंडर कंसीड्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी तरह से फाईनैंस के मामले में पी.जी.आई. रोहतक को पीछे नहीं रहने दिया जायेगा। यह मैं अपने साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब तक रनिंग बजट नहीं बढ़ेगा तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से भी ग्रांट आई है। अध्यक्ष महोदय, यह ग्रांट तो जो यूनिट बन रहा है उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लग जायेगी। जितना मैडीकल कालेज पर प्रैसर है उसकी सैंग्टीटी और रैपूटेशन को मेनटेन करने के लिए, उसको आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्पैशियलिटी लाने के लिए, अच्छे डाक्टर्ज लाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। विडम्बना यह है कि वहां पर तीन साल से परचेजिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सरकार बजट नहीं देती है। वहां पर 100 करोड़ रूपये से गाड़ी नहीं चलेगी। यह एक प्रीमियर इन्स्टीच्यूट है। आप हैल्थ सैक्टर की ओर लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं लेकिन आजकल लोगों में बहुत बीमारियां हो रही हैं। यदि किसी को कैंसर है या दूसरी गंभीर बीमारी है तो लोग कहां जायेंगे। हरेक आदमी दिल्ली नहीं जा सकता। दिल्ली के अस्पतालों में तो बहुत लूट-खसूट होती है। यह बात आप भी जानते हैं। आम आदमी को रिलीफ तो सरकार ही दे सकती है इसलिए रोहतक के लिए रनिंग बजट दें ताकि वहां पर सामान खरीदने में किसी तरह की दिक्कत न आये। जो पैसे सैंटर से मिले हैं उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन वह पैसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। वहां पर एक इन्स्टीच्यूट बनेगा। जो 100 करोड़ रूपये के लिए आपने कहा है इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन इससे वहां की गाड़ी नहीं चलेगी।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमें बहुत चिंता होती है। विशेषकर जब आगे हम अपना भविष्य देखते हैं। जिस तरह से शिशुओं, बच्चों और माताओं तथा दूसरों के स्वास्थ्य के हालात हैं वह चिंता की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो चाहे पर कैपिटा इन्कम है, चाहे पर कैपिटा इनवैस्टमैंट है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन है, मिल्क प्रोडैक्शन है और भी दूसरे चीजें हैं जैसे स्पोर्ट्स या यूथ वैलफेयर है इन सब चीजों में तो हरियाणा नम्बर एक

[प्रो० सम्पत सिंह]

पर है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हैल्थ की बात है मैंने बड़ी मेहनत करके आंकड़े एकत्रित किए थे और हैल्थ के बारे में अपना कालिंग अटैंशन मोशन दिया था जिसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं। मैं मुख्य दो-तीन बातें इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एक तो मैं इनकी इस बात का कांटैस्ट करता हूं जो इन्होंने कहा है कि मैडीकल यूनिवर्सिटी रोहतक का बजट बढ़ाया है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 25 करोड़ रूपये पी.जी.आई. रोहतक का स्टेट बजट प्लान और नॉन प्लान में कम है। इसी से संबंधित दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पी.जी.आई. रोहतक में सरकार ने जो मुफ्त दवाईयां देने का फैसला कर रखा है not to talk of PHCs or CHCs or any other hospitals. मैं केवल पी.जी.आई. रोहतक की बात कर रहा हूं। क्या वहां के बिल जो दवाईयों के एगेंस्ट होते हैं जो मार्केट से आप खरीदते हैं वे दस करोड़ रूपये के पैंडिंग नहीं हैं और आईंदा के लिए दवाईयों की सप्लाई बंद नहीं हो गई है? यह मैं रोहतक मैडीकल कालेज की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपका ट्रॉमा सैंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सैंटर है, whether they will not suffer due to paucity of the funds. 25 करोड़ रूपये का बजट कम है। यह तो मैं मैडीकल रोहतक के बारे में पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनकी जो ओपीडी है क्या मंत्री जी की जानकारी में नहीं है कि पी.जी.आई. रोहतक और एम्स में यदि तुलना की जाए तो मैडीकल कालेज रोहतक की ओपीडी ज्यादा है और उसके बावजूद यदि यह पोजीशन है तो Sir, it is a very sorry state of affairs. I want reply about Rohtak. अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो नैशनल एवरेज से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अलग-अलग स्टेजिज पर बताई हैं और यह भी कहा कि सरकार ने इसमें बहुत सुधार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुधार हुआ है। लेकिन इसमें जो नेशनल और दूसरे स्टेट्स में सुधार हो रहा है उसके कंपैरीजन में we stand no where in health indicators. Sir, the percentage of infant deaths जो हरियाणा की है 16.1 प्रतिशत है और जो नेशनल की है वह 14.5 प्रतिशत है। Where do we stand? Secondly Sir, infant mortality rate हमारा 48 प्रतिशत है और हम से बैटर लगभग आधे से ज्यादा स्टेट हैं जो they are doing more better than us. इसी प्रकार से नेशनल रेट भी लगभग हमारे बराबर ही है जोकि 49 प्रतिशत है। इसमें मेघालय जैसी स्टेट्स भी आ जाती हैं जिनको Seven Sister स्टेट्स बोलते हैं और जिनमें हैल्थ सर्विसिज़ कोई ज्यादा नहीं हैं। इसमें बिहार वगैरह भी सारी स्टेट्स उसमें आ जाती हैं। थर्ड बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो न्यु नेटरल मैटरनिटी रेट जो हमारे स्टेट का है वह 33 प्रतिशत है और नेशनल रेट भी 33 प्रतिशत ही है। सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा बैटर है। नेशनल रेट में और भी बहुत सी स्टेट्स आ जाती हैं जिनकी हमारे से बहुत ज्यादा बुरी हालत है। कहां तो हम नम्बर वन पोजीशन पर हैं और कहां नेशनल एवरेज including all states, including so called Bemaru States (बीमारु स्टेट्स) इन सबको मिलाकर भी अगर हम नेशनल एवरेज़ को देखते हैं तो वह उसके बराबर आती है। इसी प्रकार से अरली नियो नेटरल मैटरनिटी रेट हमारा 25 प्रतिशत है और इसी प्रकार से यह नेशनल रेट भी 25 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार से पैरी नेटरल मैटरनिटी रेट हमारा 34 प्रतिशत है और नेशनल रेट है वह 32 प्रतिशत है। Sir, where do we stand? इसी प्रकार से स्टिल बर्थ रेट हमारा 9 प्रतिशत है और नेशनल 7 प्रतिशत है। इसी प्रकार से अण्डर फाईव मैटरनिटी रेट में जो भी हमारी स्टेट की फीगर आ रही है उसमें हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। यह बात माननीय

मंत्री जी को समझनी चाहिए। जो पॉलिसी और प्रोग्राम इन्होंने चला रखे हैं यह आज से नहीं बल्कि पिछले दो-तीन सालों से चल रहे हैं। इन सबके होते हुए आज हमारी यह स्थिति है और Sir, last but not the least आज हमारे हॉस्पिटल्ज़ की कंडीशन भी बहुत ही दयनीय है। पहले तो हॉस्पिटल्ज़ की मैंटीनैंस को पी.डब्लयू.डी. छोड़कर भाग गया था और अब पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट भी छोड़ चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हॉस्पिटल्ज़ की मैंटीनैंस के लिए इस समय कौन जिम्मेदार है? Nobody is responsible for the maintenance of the hospitals किसी भी डिपार्टमैंट को मैंटीनैंस का काम नहीं दिया गया है जबकि पैसा है और वह पैसा सरकार का नहीं है वह पैसा सोसायटीज़ का है। Sir, you will be surprised to know कि डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में मैंटीनैंस के लिए केवल पांच लाख रूपये दिया जाता है। क्या इससे हॉस्पिटल की मैंटीनैंस हो सकती है? जहां बिल्डिंग को बनाने में करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं क्या आप उसको पांच लाख रूपये में ठीक कर सकते हैं? इसी प्रकार से क्या पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़. की मैंटीनैंस के लिए एक साल का एक लाख रूपया काफी रहेगा? इतनी कम राशि से इनका मैंटीनैंस कैसे हो जायेगा? इसी प्रकार से सरकार द्वारा जो एस.के.एस. बनाई गई हैं। जो आपने स्वास्थ्य के लिए सोसायटी बनाई है। स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर सोसायटीज़ बनाई हैं जो कि अलग-अलग हॉस्पिटल्ज में बना दी गई हैं। यह किसी समय मेरा आईडिया था कि जो हम ये रियूज़ल चार्ज़िज़ लेते हैं उसी में ही लोकल सोसायटी बना दी जाये और उसी में ही पैसा जमा हो जाये। क्या इस सोसायटी को केवल दो बातों के लिए रखा हुआ है either to change bed-sheets and mattress क्या वहां पर अगर बाथ-रूम की टूटी टूट गई है और इसी प्रकार से कोई दूसरा छोटा-मोटा इंस्ट्रूमैंट है उसे उससे नहीं खरीदा जा सकता ? इसको उससे खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है।

Mr. Speaker : Sampat ji, please be brief.

प्रो० सम्पत सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में एक्सप्लेनेट्री नोट भी बहुत लम्बा-चौड़ा दिया है। हमने भी काफी तैयारी करके इस बारे में लम्बा नोटिस दिया है। इस बारे में हम अकेले ही चिंतित नहीं है बल्कि इस बारे में आप भी चिंतित हैं और मंत्री जी भी चिंतित हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री जी भी यंग हैं, पढ़े-लिखे हैं और चिंतित भी हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये भी अपनी चिंता को हमारे साथ मिलायें और ये जो एस.के.एस. सोसायटीज़ हैं इनके स्कोप को बढ़ायें। इस समय प्रदेश की पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़. और अस्पतालों में सोसायटीज़ के अन्दर लाखों-करोड़ों रूपये जमा पड़े हैं। हिसार के जनरल हॉस्पिटल का तो मुझे नॉलेज है उसमें तो more than crore रूपये पड़ा है जिसे कि खर्च नहीं किया जा रहा है। इसके शायद पी.एम.ओ. चेयरमैन होते हैं। इसी प्रकार से मशीनों का और डॉक्टर्ज़ का भी कोई तालमेल नहीं बैठाया गया है। अगर कहीं मशीनें उपलब्ध हैं तो उसके एक्सपर्टीज़ डॉक्टर वहां पर नहीं हैं और अगर कहीं पर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो वहां पर मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। चाहे आप इस बारे में एम.एल.एज़ हॉस्टल की डिस्पैंसरी को देख लें यह तो आपके अण्डर है। यहां पर एक पी.जी. डॉक्टर है जो कि एम.एस.एम.डी. है। यहां पर वैसे तो 15-16 डॉक्टर होंगे कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का बेटा है या फिर कोई किसी के बेटे की बहू है। क्या हमें इन्हीं सब को यहां पर लगाना चाहिए ? ये सब आपके अधीन हैं इसलिए आप इनकी लिस्ट मंगवाकर देख सकते हैं कि वहां पर

[प्रो० सम्पत सिंह]

पोस्टिड डॉक्टर्ज़ का क्या लैवल है। क्या यहां पर कोई आई सर्जन है? क्या यहां पर ई.एण्ड टी. का एक्सपर्ट है। क्या यहां पर किसी और चीज़ का स्पैशियलिस्ट है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरी स्टेट में स्वास्थ्य के हालात आज बहुत ही खराब हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने दोस्त माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सुधारने के लिए ये जल्द से जल्द कोई ठोस और कारगर कदम उठायें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रो. सम्पत सिंह जी ने हाउस को अपनी चिन्ता से अवगत करवाया है इसमें कोई शक नही है कि इन्होंने इस कालिंग अटैन्शन मोशन को लाने में बहुत मेहनत की है, ये बहुत सारे डाटाज लेकर आये हैं। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ तक इन्होंने पी.जी.आई. रोहतक का प्रश्न किया है तो मैं माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं माननीय सम्पत सिंह जी और श्री बत्तरा जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि फंड के अभाव में पी.जी.आई. रोहतक और संस्थानों से पीछे नहीं रहेगी। जहाँ तक पी.जी.आई. रोहतक की एम्स या पी.जी.आई. चण्डीगढ़ से तुलना करने की बात है तो वे दोनों राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उन दोनों की ग्रांट भी भारत सरकार से आती है। यह ठीक है कि पी.जी.आई. रोहतक से हमारा बड़ा भावनात्मक लगाव है। ओ.पी.डी. के बारे में मैं समझता हूँ कि पी.जी.आई. चण्डीगढ़ तो शायद बराबर हो लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है एम्स की 10 हजार की है और हमारी 5 या साढ़े 5 हजार की है। यह सरकारी आंकड़ा नहीं है , एम्स की हमसे ज्यादा है। आज हम एम्स से या पी.जी.आई. चण्डीगढ़ से तुलना नहीं करेंगे हम तो हरियाणावासी अपने हिसाब से और अपने संसाधनों के अनुसार चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप उम्मीद करते हो उससे ज्यादा विकास किया जायेगा तथा उसमें सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच न केवल एक मैडिकल कॉलेज की है बल्कि 3 और मैडिकल कॉलेज बनाने की है जिन पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लागत आयेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारा जो बी.पी.एस. महिला मैडिकल कॉलेज गोहाना, सोनीपत में खोला जा रहा है और जो मंजूर हो चुका है जिसकी इस साल से ओ.पी.डी. शुरू हो रही है। उसकी लगभग 1500 की कैपेसिटी रोजाना की है। देश आजाद होने के बाद किसी भी प्रांत में पहला महिला मैडिकल कॉलेज है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धी है। उसके बाद मेवात में नया मैडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं वहां पर भी ओ.पी.डी. शुरू हो रही है। उसके बाद कल्पना चावला जी के नाम से करनाल में मैडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की और सरकार की यह भी सोच थी कि रोहतक को हम और बेहतर बनायें साथ में उसके अलावा तीन नये मैडिकल कॉलेज स्टेट के विभिन्न हिस्सों में खोले जायेंगे ताकि जो प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है वह महसूस न हो।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कॉलेज का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं बीच में इन्ट्रप्ट करना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि मैडिकल कॉलेज खुले हैं लेकिन जहाँ फैकल्टी का सवाल है क्या मंत्री जी को इस बारे में जानकारी नहीं है ? पी.जी.आई. को यूनिवर्सिटी अपग्रेड करने के बाद मैडिकल फैकल्टीज में आज के दिन मैनपावर कम है या ज्यादा है ? जिस दिन पी.जी.आई. बनी थी उस दिन 80 फैकल्टी मैम्बर्स की पोस्ट खाली थी जो आज के दिन खाली पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कॉलेज बनाने से क्या फायदा जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे तब तक चाहे जितनी बिल्डिंग्ज बना लो, कॉलेज बना लो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज पी.जी.आई. रोहतक में 80 से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसके अलावा मशीनों और आई.सी.यू. का तो और भी बुरा हाल है। इससे ज्यादा सरपराईजिंग बात हमारे लिए और क्या हो सकती है जब पी.जी.आई. में डॉक्टर्स की 80 मैडिकल फैकल्टीज खाली पड़ी हों तो आप उसको यूनिवर्सिटी कैसे कह सकते हैं वह तो पी.जी.आई. से भी बुरी हालत हो गई?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक डॉक्टर्स का या फैकल्टीज का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल हरियाणा में बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे देश में स्पैशियलिस्ट्स की और डॉक्टर्स की कमी है। खुद प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया था कि देश में लगभग 7 लाख डॉक्टरों की कमी है। यह डॉक्टरों की कमी तो तभी दूर होगी जब मैडिकल कॉलेजिज में नये स्टूडैंट्स आकर पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। जहाँ तक हरियाणा का जिक्र है तो पिछले दिनों जो 439 हमारी पोस्टें खाली थी उसके विरूद्ध हमने नये डॉक्टर्स लगाने के लिए विज्ञापन दिया था। उसमें अब की बार स्पैशियलिस्ट्स के लिए हमने 52 पोस्ट विज्ञापित की थी और हमने सभी स्पैशियलिस्ट्स लिये हैं, हमने एक भी एम.बी.बी.एस. भर्ती नहीं किया ताकि लोगों को बेहतर सुविधायें मिल सकें। इसी तरह से 155 का सिलैक्शन नहीं हो सका क्योंकि जो हमारी रिजर्व कटैगरी थी चाहे वह एस.सी. की हो या एक्स सर्विसमैन की चाहे फिजिकल हैंडिकैप्ट्स की हो उनके लिए कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे। जहाँ तक प्रोफैसर साहब ने पी.जी.आई. का जिक्र किया है तो उनको तो अपने स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम इस कमी को दूर करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब डॉक्टर ही नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी खोलने का क्या फायदा ?

राव नरेन्द्र सिंह : ठीक है, प्रोफैसर साहब, इस मामले में आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। आपने तो बड़ी-बड़ी सरकारें चलाई हैं। हम डॉक्टरों की भर्ती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अगर कहीं पर अच्छे डाक्टर उपलब्ध होंगे तो उनकी भर्ती अवश्य की जाएगी। प्रो० साहब इस काम में उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी हमारी है क्योंकि हम सभी इस सदन के सदस्य हैं। बिल्कुल पारदर्शी आधार पर हमारी सरकार डॉक्टर्ज की भर्ती करने जा रही है। एक भी भाई इसमें यह बता दे कि इस भर्ती में कोई बेईमानी है या किसी की सिफारिश पर भर्ती की जा रही है तो बात है। सरकार को इस बारे में कोई पता नहीं होता कि कैसे भर्ती की जा रही है जो सलैक्शन कमेटी बनाई हुई है वही सब भर्ती की प्रक्रिया कर रही है। इसी तरह सर, जहां तक यूनिवर्सिटी को फंड देने का जिक्र किया गया है मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सर, जिले के हर सी.एम.ओ. के पास फंड दिया हुआ है और सरकार की तरफ से उनको यह आदेश है कि आप पी.एच.सीज के अन्दर चाहे दवाई का मामला हो, चाहे रिपेयर का मामला हो इन कामों में पैसे की वजह से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, सभी सीनियर साथियों से सलाह लेकर के हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई न कोई तो कमी हर जगह मिलती है लेकिन हमारे लिए बैटर यही है कि उसमें जो कमियाँ हैं उसको हम दूर करें। हमारी बहन जी, भी इसी बात का धन्यवाद करेंगी कि

[राव नरेन्द्र सिंह]

कनीना और अटेली जो इनका विधान सभा क्षेत्र है उसमें भी नये अस्पताल बनाए गये हैं, महेंद्रगढ़ के अन्दर अस्पताल बनाया गया है रिवाड़ी के अस्पताल में सी.टी. सकैन मशीन लगाई गई हैं , करनाल के अस्पताल में सी.टी.सकैन मशीन लगाई गई है। इस तरह से हमारा स्वास्थ्य विभाग तेजी से तरक्की कर रहा है। जिन-जिन सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन सभी सुझावों को बड़ी गम्भीरता से लेते हुए उनकी ओर पूरा ध्यान देंगे और पूरी तरह से इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैडिकल बिल के लिए प्रो. साहब ने जिक्र किया है। प्रो.साहब आप तो फाईनैंस मनिस्टर भी रहे हैं। बजट की कई बार प्रोबलम आती है इसलिए देरी हो जाती है। लेकिन सरकार की नीयत ऐसी नहीं है कि किसी का पैसा रह जाए और जितने भी मैडिकल बिल हैं वे निश्चित रूप से क्लीयर हो जाएंगे. इसके लिए आप निश्चिंत रहें।

(ii) राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबन्धित करने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 1 from Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. regarding banning of plastic carry bags in the State. I admitted it. Now, he may read out his notice.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent public importance that the plastic carry bags/packing plastic material has been banned in the State. The prohibitory measures are required to be taken by the State Government to enforce the ban on use of plastic carry bags as well as its manufacturing. In-spite of the ban, plastic carry bags are being used commonly and these can not be recycled. It has generally been seen that for use of plastic carry bags, petty shop keepers, Rehriwalas, small sweet shopkeepers, small general store owners as well as Panwalas are being challaned by the officers of the Municipal Committee. No industrial premise has been raided or challaned for manufacturing the plastic carry bags and no big stockiest or big shop keeper has been challanced for sale and use of plastic carry bags. When the Govt. can not stop the manufacturing of this cheap quality of plastic carry bags, which cannot be recycled, the aforesaid petty shop keepers should not be put to fine.

Therefore, I request the Government to take strenuous steps to enforce the ban on manufacturing and use of plastic carry bags in whole of the State and clarify the whole position in this regard.

Statement Regarding banning of Plastic bags in the State.

Mr. Speaker : Now, the Power Minister will make a statement.

Environment Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Speaker Sir, Haryana Government after considering the adverse effects on the environment and local ecology, felt that plastic carry bags are littered about irresponsibly and have detrimental effect on the environment and local ecology, felt that plastic carry bags are littered about irresponsibly and have detrimental effect on the

environment and also cause blockage of gutters, sewerage system and drains thereby resulting in serious environmental problems, imposed a complete ban with effect from 3rd January, 2011 on manufacturing, stocking, sale & usage of plastic carry bags in the State. Further State Government has also banned use of plastic articles in the areas of special historical, religious or ecological significance. The use of containers made of recycled plastic for storing, carrying, dispensing or packing of foodstuffs has also been banned. Before this notification, only partial ban on use of plastic carry bags was imposed by restricting manufacture, sale and use of plastic carry bags having thickness of less than 30 microns and size of less than 8" x 12" inches vide notification dated 9th/12th January, 2009. Subsequently, on 3.2.2010, ban was widened by raising the limit of thickness to 40 microns and size to 12" x 18". However, complete ban on plastic carry bags was imposed in State of Haryana on 3.1.2011.

The Government is not only aware of the problem of plastic carry bags but is also taking prohibitory measures regularly for implementation of the ban. Haryana State Pollution Control Board along with Urban Municipal Authorities is jointly taking action against violators of the above said notifications. Challans were being issued against the vendors/ distributors by the Prescribed Authority under the provisions of the notification dated 9/12th January, 2009, 3rd February, 2010 & 3rd January, 2011 issued by the State Govt. Details of Challans issued are as under:—

Year	No. of Challans issued
2009-10	837
2010-11	3781
2011-12	4325
2012-13 (as on 11.8.2012)	169

Regarding procedure being adopted by the Prescribed Authority for issuance of Challans under the above said notification, Municipal Authorities provide Challan books.

Challans are issued against the violating distributors/stockists/vendors by the prescribed authorities. District Magistrate, Additional District Magistrate, District Development and Panchayat Officer, SDM, CTM, XEN public health. DFSC, DTP, EO HUDA, BDPO, Tehsildar, Naib Tehsildar, Scientist B, Haryana Pollution Control Board, Assistant Environmental Engineer, Haryana Pollution Control Board, Executive Officer/Secretary Municipal Council/Committee are prescribed authorities within their respective jurisdictions. Random checking of vendors is done by these officers and if a violation is found, Challan is issued against the violator. The information regarding stockists/distributor is gathered from vendors and then prescribed authority conducts checking of stockist/ distributors. Such violators are then issued challans. The violator is supposed to

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

deposit Challan amount then and there and in case challan amount is not deposited by the violator, then it is deposited in the office of Municipal authorities within the specified period. This amount is utilized for solid waste management as plastic waste is part of municipal solid waste. Earlier thickness of plastic carry bag was being checked by using micrometers. But now since complete ban has been imposed, there is no need of micrometer for measuring thickness of plastic carry bags.

Fines on Manufacturing units are imposed ranging from Rs. 25000 to Rs. 50000 for first violation and for second violation, the license/consent of the unit is cancelled by the Pollution Control Board. Similarly, retailers, vendors and distributors who are found violating directions of this notification, are fined ranging from Rs. 2500 to Rs. 5000. For second violation, their trade license is cancelled by municipal authorities under relevant municipal laws. For individual violators, who are found using cups, plates, tumblers etc. in prohibited public places, the fine ranges from Rs. 250 to Rs. 500 per offence.

However, it is not justified to say that Challans of only petty shopkeepers/ Rehriwalas are being issued which is evident from the fact that 386 Challans have been issued against distributors/stockists during the last 3 years. Details of such Challans are as under:—

Year	No. of Challans issued
2010-11	184
2011-12	156
2012-13 (as on 11.8.2012)	46

Moreover, Haryana State Pollution Control Board has conducted survey of industrial units and issued closure orders against 4 defaulting manufacturing units as per names given below which were manufacturing plastic carry bags.

1. M/s Jiya Lal S/o Sh. Mool Chand, R/o House No. 830, Dabua Colony, N.I.T., Faridabad.
2. M/s Jai Prakash S/o Sh. Tikka Ram, R/o House No. E-852-853, Dabua Colony, N.I.T., Faridabad.
3. Sh. Ram Niwas S/o Sh. Tika Ram Aggarwal Proprietor of M/s Ganga Polymers at House No. E-155 Dabua Colony, NIT, Faridabad.
4. Sh. Vijay Kumar S/o Late Sh. Ram Kumar Garg at House No. A-4, Kapra Colony, Air Force Road, NIT, Faridabad.

At this stage, it is also important to explain distinction between manufacturing of plastic carry bags and manufacturing of different products packed in plastic. While manufacturing of plastic carry bags per se is covered under 3rd , January, 2011 notification vide which it is banned and Haryana State Pollution Control Board is empowered to enforce it; manufacturing of different products and packing them in plastic material is not banned under the said

notification except that the use/manufacture of recycled plastic container is regulated. Moreover, ban of use of plastic carry bags is enforced by the prescribed authorities including officers of municipal authorities.

Presently, it has been reported that there is no manufacturing unit in the State which is manufacturing plastic carry bags. However, plastic carry bags are reported to have been transported in Haryana from adjoining states and in such cases, challan can only be issued against stockists/vendors/shopkeepers.

Efforts have also been made by Haryana State Pollution Control Board to prevent the use of plastic carry bags. Awareness programs have also been organized by Haryana State Pollution Control Board to sensitize all stakeholders about the harmful effects of use of plastic carry bags/articles and to promote use of alternative materials such as cloth/jute bags. Advertisements have also been issued through newspapers, radio jingles broadcast, hoardings etc. to educate general public about the harmful effects of plastic carry bags. It is pertinent to mention here that it is a new legislation and enforcement mechanism at present is limited and people are still not aware of the harmful effects of plastic carry bags. Effective enforcement of this notification will take some time. However State Government is committed to take all prohibitory measures for controlling the menace of plastic carry bags.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, प्रांत के अंदर दिनांक 3.1.2011 को प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कंप्लीट बैन कर दिया गया था। फिर भी आप देख सकते हैं कि आज भी हरेक जगह पर प्लास्टिक कैरी बैग्स दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय,यहां जो विधान सभा के सदस्य बैठे हैं उनके पास भी कैरीबैग्स हैं और कितने सारे यहां पर गारबैज पड़े होते हैं, कितने बैग पड़े होते हैं। फील्ड में भी हर जगह जहां पर गंदगी पड़ी होती है वहां पर गऊएं उनमें कुछ न कुछ ढूंढने के लिए मुंह मार रही होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब कंप्लीट बैन है तो अभी तक भी पूरे प्रदेश में कैरी बैग्स क्यों नजर आते हैं। यह बात यहां तक ही सीमित नहीं है, गांवों में भी यह कैरी बैग्स खाद वगैरह के साथ खेतों में पहुंच गए हैं जिनकी वजह से किसान को सोईंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मंत्री जी द्वारा जो तथ्य यहां पर रखे गए हैं वे वास्तविकता से परे हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि वे इस समस्या को स्वयं डीपली जाकर के देखें। आज प्रदेश में छोटे-छोटे दुकानदारों का चालान होता है। इसके अलावा और किसी का चालान नहीं होता है। जो दुकानदार 10 हजार रुपये, 12 हजार रुपये और 15 हजार रुपये महीना कमाते हैं उन पर जब 3 हजार रुपये का फाइन/चालान होता होगा तो उनकी क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक बैग्स पर कंप्लीट बैन करके प्रदेश को इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ लेकर के जायें, यह समय की पुकार है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से सैनीटेशन सिस्टम पर कितना बुरा इफैक्ट पड़ता है, यह कैरीबैग्स सीवरेज सिस्टम को कितना इफैक्ट करते हैं, इनकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें नोटीफिकेशन या कानून की बात नहीं है। आप यह बताएं कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ? इसकी रोकथाम के लिए जिले में डी.सी., ए.डी.सी., एस.डी.एम., डी.डी.पी.ओ., बी.डी.पी.ओ. की भी ड्यूटी होनी चाहिए।

[श्री भारत भूषण बत्तरा]

डी.पी.आर. की भी ड्यूटी होनी चाहिए कि वह इसको हद से ज्यादा पब्लिसाइज करें और लोगों को इस बारे में बताएं कि इन प्लास्टिक बैग्स से कितना नुक्सान है, कितना फायदा है ? आप सिर्फ चालान की बात कहते हैं इसके बजाय आप यह चैक करें कि यह प्लास्टिक बैग्स स्टेट में बाहर से आते कहां से हैं? वहां से इनका आना रोका जाए। यह हैल्थ के लिए बहुत हैजार्ड हैं इसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। सभी लोगों के जो घरों की वेस्ट होती है उसको सैग्रेगेशन करने के लिए निचले लैवल तक, गांव लैवल तक और मौहल्ला लैवल तक इस बात के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि घरों के वेस्ट का सेग्रेगेशन अलग से हो। यह प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसके लिए सरकार को इफैक्टिव स्टैप्स लेने चाहिए और गरीब आदमी का चालान तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि यह कानून पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो जाता।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनकी बात बिल्कुल जायज है और प्लास्टिक कैरी बैग्स एक ऐसी चीज है जो कि इन्वौयर्नमैंट के लिए बहुत ही घातक है। जिसकी वजह से आज के समय में बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि गायों की जिनकी हम पूजा भी करते हैं वे इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से मर जाती हैं। हमने इसके लिए बहुत सारे अवेयरनैस प्रोग्राम चलाए हैं, सेमीनार भी आयोजित किए हैं। मैं खुद भी उन सेमीनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में गया हूं। हमने इस बारे में लोगों की और ट्रेडर्स की मीटिंग भी बुलवाई है। डी.सीज. को इस बारे में चीफ सैक्रेटरी की तरफ से बाकायदा पत्र लिखे गये हैं कि इसको इन्फोर्स करें। हमने इसका दायरा भी बढ़ाया है। पहले चालान करने की पावर सिर्फ रीजनल ऑफीसर्ज को ही थी। अब हमने यह पावर्ज डी.सीज.,ए.डी.सीज.,एस.डी.एम्स, डी.डी.पी.ओज.,सी.टी.एम.,ऐक्सीयन को भी डैलीगेट की हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों में अवेयरनैस नहीं आ पा रही है कि यह कैरीबैग्स कितनी घातक चीज है। इसके लिए हमने न्यूज पेपर्स के माध्यम से ऐडवर्टाइजमैंट दी हैं। वर्ष 2010 में हमने वर्ल्ड इन्वौयर्नमैंट डे पर 1 लाख 17 हजार 630 जूट बैग्स भी बांटे हैं। फिर भी स्वयं जनता में जब तक इस समस्या के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब तक पूरी तरह से बात बनने वाली नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश में गया था वहां पर यह कानून बहुत ही प्रभावी तरीके से इन्फोर्स हो गया है। मैंने भी प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध के बारे में सुझाव दिये हैं।

मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था और पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को भी उस मीटिंग में बुलाया था। जिसमें यह मामला डिस्कश हुआ था कि प्लास्टिक कैरी बैगज के वेस्ट को रोड्ज में इस्तेमाल किया जाए। इसमें एक दिक्कत और है वह यह है कि एल.आर. आफिस ने इस बारे में एक ओपीनियन दिया है कि हम किसी का चालान करते हैं उसमें कुछ खामियां हैं उनको दूर करने के लिए अर्बन लोकल बॉडिज विभाग द्वारा इसके लिए कुछ एमेंडमैंट लेकर आनी चाहिए। इसलिए इसमें बाकायदा सरकार एमेंडमैंट लेकर आ रही है और पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर साहब अभी यह कह रहे हैं कि यह मामला प्रोसैस में है। जब एमेंडमैंट आ जायेगी तो उसके बाद विभाग के हाथ में पॉवर आ जायेगी। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के लोग भी चिन्तित हैं। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों में इस बारे में जानकारी और एवेयरनैस आनी चाहिए कि जब तक हम कपड़े के कैरी बैग लेकर नहीं चलेंगे तब तक प्लास्टिक के बैग बन्द नहीं होंगे। अभी हमने फरीदाबाद में चार मैन्यूफैचर्ज की फैक्टरीज को

बन्द किया है और जो स्टॉकिस्ट्स और डीलर्ज हैं उनके विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में 184, वर्ष 2011-12 में 156 और वर्ष 2012-13 में 46 चालान हमने अलग-अलग जगह किए हैं। इसमें एक और दिक्कत यह है कि दिल्ली और राजस्थान में प्लास्टिक बैग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए वहां से ये प्लास्टिक बैग हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। इसके लिए हम समय समय पर अपने अधिकारियों को हिदायतें जारी करते रहते हैं और आज पूरे प्रदेश को और आम व्यक्ति को इस बात के लिए सोचने की जरूरत है कि प्लास्टिक बैग को हमें छोड़ना पड़ेगा नहीं तो यह बहुत बड़ा हैल्थ हजार्ड है और इसके लिए आगे भी हमारे पूरे प्रयास जारी रहेंगे।

वर्ष 2012-2013 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Deputy Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 2012-2013 (First Installment).

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Installment) for the year 2012-2013.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now Rao Dharampal, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Installment) for the year 2012-2013.

Rao Dharampal Singh (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Installment) for the year 2012-2013.

वर्ष 2012-2013 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Installment) for the year 2012-2013 will take place.

As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands on the order paper No. 1 to 11, 13, 15, 17 to 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 to 38, 42 to 43 & 45 will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

> That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,04,33,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 1- Vidhan Sabha.**

> That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,76,38,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

[श्री उपाध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,20,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 3-General Administraton.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **100,36,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **49,63,000/-** for revenue expenditure. be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **4,45,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 March, 2013 in respect of **Demand No. 6- Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **4,98,44,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31St March, 2013 in respect of **Demand No. 7-Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **240,50,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **5,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **49,60,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 10-Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **18,22,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 11-Sports and Youth Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **197,30,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 13-Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **503,83,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 15-Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **11,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 17- Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **8,35,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 18- Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **154,95,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 19- Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **53,32,01,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 21-Women and Child Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **852,27,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 23-Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,69,20,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 25- Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **9,61,05,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 3ls March, 2013 in respect of **Demand No. 27- Agriculture.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **6,27,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 30-Forest and Wild Life.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **14,88,54,000/-** for revenue expenditure be granted to Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 32-Rural and Community Development.**

[श्री उपाध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,00,40,000/-** for capital expenditure be granted to Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 34-Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **4,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 36-Home.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,61,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 37-Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 38-Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **43,92,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 43. Prisons.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **14,08,55,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the - course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 45- Loans and Advances by State Government.**

प्रो० सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह भी है कि बजट को पास किए हुए अभी केवल साढ़े चार महीने हुए हैं और एक दम 2500 करोड़ रूपये लगभग 3000 करोड़ रूपये की सैप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स आ गये हैं। सर, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो सारा सिस्टम ऑन लाईन हो गया है और ज्यादा खर्चे भी आप नहीं कर सकते। सरकार को इतनी जल्दी इतने पैसे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे बजट की संग्टिटी नहीं रहती। उस समय सरकार को गहन अध्ययन करके और पूरी स्टडी करके फिर बजट बनाना चाहिए। अभी अगस्त का महीना चल रहा है उसके बाद हम समझते हैं कि अभी 6 महीने पड़े हैं अगला बजट पेश होने में इसलिए इस बात को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) के बारे में मेरा बहुत लम्बा सवाल लगा हुआ था और उसका जवाब आना था और

मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कुछ निवेदन करना था लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुभार्ग्य से कुछ लोग स्टेट की डिवलपमैंट नहीं चाहते वे नहीं चाहते कि ऐसे सवाल लगें और सरकार उनका जवाब दे जिससे सरकार की कारगुजारी और डिवलपमैंट की बातें हैं, वे सामने आएं। इसलिए उन्होंने सारा क्वैश्चन आवर किल कर दिया था। मैंने महसूस किया कि आज यह ओपरचुनिटी है इसलिए मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाऊं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो नैशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया के प्रोजैक्टस का रिकार्ड दिया था वह अपने आप में एक यूनीक रिकार्ड था। आज तक के हरियाणा की डिवैल्पमैंट हिस्ट्री में इतने प्रोजैक्टस, इतने हाइवेज, इतने आर.ओ.बीज. और इतने ज्यादा आर.यू.बीज. कभी मंजूर होकर नहीं आए। मुख्यमंत्री जी इस बार जितने प्रोजैक्टस लेकर आए हैं वे पीछे के मुकाबले कई गुणा ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री महोदय ने इन प्रोसैस में रोहतक से हिसार तक लगभग 100 किलोमीटर के एक प्रोजैक्ट के बारे में बताया। इन प्रोसैस में इन्होंने एक ही प्रोजैक्ट बताया है और यह प्रोजैक्ट 906 करोड़ रूपये का था। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मौका है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट के क्या क्या स्टैपस पूरे हो गए हैं, क्या क्या प्रोसीजर पूरे हो गए हैं और इसके कब तक टैण्डर्ज हो जाएंगें और उस पर कब काम शुरु हो जाएगा ? पहले मैंने जो प्रोजैक्ट्स इन प्रोसैस में है उनके बारे में बताया और अब मैं इन प्रोग्रैस वाले प्रोजैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा जिनके लिए 7853 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है that is a huge amount. हरियाणा सरकार बहुत ही कंमेडेबल काम कर रही है। जितनी फोर लेनिंग होंगी, जितनी सिक्स लेनिंग होंगी, जितने आर.ओ.बीज. और जितने आर.यू.बीज. आएंगें उतनी हमारी एसैसेबिलिटी बढ़ेगी। एसैसेबिलिटी बढ़ने से इम्पलायमैंट भी मिलेगी और औद्योगिक डिवैल्पमैंट भी होगी, रिवैन्यू भी आएगा और स्टेट की अदर आल अराउंड डिवैल्पमैंट भी होगी। यह स्टेट का बहुत बढ़िया कदम है लेकिन इसके साथ साथ मंत्री जी ये भी बता देते कि इस बजट में से आप कितने खर्च कर चुके हैं तो और ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि इन प्रोग्रेस है तो इसका मतलब NHAI ने कुछ पैसा खर्च भी किया है। That is an achievement. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे इलाके से सम्बन्धित 3 ब्रिजिज का जिक्र किया हैं। ये ब्रिजिज मेरे आज के इलाके से नहीं बल्कि पुराने इलाके से सम्बन्धित हैं। एक ब्रिज तो हिसार से घुड़साल का है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि यह किस स्टेज पर है ? हिसार से राजगढ़ जो रेलवे लाइन है वह अभी टूवेज ही है यानि फोर लेनिंग नहीं हैं। कई बार इस बारे में जिक्र आता है कि ये लाइन फोर लेनिंग मंजूर हो रही है, कई बार जिक्र आता है कि फोर लेनिंग मंजूर हो चुकी है। इसके बारे में मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के मार्फत जानकारी चाहूंगा कि इसकी स्टेज क्या है ? मंत्री जी, मैंने कुछ समय पहले आपके डिपार्टमैंट को लिखकर भी भेजा था और इसके एस्टीमेट्स भी बनकर आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नलवा हल्के में आर.ओ.बीज. की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा देहाती एरिया है परंतु मेरे यहां आर.यू.बीज. की दिक्कत जरूर है। मैंने चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाई थी कि हमारे यहां दो जगह देवांग और चिड़ोद में आर.यू.बीज. की दिक्कत है। राजस्थान, (राजगढ़) को जो रेलवे लाइन जाती है वह हिसार से निकलकर जाती है जिस की वजह से इन दोनों गांवों में बड़ी समस्याएं हैं। देवांग गांव की पोजीशन तो ऐसी है कि उसमें आबादी तो एक तरफ है और बाकी सारी सर्विसिज दूसरी तरफ हैं। चाहे हमारा वाटर वर्क्स है, चाहे हमारा स्कूल है चाहे हमारा पंचायत घर है चाहे जोहड़ हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं या जो कुछ भी है यह सब रेलवे लाइन के दूसरी तरफ पड़ता है। जब ये छोटी रेलवे

[प्रो० सम्पत सिंह]
लाइन थी तब तो लोग इसको क्रोस करके चले जाते थे लेकिन जब से ब्रोडगेज लाइन आई है इस लाइन को लोग पार नहीं कर सकते इसलिए करीबन करीबन 70 परसैंट आबादी उस गांव की ढाणियों में चली गई है। वे सारी ढाणियां उसी साइड ही गई हैं जहां सारी सर्विसिज हैं और गांव का रकबा भी सारा उधर पड़ता है। वह ब्रोड गेज लाइन क्रोस करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। मैंने गवर्नमैंट आफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री को इसके बारे में लिखा था। रेलवे मिनिस्ट्री ने आर.यू.बी. के लिए कह दिया है और उन्होंने अपने महकमे से बाकायदा इसके एस्टीमेटस तैयार करवाकर ओनरेबल पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजे हुए हैं। इस आर.यू.बी. का खर्चा करीबन 60 या 70 लाख रूपये बनता है और 60-70 लाख रूपये कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है क्योंकि ओवर ब्रिजिज पर तो काफी ज्यादा खर्चा आता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चिडोंद गांव में भी आर.यू.बी. की दिक्कत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पता कराया है कि इस काम को मनरेगा स्कीम से भी करवा सकते हैं लेकिन मनरेगा स्कीम में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस बार कंट्रोल कर दिया है और एक पोलिसी बना दी है कि अब इस स्कीम के तहत गांव के आधार पर ही काम होगा। पहले तो यह होता था कि ब्लाक और डिस्ट्रिक्ट के लैवल पर जो वर्क होता था उसमें वेज और मैटीरियल का रेशो 60:40 का होता था परंतु अब यह रेशो गांव के आधार पर ही माना जाएगा और गांव के अंदर तो इतने लाखों रूपयों का काम हो नहीं सकता। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, मैं आर.यू.बीज. की बात कर रहा था। मैंने मंत्री जी से दो ब्रिजिज का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की हिदायतों में बताया गया है कि हम ये काम मनरेगा स्कीम के तहत भी कर सकते हैं परंतु अब भारत सरकार की ओर से इन हिदायतों में एक प्रोविजो लगकर आ गया है कि गांव के काम पर ही 60:40 के रेशो का एस्टीमेट बनेगा जबकि पहले डिस्ट्रिक्ट लैवल या ब्लाक लैवल पर काम होता था तो उससे काम चल जाया करता था क्योंकि दूसरे कामों को भी इसमें जोड लिया करते थे। लेकिन एक गांव में एक-दो करोड़ रूपये का काम नहीं हो सकता। मिट्टी का काम तो उसमें थोड़ा ही होगा और दूसरे कार्य ज्यादा होंगे। इसमें भी चाहे मनरेगा को जोड़ लें ताकि वर्क्स वाला काम इधर से जुड़ जायेगा तो स्टेट का वह भी पैसा जुड़ जायेगा। इसमें मंत्री जी तालमेल किसी भी तरह से करें लेकिन ये दोनों आर.यू.बीज. बनाये जायें। इनके बनने से मेरे हल्के के जो गांव दूसरी तरफ पड़ते हैं जिनके रोड इनकी वजह से नहीं बन पाते। यदि पी.डब्ल्यू.डी. के पास जाते हैं तो आब्जैक्शन लग जाते हैं और मार्केटिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो भी आब्जैक्शन लग जाते हैं कि इसके अंदर रेलवे क्रोसिंग नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आर.यू.बीज. मंत्री जी मंजूर कर देंगे तो हमारे एरिया के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा गांव भट्टूकलां अब चौधरी प्रह्लाद सिंह के हल्के में पड़ता है। वहां से लुदेशर रोड जा रही है और आगे वह रोड नोहर होती हुई राजस्थान में चली जाती है। उसके ओवर ब्रिज का भी आपने जिक्र किया था इसलिए उस बारे में भी मंत्री जी स्थिति बता दें। क्योंकि प्रश्न काल में तो समय मिला नहीं इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था। डिवैल्पमैंट के जो लोग विरोधी थे उन्होंने यह सारा मामला किल कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मंत्री जी ने कालिंग अटैंशन मोशन पर काफी लम्बा और हैल्दी जवाब दिया है। We are satisfied with his reply. बाद में इन्होंने यह भी कहा कि सरकार हैल्थ के बारे में बहुत जागरूक है और इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है। मैं भी विश्वास करता हूं कि सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे रही है लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि यदि कोई बात है तो हम

सरकार को बतायें। हमारी ही सरकार है और हम उनके नोटिस में लेकर आयें ताकि उस पर कार्यवाही हो सके। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के मामले में we are very much concerned क्योंकि हरियाणा जब हर चीज में नम्बर वन आ रहा है तो हैल्थ के क्षेत्र में भी नम्बर वन होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाणा। प्रदेश नहीं कहते हम अपने प्रदेश को देश कहते हैं इतनी बड़ी बात अपने प्रदेश के बारे में मानते हैं। यदि कोई बाहर जाता है तो पूछते हैं कि कौन से देश का है तो कहते हैं कि हरियाणा का हूं। अध्यक्ष महोदय, हमें हैल्थ के साथ-साथ दूसरी सोशल कंपेन भी चलानी पड़ेगी। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है वह अकेले दवाई-पानी या खाद्यान्न की वजह से नहीं है। सोशल सिस्टम के अंदर आजकल क्या हो रहा है कि पहले हमारे एरिया के लोग रोहतक की चर्चा किया करते थे कि रोहतक के अंदर बैल-गाड़ियां औरतें चलाती हैं। आज यह सिस्टम फाजिल्का पार कर गया है। आज के दिन सारी जगहों पर औरतों से ही काम लिया जा रहा और बैलों की जगह भी औरतों से ही काम लिया जाता है। औरतें सुबह घर में सबसे पहले उठती हैं और पूरे दिन काम करके रात को सबसे लेट सोती हैं। इससे क्या होता है कि औरतों की खुराक कम हो जाती है और वे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। रात को 10-11 बजे जवान दारू पीकर धुत होकर आयेंगे और आते ही थाली के ठोकर मारेंगे। न तो वे औरतों को खाना खाने देते और न खुद खाते हैं। हमारे सोशल सिस्टम में जो इस तरह के हालात हो रहे हैं इसके कारण औरतों की ज्यादा सेहत खराब हो रही है और इसी वजह से बच्चे ज्यादा बीमार पैदा हो रहे हैं। इसी वजह से अनीमिया या दूसरी बीमारियां बच्चों में आ रही हैं। इसलिए इसमें सुधार के लिए सरकार को सोशल अवेकनिंग सिस्टम भी चलाना पड़ेगा और मैडीकल हैल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मंत्री जी आपको भी याद होगा हमारे मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब ने ही चौधरीवास की सी.एच.सी. मंजूर की थी और इन्होंने ही उसकी बिल्डिंग बनवाई थी और मंत्री जी टाईम निकाल कर वहां पर सी.एच.सी. का उद्घाटन करने आये थे। मेरे निवेदन पर मंत्री जी आपने इसके लिए टाईम निकाला था हमें बड़ा अच्छा भी लगा लेकिन इसी सी.एच.सी. के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था। एक तो आयुस सैंटर के बारे में निवेदन किया था। प्रदेश में ऐसी कोई सी.एच.सी. नहीं है जिसमें आयुस सैंटर न हो लेकिन वहां पर नहीं है। आपने मुझे कहा था कि वहां पर आयुस सैंटर खुलवा देंगे लेकिन आज तक नहीं खुला है। इसी तरह से उस टाईम मैंने डैंटल चेयर और डैंटल डाक्टर की भी बात की थी। अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं मंत्री जी को 10 प्रेम पत्र लिख चुका हूं और हर बार लास्ट के अंदर एक लाईन यही लिखता हूं कि आपका कोई प्रेम का एक शब्द मेरे पास आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके लिए मैं अब तक इंतजार कर रहा हूं परंतु आज मंत्री जी ने बोलकर स्वयं लाईव आश्वासन दिया है लिखित में मैं इतना विश्वास नहीं रखता, लाईव आश्वासन दिया है उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : यहां पर टी.वी. लगा हुआ है रिप्ले भी दिखाया जा सकता है।

प्रो० सम्पत सिंह : रिप्ले की कोई जरूरत नहीं है। हम तो स्पीकर साहब जो कहते हैं वह मान लेते हैं। आज भी स्पीकर साहब ने कहा था कि कोई मैंबर सुझाव देना चाहता है तो दे सकता है लेकिन हमने कह दिया था कि you are our custodian. लेकिन हमें तो यह अफसोस है कि कई बार अध्यक्ष महोदय हमारे कस्टोडियन रह नहीं पाते तब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। विपक्ष के साथी आपकी चेयर के बगैर हमें जीने नहीं देंगे। आपकी चेयर की वजह से ही तो यहां हम

[प्रो० सम्पत सिंह]

सांस ले रहे हैं। अगर आपकी चेयर न हो और कानून न हो तो क्या इस तरह के लोग हमें जीने देंगे। इसी वजह से आज हम लोग आगे आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं वरना इन लोगों की तो वही आदत है जिस किस्म की है। रणदीप सिंह जी यदि उनकी चर्चा यहां न की जाये तो ठीक है। सर, अब मैं होम और प्रिज़न के बारे में भी दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों बहुत खुशी हुई जब मैंने अखबारों में यह पढ़ा कि कोई कमेटी बन रही है और उसके द्वारा मैटर कंसीडर किया जा रहा है कि जो हरियाणा की कांस्टेबलरी है और जो जेल वार्डन हैं उनके वेतनमान के बारे में विचार किया जा रहा है जैसा कि सभी जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और आज के माहौल में सबसे ज्यादा वज़न उन्हीं के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज्यादा डिले होता है इसलिए भर्ती की प्रक्रिया को थोड़ा सा फास्ट किया जाये। मुख्यमंत्री जी के पास होम डिपार्टमैंट भी है और वे सारी स्टेट के मालिक भी हैं पिछली भर्ती जब निकली थी तो उस समय अगर कोई कैंडीडेट बीस साल का भी था तो चार साल के बाद वह चौबीस का हो गया और साल भर हुए भर्तियां हो रही हैं इसलिए इस प्रकार से वह 25 साल का हो गया और 25 साल का होने के बाद वह ओवर-ऐज़ हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए इसलिए आप हर साल पुलिस फोर्स की भर्तियां करें। पिछले साल जो भर्तियां हुई उनकी वैकेंसीज़ अलग और चार साल में भर्ती न कर पाने के कारण जो वैकेंसीज़ हुई वे अलग, इस प्रकार से मेरे ख्याल से more than 10 thousand वैकेंसीज़ पुलिस विभाग में सिपाहियों की हो गई हैं। कई रेंजिज में तो बड़ी समस्या है। प्रदेश की दो कमिश्नरीज़ जोकि फरीदाबाद और गुड़गांव की हैं और इनके साथ-साथ अम्बाला की कमिश्नरी इन तीनों के अण्डर जितना एरिया आता है इस एरिये में तो सारी की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं जबकि आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टैंट फरीदाबाद और गुड़गांव है। सरकार द्वारा फोर्स बहुत ज्यादा जुटाई गई है जैसे मारूति के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जोकि बहुत ही अच्छा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही एप्रिशिएबल स्टेप था लेकिन इसके बावजूद भी हमें और ज्यादा फोर्स की जरूरत है क्योंकि बिना फोर्स के न तो थानेदार कुछ कर सकता है और न ही एस०पी० ही कुछ कर सकता है। सबसे पहला कदम तो इस मामले में यह उठाया जाये कि भर्ती प्रक्रिया को फास्ट किया जाये। चाहे इसके अंदर थोड़े नॉर्म भी आप बदल लें। जैसे उसको on merit ground eliminate करने की जरूरत है। जैसे 5'.7" की हाईट है तो उसको 5'.9" कर दिया जाये जो कि हमारे हरियाणा में अवेलेबल है ताकि पुलिस का सिपाही अच्छा जवान नज़र आये। इसी प्रकार से हमने उनके लिए जो फीजिकल मेज़र फिक्स किए हैं। जैसे उनको अब पी.ई.टी. टैस्ट पास करना पड़ता है। उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा अपग्रेड कर दें ताकि इनवेशन हो जाये जैसे आपके इंटरव्यू वगैरह होते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है जोकि एच.पी.एस.सी. की सिलेक्शन होती है उसके अन्दर भी और जो सबोर्डीनेट स्टाफ की सिलैक्शन होती है उसके अन्दर भी। उसमें 70 परसैंट वालों के लिए और 80 परसैंट वालों के लिए एक बैंच मार्क कर देते हैं। यह अच्छी बात है क्योंकि इससे 80 परसैंट और 90 परसैंट वाले बच्चे आयेंगे 40 परसैंट और 60 परसैंट वाले नहीं आयेंगे। कंपीटीशन होगा तो इससे किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। इससे मैरिट पर सिलैक्शन हो जायेगी। जिस प्रकार से आज मैरिट पर सिलैक्शन हो रही है यह बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से आज इस बात को एप्रिशिएशन मिल रही है। इसी प्रकार से पुलिस की भर्ती में भी यह लागू कर देना चाहिए।

इसी प्रकार से जो जेल वार्डन हैं उनकी ड्यूटी भी यही है। आप किसी भी जेल वार्डन को बुलाकर उससे उसकी ड्यूटी के बारे में पूछ लें कि क्या कभी भी वह ड्यूटी देने के बाद रात को सोया हो। उनकी ड्यूटी का सर्कल चार-चार घंटे का बना रखा है। इससे वे सो ही नहीं सकते। किसी की 02.00 बजे ड्यूटी शुरु होती है तो उसकी ड्यूटी 06.00 बजे खत्म हो जाती है। इस प्रकार से वह 02.00 बजे तक जागता रहेगा और फिर 06.00 बजे तक जागता रहेगा। इस प्रकार के ड्यूटी टाईम में वह कब सो सकता है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल वार्डन की संख्या को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। आज जिस प्रकार से जेल में क्रिमिनल का सिस्टम है। पहले जेलों में आपसी दुश्मनी के लोग आया करते थे वे कहीं नहीं भाग सकते थे वे वहीं रहते थे। अब तो सारे के सारे हार्डन क्रिमिनल आते हैं। ये ऐसे क्रिमिनल होते हैं इन्हें न तो मौत से डर होता है और न ही किसी और बात से ही ये डरते हैं। इस किस्म के हार्डन क्रिमिनल आ गये हैं। इस प्रकार के क्रिमिनल को टैकल करना पड़ता है। फोर्सिज़ की कमी के कारण जेल वार्डन के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। फोर्सिज़ की कमी दोनों डिपार्टमैंट्स में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर, हैल्थ, एजुकेशन, इरीगेशन और पॉवर ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टैंट हैं। इनकी हमारे बेसिक और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है बाकी चीज़ें तो स्टेट में अपने आप आ ही जाती हैं। एक बात और इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें और ज्यादा टैलेंटिड बच्चे आयें और अच्छी फोर्स के लिए आयें। इसके लिए मैं उनके वेतनमान का किसी दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट का मुकाबला नहीं करना चाहता क्योंकि किसी स्टेट में हमारी स्टेट से ज्यादा वेतनमान भी होंगे और किसी स्टेट में हमारी स्टेट से कम वेतनमान भी होंगे लेकिन उनके पे-रिवीज़न के बारे में मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कोई कमेटी भी बनाई है तो that is appreciable कि इनकी सर्विसिज़ को देखकर जो भी डिपार्टमैंट उचित समझें उनको ज्यादा से ज्यादा एम्युनटीज़ देनी चाहिएं। चाहे उनकी तनख्वाहों के बारे में, उनके भत्तों के बारे में और चाहे उनको दूसरी रैजीडैंसिज़ की बेहतर सुविधायें देने के बारे में हो यह सब बहुत अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा हम फोर्सिज़ ला सकेंगे और जितनी ज्यादा हम उनको सैलरीज़ वगैरह दे सकेंगे वह उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है एक पियन पुलिस के सिपाही के बराबर खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे और उनके वेजिज़ में और उनकी एम्युनटीज़ में जरूरी बढ़ोतरी करने का जरूर कष्ट करेंगे।

श्री अनिल विज : सर, मैं डिमांड नं० 1 पर बोलना चाहता हूँ जो कि विधान सभा के बारे में है।

Mr. Speaker : Vij Sahib, Vidhan Sabha's demand cannot be discussed.

श्री अनिल विज: सर, डिमाण्डज में डिमाण्ड नं० 1 पर विधान सभा लिखा हुआ है।

Mr. Speaker: Demand of the Vidhan Sabha can not be discussed. Please talk about the next demand.

श्री अनिल विज : सर, ठीक है, मैं डिमांड नं० 3 पर बोलना चाहता हूँ जोकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। सर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा पैसा और मांगा गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पैसा तो इससे भी ज्यादा दे दिया जाये कोई बात नहीं है परन्तु सर

[श्री अनिल विज]

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सर, इससे पहले भी मैं यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ आपने कॉग्नीजैंस भी ली थी। सर, आम जनता की समस्याओं पर तो कौन ध्यान देगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हम विधायकों के पत्रों के जवाब भी नहीं दिये जाते। आपने पैटीशन कमेटी बनाई है उसमें भी बहुत सारी पैटीशन आती हैं यह अच्छी बात है। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बाउंड कीजिए । लेकिन अभी रिसैन्टली कई ऐसे इन्सटांसिज हुए हैं कि कुछ लोग कोई ज्ञापन देने भी जाते हैं तो कोई कॉग्नीजैंस नहीं ली जाती है। मैंने खुद अम्बाला में डिप्टी कमिश्नर अम्बाला को और कमिश्नर अम्बाला को कुछ अम्बाला की डिमांड थी। मैं खुद ज्ञापन देने गया था लेकिन उसका जवाब भी नहीं आया। हमने एक ऐजीटेशन किया था, हमने बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला था मैंने कारपोरेशन के बाहर धरना दिया will you be surprised to note कि किसी एक भी अधिकारी ने यह आवश्यकता नहीं समझी कि एक एम.एल.ए. धरने पर बैठा हुआ है, एक एम.एल.ए. खुद डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को ज्ञापन देने गया है तो एक 10 पैसे की चिट्ठी ही डाल दी जाये, कोई जवाब नहीं आया। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत है।

Mr. Speaker: Are you speaking on demands?

Shri Anil Vij: Yes Sir, I am speaking on demand अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूँ। मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ।

Mr. Speaker: Restrict yourself just to the demand.

श्री अनिल विज : सर, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूँ। अभी आर.एस.एस. के कार्यकर्ता नारनौल के डिप्टी कमिश्नर को अपना ज्ञापन देने के लिए गये लेकिन डिप्टी कमिश्नर बाहर ही नहीं निकला। इतनी देर वे वहाँ पर बैठे रहे और नारे लगाते रहे। मैं बता रहा हूँ कि what is the position of the administration?

Mr. Speaker: Restrict yourself just to the demand.

श्री अनिल विज : सर, सम्पत सिंह जी भी ऐसे ही बोले थे, उन्होंने अपने हलके की भी बातें की थी।

श्री अध्यक्ष : अपने हलके की बात आप भी कह सकते हैं। Don't criticize anybody. Speak about the demands.

श्री अनिल विज : सर, मैं तो ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि उनका ज्ञापन लेने की बजाय उन आर.एस.एस. के लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिये गये।

Mr. Speaker: Again you are not on demands. You are not speaking on demands.

श्री अनिल विज : सर, मैं डिमांड नं० 5 एक्साईज एण्ड टैक्सेशन पर भी बोलना चाहता हूँ। एक्साईज एण्ड टैक्सेशन में मैं अपने शहर की जो साइंटिफिक इण्डस्ट्रीज है उस पर बोलना चाहता हूँ। Ambala was known as a city of scientific Industry. Sir, it is dicing. सर, इसको मदद की जरूरत है। मदद भी ज्यादा नहीं चाहिए। सर, आसपास की स्टेट्स में सब जगह

उस इण्डस्ट्री पर VAT माफ किया हुआ है। सब जगह टैण्डर भरे जाते हैं और अम्बाला के लोग कम्पीट नहीं कर पाते और यह इण्डस्ट्री खत्म होने की कगार पर खड़ी है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी रिक्वैस्ट है कि अम्बाला की साइंटिफिक इण्डस्ट्री को बचाने के लिए उसके ऊपर से वैट खत्म कर दिया जाये। अगर खत्म नहीं करते हैं तो बाकी स्टेट्स के एट पार किया जाये ताकि यह उनसे मुकाबला कर सकें। ऐजूकेशन का चाहे कोई भी इन्स्टीच्यूट है, चाहे कोई कॉलेज है, स्कूल है या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब जगह अम्बाला से सामान जाता है। जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वे कम रेट देकर ऑर्डर ले लेते हैं और अम्बाला के लोग पीछे रह जाते हैं। इस बारे में गौर किया जाये।

सर, डिमांड नं० 8 में बिल्डिंग एण्ड रोड्ज़ के बारे में बताया गया है। बाढ़ आये 3 साल हो गये हैं अभी तक जो सड़कें सैंक्शन की गई थी वे भी नहीं बनी हैं। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने पिछले सत्र में भी कहा था कि हम उनको बना देंगे लेकिन मेरे हलके की सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। हम बार-बार अधिकारियों के पास खुद जाकर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको बनाया नहीं जा रहा है। सर, मुझे बाकी हरियाणा का तो पता नहीं लेकिन मेरे हलके की सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। बिल्डिंग एण्ड रोड्ज के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सिक्स लेनिंग बन रही है इसमें मैं मानता हूँ कि पैसा केन्द्र से आ रहा है लेकिन हरियाणा सरकार को इसका क्वालिटी ऑफ वर्क तो देखना चाहिए कि किस प्रकार का क्वालिटी ऑफ वर्क सिक्स लेन में यूज हो रहा है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for 30 minutes?

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The time of the sitting of the House is extended for 30 minutes.

वर्ष 2012-2013 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज : अगर सरकार का कोई नियंत्रण है और P.W.(B&R) Department has to do something, if the Government has to do something in this regard, तो उनको यह देखना चाहिए कि जब काम ही पूरा नहीं हुआ है तो इन्कम्पलीट रोड्ज के ऊपर, डाइवर्सन्ज के ऊपर टैक्स कैसे चार्ज कर सकते हो?

Mr. Speaker : N.H.A.I. is an independent authority and Government of Haryana can't do anything in this regard .

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, यह मैंने मान लिया कि यह ठीक है लेकिन अगर किसी स्टैट की सीमा में किसी तरह की कोई कमी काम में पाई जाती है तो उस स्टेट का यह अधिकार है कि उसको वह चैक करे और संबंधित अथोरिटी को इसके लिए अवगत करायें।

Mr. Speaker : There is Court's decision on that.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के बारे में मैं पिछले कई सैशन में बात उठाता रहा हूँ Sir, Hon'ble Chief Minister was kind enough when I was admitted to PGI. ये वहां पर मुझे देखने के लिए जब आए तो वहां पर भी मैंने यह बात रखी और इन्होंने मुझे एश्योरैंस भी दिया था। अम्बाला चवनी के अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। यह अस्पताल अंग्रेजों के जमाने में एक खैराती अस्पताल होता था। सर, आजाद हिन्दुस्तान में उस अस्पताल पर एक ईंट भी नहीं लगी है। सर, अम्बाला छावनी के लिए एक ट्रॉमा सैंटर भी मंजूर हुआ था लेकिन पिछली प्लॉन में यह ट्रॉमा सैंटर अम्बाला कैंट की बजाय अम्बाला सिटी में बना दिया गया अगर वह ट्रॉमा सैंटर अम्बाला छावनी में बन जाता तो हमारा काम चल जाता। सर, अम्बाला छावनी के अस्पताल की ऐसी हालत है कि वहां पर एक भी पेसेंट रखा नहीं जाता। सारे पेसेंट वहां से ट्रांसफर करने पड़ते हैं। सर, साहा में कुछ दिन पहले एक्सीडैंट हुआ उस समय एक भी बच्चे का उस अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सका। कुछ बच्चों को कुछ पी.जी.आई., कुछ बच्चों को मिल्ट्री अस्पताल और बाकी को 32 सैक्टर में रैफर करना पड़ा। सर, हर आदमी पी.जी.आई. में नहीं जा सकता, हर आदमी फोर्टीस जैसे अस्पताल में नहीं जा सकता, हर आदमी प्राईवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा भी था कि जब वे अम्बाला जायेंगे तो मुझे साथ लेकर उस अस्पताल को देख कर आयेंगे। पता नहीं अब उस बात को अमलीजामा पहनाया जाएगा या नहीं। हैल्थ मिनिस्टर साहब को भी मैंने इस बारे में कहा था कि आप इस अस्पताल को जरूर देखें।

श्री अध्यक्ष : आप इन्वाइट कीजिए आपने इन्वाइट ही नहीं किया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने हैल्थ मिनिस्टर साहब को भी कहा था।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो 15 अगस्त पर विज साहब को बुलाया था लेकिन ये नहीं आए,वह तो राष्ट्रीय फंक्शन था इनको आना चाहिए था। राष्ट्रीय फंक्शन पर इनको कार्ड गया होगा, इनको आना चाहिए था। मैं तो खुद हॉस्पीटल में हो कर आया हूँ।

Shri Anil Vij : Sir, I was not intimated at that time.

श्री अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी को इन्वाइट कीजिए वह आएंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूँ आओ। सरकार भी इस काम में मदद करे और लोगों को भी कहेंगे कि इसमें सहयोग करें ताकि उस अस्पताल की हालत को सुधारा जा सके जोकि बहुत आवश्यक है।

सर, मांग नं० 17 जो इम्प्लौयमैंट के बारे में है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर, अम्बाला कैंट में एक बहुत पुराना इम्प्लौयमैंट एक्सचैंज होता था। पिछले कुछ दिन पहले जब बरसात के मौसम में इस इम्प्लौयमैंट एक्सचैंज में पानी भर गया था तो उसे टैम्परेरी तौर पर अम्बाला सिटी शिफ्ट कर दिया गया था। सर, अब अम्बाला सिटी में दो इम्प्लौयमैंट एक्सचैंज काम कर रहे हैं। लेकिन अम्बाला कैंट का जो इम्प्लौयमैंट एक्सचैंज टैम्परेरी तौर पर अम्बाला सिटी शिफ्ट किया गया था वह वापस अम्बाला छावनी शिफ्ट नहीं किया गया है जिसके कारण बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अम्बाला छावनी से अम्बाला सिटी के लिए कभी थ्री व्हीलर्ज में तो कभी लोकल बसों में बैठ कर जाना पड़ता है। सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह इम्प्लौयमैंट एक्सचैंज का ऑफिस अम्बाला छावनी में वापिस शिफ्ट किया जाए क्योंकि यह अम्बाला छावनी के लोगों का हक है।

सर, अब मैं मांग नं० 34 के बारे में बोलना चाहता हूँ जोकि परिवहन विभाग के बारे में है। सर, अम्बाला कैंट एक ऐसा शहर है जिसमें फैसीलिटीज विद ड्रा की जाती है, एड नहीं की जाती। यहां पर बहुत पहले लोकल बस चलती थी। अब अम्बाला कैंट की लोकल बस को बंद कर दिया गया है, सर, एक भी लोकल बस अम्बाला कैंट के अन्दर नहीं आती जो कि बहुत बड़ा शहर है। सर, लोगों को थ्री व्हीलर या दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है। अम्बाला छावनी के लिए बस स्टैण्ड मंजूर हुआ था लेकिन उसके बाद जब वहां से लोकल बस ही बंद कर दी तो बस स्टैण्ड की तरफ तो किसी का ध्यान क्या जाना था ? सर, पब्लिक हैल्थ एंड वाटर सप्लाई के बारे में जो डिमांड नं० 38 है उसके बारे में बोलना चाहता हूं। अम्बाला कैंट की हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज डाला जा रहा है जोकि बरसात में खराब हो गया था। यह सीवरेज बहुत गलत तरीके से डाला जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत इंजीनियर-इन-चीफ से भी की थी उन्होंने अपने विजीलेंस डिपार्टमैंट के अधिकारी के द्वारा उस काम को चैक करवाया है और उस अधिकारी ने वहां खुद जाकर चैक भी किया है कि वहां पर किस प्रकार से बिना टैक्नीक के बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहा है। यह सीवरेज वहां पर 20 साल के बाद डाला जा रहा है। इसी प्रकार से अम्बाला कैंट में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम की लाईन डाली जा रही है जिनका काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अम्बाला कैंट के पैरीफेरी एरिया को अब बढ़ा दिया गया है मेरा आपसे अनुरोध है कि कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम का लाभ उन लोगों को भी मिले जो इस बढ़े हुए पैरीफेरी एरिया में रहते हैं क्योंकि वहां ट्यूबवैल लगाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। वहां पर कैनाल बेस्ड वाटर की ज्यादा आवश्यकता है इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, जो डिमांड नं० 42 है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग के दौरान अम्बाला कैंट की कोर्ट्स अम्बाला सिटी में स्थानांतरित कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक यह कोर्ट्स अम्बाला सिटी में ही चल रही हैं। अंग्रेजों के शासन काल के समय में अम्बाला में एक कोर्ट थी लेकिन वह कोर्ट भी अब अम्बाला सिटी में चली गई है और आज तक अम्बाला कैंट में वापस नहीं लाई गई है। अब मैं होम डिपार्टमैंट के बारे में जो डिमाण्ड है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह को बढ़ाया जाना चाहिए। हम हरियाणा को नम्बर-1 कहते हैं। इंडस्ट्री नम्बर-1 भी वही होती जिसके कर्मचारियों को भी सबसे ज्यादा पे मिलती है। हरियाणा नम्बर-1 भी उसी दिन होगा जिस दिन हमारे कर्मचारियों को वेतन बाकि स्टेट्स से ज्यादा मिलेगा। हमारे प्रदेश के भर्ती होने वाले पुलिस कर्मचारी को मात्र 13 हजार रूपये मिलते हैं जबकि जो पुलिस कर्मचारी यू.टी. में भर्ती होता है उसको 26 हजार रूपये मिलते हैं। यही हालत बाकि डिपार्टमैंट के कर्मचारियों की भी है। आज उनमें रोष है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करुंगा कि इसकी ओर भी सरकार गौर करे व ध्यान दे।

श्री आफताब अहमद: सर, मेरी सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर केवल एक ही डिमांड है जो रेवेन्यू से संबंधित है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगजनी के जो केस होते हैं उनका कम्पनसेशन सरकार एसैस करके पीड़ित को राहत पहुंचाती है। मेरे अपने जिले में जो आगजनी के केस हुए हैं उनकी कम्पनसेशन के पिछले सात साल के पैसे अब तक नहीं मिल पाये हैं और संभवतः यही हालत हरियाणा के दूसरे जिलों में भी होगी। एक तो आगजनी से नुकसान होता है और दूसरा उसकी कम्पनसेशन के लिए भी वेटिंग लिस्ट बन जाती है। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि पीड़ित को राहत ही देनी है तो वह समय रहते उसको मिल जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका प्रावधान भी हमें बजट में पहले से रखना चाहिए।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the demands will be put to vote of the House.

Mr. Speaker: Question is – .

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 1,04,33,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 1- Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 2,76,38,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 2- Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 3,20,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 3. General Administraton.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 100,3600,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 4- Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 49,63,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹4,45,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 4,98,44,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 7- Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 2,40,50,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹5,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **49,60,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 10-Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **18,22,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 11-Sports and Youth Welfare.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **197,30,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 13-Health.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

that a Supplementary sum not exceeding ₹ **503,83,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 15-Local Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **11,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 17-Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **8,35,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 18-Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **154,95,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

[श्री अध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **53,32,01,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 21-Women and Child Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 852,27,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 23-Food and Supplies.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 12,69,20,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **9,61,05,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 27-Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 6,27,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 March, 2013 in respect of **Demand No. 30- Forest and Wild Life.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum riot exceeding **₹ 14,88,54,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 32-Rural and Community Development.**

The motion was carried.

प्रो० संपत सिंह : स्पीकर सर, ट्रांसपोर्ट का जहां तक सवाल है मैं सिर्फ दो छोटी मोटी बातें ही कहना चाहूंगा। आज के दिन सभी जगह आप पब्लिक को सर्विसेज दे सकें, यह संभव नहीं है। केरला जैसी स्टेट में 2000 सरकारी बसें चल रही हैं और 32 हजार प्राइवेट बसें चल रही हैं। स्पीकर सर, पिछले दिनों कोर्ट से भी इस बारे में नोटिस आया है। पिछले दिनों कोई हैपनिंग हुई थी उसके बारे में किसी ने कोर्ट में पी.आई.एल.डाली थी, उस पर कोर्ट ने फैसला दिया है और उस फैसले में कहा है कि यह जो कॉमर्शियल व्हीकल्ज हैं जो वजन उठाने वाले हैं उनमें पैसिंजर्स को यात्रा अलाऊ नहीं होगी। यह कोर्ट का आर्डर है और वैसे भी हम यह फैसला इंप्लीमैंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम इतनी सुविधायें नहीं दे सकते कि गवर्नमैंट सारी बसें खरीदकर सड़क पर चलाए। प्राइवेट सैक्टर को हर सैक्टर में बढ़ावा मिल रहा है। यह बात वैसे तो हाईकोर्ट में चैलेंज हुई है, इसमें हाईकोर्ट को कुछ ऑब्जैक्शंस हैं, उसमें कुछ अमैंडमैंट्स करनी हैं। मैंने इस बारे में बजट पर डिस्कशन के समय कहा था कि जब तक प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत नहीं होगा और इसी तरह से अनअथोराइज्ड व्हीकल्ज चलती रहेंगी, तब तक इसी तरह से सैनीवाल गांव जैसे ऐक्सीडैंट्स होते रहेंगे और 29-29 लोग इकट्ठे मरेंगे। एक-एक कैंटर में 70-70, 80-80 सवारियां लेकर चलते हैं और मजबूरी में आदमी को उनमें सफर करना भी पड़ता है। अभी मैक्सीकैब के चालान की बात हो रही थी कि पिछले दिनों 12 हजार से 14 हजार चालान भी हुए हैं लेकिन सिर्फ चालान से बात बनने वाली नहीं है। सुविधायें हमें देनी पड़ेंगी। इस बारे में गवर्नमैंट ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करके, स्क्रूटीनाइज करके जल्दी से जल्दी उसको लागू करें ताकि लोगों को सेवा मिल सके।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 2,00,40,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 34-Transport.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 4,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 36-Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 3,61,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 37-Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 12,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 38-Public Health and Water Supply.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Supplementary sum not exceeding **₹ 43,92,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 2,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 March, 2013 in respect of **Demand No. 43-Prisons.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 14,08,55,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2013 in respect of **Demand No. 45-Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

विधान कार्य –

1. दि हरियाणा लेजिसलेटिव असैम्बली (सैलरी अलाउन्सेज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैन्डमैन्ट बिल, 2012

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2012 and also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2012.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रो० संपत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो वॉल्वो बस की सेवा दी जा रही है इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। सर,एम.एल.एज.आज ऐसी इंस्टीच्यूशन हैं, जिसको इम्पॉवर करना बहुत ही जरूरी है। स्पीकर सर, चर्चाएं आएंगी, आने दें, क्योंकि पब्लिक की सर्विसेज हमने करनी हैं और कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था यह विधान सभा है और इसको वैल इक्विप्ड करना हमारा फर्ज बनता है। सर, इतना बड़ा काम करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है।

कुछ लोगों का ऐसे कह देना कि विधायकों को इस सुविधा की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार से तो फिर किसी डिपार्टमैंट को कोई सुविधा देनी जरूरी नहीं है। लोग तो अपने घर से पैसे देकर नौकरी लगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पुलिस इंस्पैक्टर बनने के लिए तैयार बैठे हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वे क्या करेंगे। वह रीजन ही नहीं है रीजन यह है कि ऐफीशिएंसी आनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए। लोगों को सर्विसेज के लिए कमिटेड रहना चाहिए ताकि वे सर्विसेज हम दे सकें। वह हम तभी कर पाएंगे जब We are well equipped. इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था और आज आपकी मार्फत भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी परम्परा पैटी ग्रांट की चलाई थी। पहले पैटी ग्रांट एक लाख रुपये की गई थी, फिर 2 लाख रुपये पैटी ग्रांट की गई थी। मेरा सुझाव है कि सरकार जो बजट अलाऊ करती है उसके हिसाब से इसको जितना बढ़ाया जाए, उतना ही अच्छा है। यह सुविधा गरीब आदमी की मदद करने के लिए होती है, जैसे किसी का ऐक्सीडैंट हो जाता है, कोई बर्न हो जाता है, किसी को दवाई-पानी की जरूरत होती है। सर, एम.एल.ए. जब किसी के पास उसका दुख सुख बांटने के लिए जाता है तो लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वह कुछ न कुछ देकर जायेगा। सभी विधायकों के पास इतने रिसोर्सिज नहीं होते कि अपने साधन से वे दे पाएं। ऐसे बहुत से विधायक हैं जो अपनी जेब से दे सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जेब से नहीं भर सकते जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है उसी में से ही दे पाते हैं दूसरे तरीके से नहीं दे सकते इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में कुछ किया जाए। दूसरा सर, आपने विधान सभा की कमेटियां बनाई हुई हैं जब ये कमेटियां 12 दिनों, 16 या 18 दिनों के लिए दूसरे स्टेट्स में जाती हैं और उस समय कमेटी रैस्ट हाउस के अलावा कहीं होटल या क्लब में बाहर ठहरती है तो वहां पर 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना पड़ता है। कमेटी के साथ जो विधान सभा का स्टाफ जाता है उसको तो यह पैसा रिइम्बर्स हो जाता है लेकिन मैम्बर्स को वह सुविधा नहीं मिल पाती है। आजकल आपको तो पता है कि रैस्ट हाउसिज की हालत बहुत बुरी है। हमारे यहां तो बहुत अच्छी हालत में सारे रैस्ट हाउसिज हैं लेकिन दूसरी स्टेट्स के रैस्ट हाउसिज की हालत बहुत बुरी रहती है। अगर इनके अलावा कहीं बाहर किसी अच्छे होटल या क्लब टाईप के किसी होटल में ठहरना पड़े तो वहाँ पर 5000 या 6000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से देने पड़ते हैं। इसलिए यह सुविधा मैम्बर्स को भी मिलनी चाहिए। दूसरे सभी आफिसर्ज को यह सुविधा है। इसी तरह से हवाई यात्रा के बारे में एक एनामली थी जोकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी है यह बहुत ही एप्रिसिएबल है। यह दूसरी बात है कि अगर आपको इकोनामिक मईयर्स एडोप करने हैं तो किसी पर्टीकुलर टाईम के लिए आप किसी चीज को बैन भी कर सकते हैं कि आप इस क्लास में नहीं जायेंगे और इस क्लास में जा सकते हैं। यह अलग चीज है। लेकिन as a matter of right जो होना चाहिए था वह मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है उसको मैं एप्रिसिएट करता हूं। इससे क्या होता है सर, रिसपोंसिबिलीटी और एकाउंटेब्लिटी की अगर बात आयेगी तो सबसे ज्यादा एम.एल.एज. की ही बात आयेगी। जब एथोरिटी की बात आयेगी या वैल इक्विपड होने के लिए किसी साधन की बात आयेगी तो अगले दिन उसके लिए खूब प्रचार होता है। इसका मतलब तो यह है कि राजनीति में बेईमान लोग ही आयेंगे और ईमानदार लोग राजनीति में आने बन्द हो जायेंगे। इसलिए इस प्रकार की हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। हमारे जैसे लोग इसलिए हिम्मत रखे हुए हैं कि एक दिन तो बेईमान लोगों का अन्त होगा ही। ये लोग भी राजनीति से जायेंगे हालांकि ऐसे बेईमान लोगों को डर तो बहुत है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

भविष्य में डैमाक्रेसी को बहुत खतरा पैदा हो रहा है। मैं किसी एक बिजनैस का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जिस तरीके से इलीगल और अनएथोराईज्ड वर्क कर करके और जगह भर भरके राजनीति में लोग जिस तरह से आने लग रहे हैं तो उनका ईमानदार लोग कैसे मुकाबला करेंगे। इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक दिन अपील की थी कि मेरे एरिया में कुछ ऐसे unscrupulous type के लोग आ गयें हैं। मुख्यमंत्री जी आप सारे हरियाणा में चाहे सर्वे करवा लें। कांग्रेस का वर्कर कोई नहीं मिलेगा जो अनएथोराईज्ड ढंग से कालोनी काट रहा हो। हरियाणा के अन्दर वे जिस तरह से लूटने लगे हुए हैं हर जगह अनएथोराईज्ड ढंग से कालोनियां काट रहे हैं। उन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना ही डर बताया था कि यह पैसा मेरे खिलाफ ही ये लोग कल को इस्तेमाल करेंगे। आप पार्टी की तरफ से मुझे कितनी मदद दे पायेंगे क्योंकि अपनी पार्टी के पास इतना पैसा कहां हैं ? आप एक खुद ईमानदार आदमी हैं और सरकार को ईमानदारी से चला रहे हैं। आपकी पार्टी ईमानदारी से चल रही है। कांग्रेस पार्टी के पास चण्डीगढ़ में पार्टी का आफिस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वरना और दूसरी पार्टियां होती तो अब तक खुद का आफिस कभी का खरीद लेती। यही झलक यह साबित करती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी में ईमानदारी की कोई कमी नहीं है। हमारी पार्टी का वर्कर इस तरह की एक्टिविटी में कहीं नहीं रहता। लेकिन वे जिस तरह की हुडदंगई करते हैं। जैसे मैंने सिरसा का उदाहरण दिया था वही हालत उन्होंने आज सारे स्टेट में कर रखी है यहां विधानसभा में तो वे कम करते हैं और विधानसभा के बाहर तो सिरसा जैसी हालत उन्होंने सारे स्टेट में कर रखी है। खूब पैसा कमा रहे हैं और किस किस से कहां मिलते हैं क्या क्या करते हैं यह मुझे नहीं मालूम इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया था और आज इस विधान सभा में मैं यह बातें बता रहा हूं कि उन्होंने सारी स्टेट के अन्दर बहुत बुरा हाल कर रखा है बहुत ही गदर मचा रखा है और उस गदर को किसी तरीके से रोका जाये वरना वो आगे जाकर फिर वायलन्स करेंगे, अग्रैसन में आयेंगे। कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है तो वही लोग आगे आते हैं चाहे कहीं रास्ता रोकने की बात हो या कहीं पब्लिक को डिस्ट्रब करने की बात हो या कहीं पीस को डिस्ट्रब करने की बात हो तो इसी किस्म के लोग जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं उनका माईंड किसी अच्छी सोच की तरफ नहीं जायेगा। उनकी सोच ऐसी ही गतिविधियों की तरफ जायेगी। जहां कहीं भी चाहे आग लगानी है या कहीं और कुछ करना है तो ऐसे एलीमैंट ही आगे आकर इस तरह की गतिविधि करते हैं। जिस तरह से आपने राजनीति को चेन्ज किया है जो सारे कन्ट्री में एप्रिसिएबल है वहीं आपको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जिस तरह से आपने पोलिटिकल रायवैलरी खत्म की है। ट्राईबल पोलिटिक्स हरियाणा की खत्म की और बदला-बदली की भावना आपने खत्म की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत बढ़िया है। लेकिन सर, कहीं तो आपको स्ट्रॉंग हैंड लेना पड़ेगा और जो इस किस्म के एलीमैंट हैं इनके खिलाफ तो आपको स्ट्रॉंग हैंड से चलना पड़ेगा। उनको उसी प्रकार का मैसेज जाना चाहिए जैसे पिछली बार आपकी सरकार बनी थी उस समय पहले ही साल में जिस तरह का मैसेज आपने दिया था और जिस तरह से यहां के जो बदमाश लोग थे वे सारी स्टेट को छोड़कर चले गये थे। उसी तरह का एक स्ट्रॉंग हैंड से आपको मैसेज देना पड़ेगा कि Bed Elements जो हैं चाहे वे किसी पार्टी से संबंधित हों चाहे किसी पार्टी से संबंधित न हों।

Mr. Speaker: Sampat Singh ji, you will restrict yourself to this subject because amendment bill is to be introduced and you will speak on that.

Prof. Sampat Singh: Thank you Sir.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्पत सिंह जी ने कई सुझाव दिए। इन्होंने हमारे विधायक साथियों को एक्जीक्यूटिव क्लास में और वोल्वो बसिज में फ्री ट्रैवल की सुविधा देने के बारे में सदन के सदस्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया है। अध्यक्ष महोदय, दो लाख रूपये प्रति वर्ष पैटी ग्रांट की राशि की एक नई सुविधा हरियाणा गवर्नमैंट ने हमारे विधायक साथियों को दी थी जो और किसी प्रांत में नहीं है, उसकी चर्चा भी माननीय सदस्य ने की और उसे बढ़ाने के बारे में भी कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि हम इस बारे में जो जरूरी अमैंडमैंट्स होंगी वह कर देंगें और इस दो लाख रूपये की राशि को इसी वर्ष से तीन लाख रुपये कर देंगें। अध्यक्ष महोदय, विज साहब इससे सहमत हैं या नहीं इनसे पूछ लें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हम मिनिस्टर्स का भी कन्वैंस रेट इन्क्रीज कर देंगें। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने अपने क्षेत्र में कुछ अवांछित तत्वों की चर्चा भी की है। मैं आदरणीय सदस्य को सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि इस तरह का कोई व्यक्ति है ही नहीं लेकिन अगर माननीय सदस्य को फिर भी लगता है कि इस तरह का कोई अवांछित व्यक्ति है तो वे उसके बारे में सरकार के नोटिस में लाएं। अगर कोई गैर कानूनी कार्य करता हुआ न केवल इनके इलाके में बल्कि पूरे प्रांत में लगता है तो कृपया करके ये उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आएं और उसकी एक प्रतिलिपि स्पीकर महोदय आपको भी भेज दें। हम यह सुनिश्चित करेंगें कि उस पर 24 घंटे में कार्यवाही हो। किसी भी इस तरह के व्यक्ति को आपके इलाके में या कहीं और गड़बड़ नहीं करने देंगें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, his demand was that when they have to go to other States, the rest houses are not in good condition and therefore, they have to arrange for the private accommodation. For that matter, you may give your reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत तौर पर सम्पत सिंह जी ने, आनन्द सिंह डांगी जी ने, बतरा जी ने और अन्य सम्मानित सदस्यों ने यह बात उठाई थी इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि जैसे सरकारी कर्मी जो हैं वे अपनी मर्जी से कहीं भी रूकें उनको प्रति दिन के हिसाब से नाइट स्टे के पैसे मिलते हैं उसी प्रकार अगर हाउस की कमेटी कहीं बाहर जाती है और मैम्बर्ज को लगे कि सरकारी रैजीडैंशियल एकोमेडेशन अच्छी नहीं है क्योंकि हरियाणा के तो रैस्ट हाउसिज अच्छे हैं परंतु सब जगह अच्छे रैस्ट हाउसिज नहीं होते तो वे अपनी मर्जी से कहीं भी रूक सकते हैं उनको 5000 रूपये तक की राशि प्रति दिन हम डिफ्रे किया करेंगें लेकिन उसको रिम्बर्समैंट कराना पड़ेगा।

Mr. Speaker: Mr. Vij, any suggestion on this?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता और पैंशन के बारे में सम्पत सिंह जी ने काफी विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में केवल दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इनकी मैं बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस करता हूं। अध्यक्ष महोदय, विधायक को एक दफ्तर जरूर मुहैया करवाया जाना चाहिए। हम एम.एल.ए. बन जाते हैं, हमारा घर दफ्तर बन जाता है और हमारे परिवार के लोग चपड़ासी, पानी

[श्री अनिल विज]

पिलाने वाले और चाय पिलाने वाले बन जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ऑफिस सैपरेटली विधायक के लिए होना चाहिए। हर विधान सभा क्षेत्र में अनेकों सरकारी इमारतें हैं जहां पर एक कमरा विधायक के लिए मुहैया कराया जा सकता है और उसके लिए एक चपड़ासी भी दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विधायकों को एक पी.ए. दे रखा है और उसके लिए सरकार पैसे देती है जोकि बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिना गाड़ी के हम कहीं जा नहीं पाते इसलिए विधायकों को एक ड्राइवर की सैलरी देने पर भी आप विचार करें। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग तो साधन सम्पन्न हैं और उन्होंने तो 10-10 गाड़ियां रखी हुई हैं परंतु हर आदमी इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। सम्पत सिंह जी काफी विस्तार से बता चुके हैं कि इन चीजों की आवश्यकता क्यों है ताकि लोग गलत रास्तों की तरफ न जाएं। मुख्यमंत्री महोदय आज तो काफी कृपालु हो रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक ड्राइवर की तनख्वाह पर भी जरूर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 5000 रूपये की रिम्बर्समैंट की बात है वह प्रतिदिन की है। कमेटी वर्ष में 12 दिन तक बाहर जाती है तो मैम्बर जो बाहर रहा हो और यदि वह बिल पेश कर दे तो वह 60,000 रूपये की रिम्बर्समैंट ले पाएगा। यह 5000 रूपये वन टाइम नहीं है बल्कि 5000 रूपये पर डे के हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष में कमेटी के स्टेट से बाहर के टूर पर जाने के लिए अब 12 दिन के बजाय 18 दिन कर दिया है परंतु यदि हम 6 दिन या 4 दिन के लिए जाते हैं तो हमें किस हिसाब से नाइट स्टे का अमाउंट दिया जाएगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेववाला: अध्यक्ष महोदय, जितने दिन आप अलाउ करेंगें, उसमें 5000 रूपये पर डे के हिसाब से subject to submission of bills it can be reimbursed and we will bring all the necessary amendments in this regard.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister(Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा श्री दुर्गा माता श्राईन बिल, 2012

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012 and will move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill, 2012.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill be taken into consideration at once.

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, ये बिल मुझे कुछ समय पहले ही मिले हैं इसलिए मैं पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। यह जो बिल है यह मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। मैं इसके क्लॉज-4 के बारे में कहना चाहूंगा जिसमें यह लिखा गया है कि इस संस्था के मैंबर कौन-कौन बन सकते हैं। इसके मुताबिक हमारे मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे, कार्यभारी मंत्री, पंचायत तथा विकास विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे, सचिव, हरियाणा सरकार विकास तथा पंचायत विभाग इसका पदेन सदस्य होगा। इसी प्रकार से इस बिल की क्लॉज-4 में और मैंबर के नाम भी बताये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड का मैंबर कौन नहीं बन सकता उसके बारे में इस बिल के क्लॉज-8 में लिखा है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो हिंदू नहीं है वह इसका मैंबर नहीं बन सकता। अगर ऐसा व्यक्ति स्टेट का मुख्यमंत्री हो जो हिंदू समुदाय से न हो तो क्या वह इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता या दूसरे मंत्री या पदस्थ अधिकारी जो हिंदू नहीं हैं वे इसके मैंबर नहीं बन सकते। इसी तरह से क्लॉज 8(l) में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति नशीली दवाईयों या शराब का आदी है तो वह भी मैंबर नहीं बन सकता। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई मुख्यमंत्री शराब पीता होगा तो क्या वह इसका अध्यक्ष नहीं बनेगा ? अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कुछ कमियां हैं। मैं इसको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया लेकिन इसमें कुछ कंट्राडिकशंज हैं इसलिए इस बिल को पास करने से पहले यदि लॉ डिपार्टमैंट से रिकंसीडर करवा लिया जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज-5 में श्राईन फण्ड्ज के उपयोग के बारे में कहा गया है लेकिन इसमें कोई एरिया डिसाईड नहीं किया गया है। जैसे कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड है या यमुना एक्शन प्लान है इनमें एरिया डिसाईड किया हुआ है कि इतना एरिया डिवैल्प हो सकता है। लेकिन इस बिल की क्लॉज-5 में एरिया फिक्स नहीं किया हुआ है इसलिए इसमें एरिया फिक्स जरूर करें। अभी नहीं तो बाद में अमैंडमैंट लाकर कर लें। रूल्ज बनाते समय भी एरिया फिक्स किया जा सकता है इसलिए जैसा उचित समझें कर लिया जाये।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, दो सुझाव इसके बारे में आये हैं। मुझे विश्वास है कि सबसे पहले तो जो इस बिल के पीछे सरकार की मंशा है आदरणीय विज साहब भी और पूरा सदन भी इस बिल की ताईद करेगा कि माता वैष्णो देवी जी का श्राईन जम्मू-कश्मीर में और इसी प्रकार से माता मनसा देवी जी का श्राईन हरियाणा में है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for 15 minutes.

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting of the House is extended for 15 minutes.

दि हरियाणा श्री दुर्गा माता श्राईन बिल, 2012 (पुनरारम्भण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों ही फार बैटर गवर्नैंस हैं और इनके जो भक्तजन आते हैं उनके द्वारा चढ़ावे की राशि भी बैटर गवर्नैंस है। सर, यहां भी लाखों श्रद्धालू आते हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर यह निर्णय लिया है कि हम इसके लिए भी एक श्राईन बोर्ड बना दें।

माननीय विज साहब ने तो यह कहा है कि इस बिल की Clause 8 में लिखा है कि A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Board:— if such person is not a Hindu. Speaker Sir, Clause 8 (a) has to be read with Clause 4(e) and 4(e) says that nine persons to be nominated by the Government, as members, in the following manner. ये वे 9 लोग हैं जिनका रिचुअल में, जिनका हिन्दु सभ्यता के अन्दर और जिनका हमारी संस्कृति के अंदर विश्वास और विश्वसनीयता है। Sir, can the Hon'ble member read Clause 4(e). Clause 8 which is describing the qualifications of Clause 4(e) . Sir, Mr. Vij is only giving sitting commentary. अगर कोई सैक्रेटरी या मिनिस्टर डवैल्पमैंट एण्ड पंचायत मुस्लिम समुदाय से है या मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से हैं या ईसाई समुदाय से हैं, तो सर, जैसा कि आपको भी मालूम है कि जिस दिन हम इस प्रकार के किसी पद को ग्रहण करते हैं तो हम एक सॉविरन ऑथ लेते हैं जो सब धर्मो और पक्षों को संतुलित और एक नज़रिये से देखने की कांस्टीच्युशनल ऑथ होती है। उसमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है कि श्री विज बगैर कानून पढ़े ही सुझाव दे रहे हैं। Sir, they are only ex-officio members and it is qua 4(e) that is qualification describing of Clause 8. दूसरा सुझाव आदरणीय चौधरी सम्पत्त सिंह जी ने दिया जो कि श्राईन फण्ड की एप्लीकेशन के बारे में है। सर, इस बारे में मैं आपका ध्यान इस बिल की Clause 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। Clause 5 says that—

The Shrine funds shall be applied for—

(a) defraying expenses for the proper maintenance of the Shrine. सर, श्राईन का एरिया तो डिफाईण्ड है performance of pooja and other rituals सर, इसमें तो कोई एरिया डिसक्राईब करने की ज़रूरत ही नहीं है;

(b) providing amenities, facilities to the visiting devotees सर, यह भी श्राईन के एरिया में ही हो सकता है या नेबुरली गांव के एरिया में हो सकता है उससे बाहर नहीं हो सकता;

(c) establishment and maintenance of educational institutions that has also to be in the vicinity;

(d) training of vidyarthies; and

(e) securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshipers visiting the Shrine.

So, everything is very clear and it needs no further elaboration for the time being.

Mr. Speaker : Mr. Sampat ji, area means a land area. You mean to say a land area.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां आते हैं उनकी सुविधा के लिए सभी तरह की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मार्किटिंग कमेटी होती है उसका जो फण्ड होता है उसका इस्तेमाल कमेटी के एरिया में ही नहीं होता बल्कि उसके साथ जितने भी गांव लगते हैं उनमें भी उसका यूज़ होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कनैक्टिविटी

[श्री सम्पत सिंह]

अच्छी होगी तो श्राईन में सभी आने वालों को बेहतर सुविधा मिल जायेगी। इससे जुड़ने वाले जो गांव हैं अगर उनकी सड़कें और जो दूसरी सुविधायें हैं अगर वे सुविधायें भी इसमें जोड़ ली जायें तो यह बैटर रहेगा। मैं तो बस यही एक सुझाव देना चाहता था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह एक वैल्युएबल सजैशन है इसलिए हम इसको देख लेंगे और जैसे ही रूल्ज़ के अंदर फर्दर तरमीम की आवश्यकता हुई तो हम इसे एड कर लेंगे।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Shri Durga Mata Shrine Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 41

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 41 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा प्राईवेट टैक्नीकल एजुकेशनल इस्टीच्यूशंज (रैगुलेशन ऑफ एडमिशन एण्ड फी) बिल, 2012

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Technical Education Minister will introduce the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill, 2012.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 29

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 29 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Technical Education Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

4. दि हरियाणा स्टेट कमीशन फार वूमैन बिल, 2012

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Women & Child Development Minister will introduce the Haryana State Commission for Women Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana State Commission for Women Bill, 2012.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana State Commission for Women Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana State Commission for Women Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। अभी तक महिला आयोग के सदस्य कहीं पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता था या कहीं पर नारी निकेतन में कोई प्रॉब्लम होती थी वहीं पर आते थे। वहाँ पर एक स्टेटमैंट दी और अखबार में उनकी फोटो आ जाती थी, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं करते थे। अब इस बिल के माध्यम से इस आयोग को जो यह पॉवर दी जा रही है इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब चाहे कोई डोमैस्टिक वायलैंस है या ऑफिसिज में जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर उन पर कोई अत्याचार करता है या और किसी भी प्रकार की महिलाओं की कठिनाई है, तो आयोग द्वारा उसको जल्दी दूर किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ मंत्री जी इस बात को भी इन्श्योर करें कि इसमें एक टाईम फ्रेम भी हो। अगर किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है तो यह न हो कि वे मीटिंग्स ही करती रहें और कार्रवाई में देरी हो जाये। मीटिंग्स 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हो, ऐसा न हो बल्कि इसमें जल्दी कार्रवाई हो तथा निर्णय जल्दी आना चाहिए। ऐसे कई केसिज आते हैं जिनमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं ऐसे केसिज में जल्दी फैसला लेना चाहिए। उनका अभी तक बजट बहुत कम होता था, जिसमें मेरे ख्याल से उनका पैट्रोल का ही खर्चा निकलता होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि उनका बजट भी इन्क्रीज किया जाये जिससे कि जहाँ भी किसी महिला को कोई दिक्कत है तो वहाँ जा कर वे देख सकें और उसको न्याय दिला सकें। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम महिला आयोग का बिल लेकर आये हैं इसलिए मैं सदन को इस बारे में जरूर बताना चाहूँगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर के तहत 1999 में महिला आयोग का गठन हुआ था। उनको जो पॉवर्स दी गई थी वे बहुत कम थी। उनको सिविल कोर्टस की या ट्रायल की पॉवर नहीं थी। अब इस एक्ट के आने के बाद महिला आयोग को बहुत ज्यादा सशक्त कर दिया गया है। एक महिला होने के नाते भी और महिला आयोग को सशक्त करने के लिए भी, मैं विशेष तौर से मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। महिलाओं और बच्चों की जो स्थिति है उसको लेकर आज इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत थी। केवल पौलिटिकल तरीके से ही नहीं बल्कि यह स्टेट की सोशल रिसपौंसिबिलिटी थी जिसको कि आज हमने पूरा किया है। जैसा कि श्रीमती सुमिता सिंह जी ने कहा कि हमारे वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन, वाईस चेयरपर्सन और मैंबर्ज ने भी अपनी ओर से इस बारे में पूरी कोशिश की लेकिन पहले इनके पास स्टैच्यूटरी अधिकार नहीं थे इसकी वजह से पहले वे इस बारे में बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पाये। अब हमने बजट में भी इसके बारे में जहां प्रावधान किया है, उसके साथ-साथ हमने जो कमीशन को पावर्ज भी दी हैं। स्टेट वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं उसकी पावर फाईनैंशियल कमीशनर एण्ड प्रिंसिपल सैक्रेटरी के बराबर की होंगी ताकि वह अच्छे ढंग से इस आयोग में कार्य कर पाएं। इसके साथ ही वुमेन कमीशन के मैंबर्ज होंगे जिनकी संख्या पांच तक अधिकतम हो सकती है। उनको भी ज्वायंट सैक्रेटरी के लेवल की पावर्ज दी गई हैं। इन पावर्ज Functions of the Commission में हमने अच्छे ढंग से मैंशन किया है " Investigate and examine all matters relating to the safeguarding of women under the Constitution and other laws;"और इसमें कभी Amendment की बात हो या रिपोर्ट्स की बात हो इसके लिए सबसे जरूरी है कि इस एक्ट के लाने के बाद इस कमीशन को सिविल कोर्ट की तरह पॉवर्ज दी हैं कि वो वह किसी भी केस को सिविल कोर्ट की तरह डिसाईड कर सकती है. मैं समझती हूँ कि आज इस बिल के आने से हमारा

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

महिला आयोग स्वयं एक सशक्त भूमिका निभाएगा, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बिल हम सदन में लेकर आए हैं जिसके लाने में काफी लम्बा समय लगा है लेकिन यह बिल आने के बाद वुमेन कमीशन की ज्यादा पावर्ज बढ़ेंगी और महिलाओं से रिलेटिड जितने भी प्रोग्राम, पॉलिसीज या कानून हैं उनकी प्रोपर इम्पलीमैंटेशन में भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें एक्स ऑफिसिओं भी हमारे मैंबर्ज रहेंगे। जिससे इस कमीशन के काम करने में काफी मदद मिलेगी।

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल सरकार लेकर आई है उसको तो मैं बहुत एप्रीशिएट करता हूँ बल्कि सारी स्टेट ही इसको एप्रीशिएट करेगी क्योंकि आज के दिन सबसे करंट इश्यू जो है वह महिलाओं और बच्चों का ही चल रहा है। समाज के अन्दर सुधार के लिए जिस तरह से इस कमीशन को इम्पॉवरमैंट किया है और एक किस्म से उनको Statutory ओहदा हो गया है। सर, मैं यह चाहता हूँ कि जो चेयरपर्सन के लिए क्वालिफिकेशन रखी है, मंत्री जी अगर यह और एलोब्रेटरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल में बस आपने इतना ही लिखा है कि a Chairperson, who shall be a women committedto the cause of women, to be nominated by the Government. क्योंकि आज का जमाना पढ़े लिखे लोगों का भी है। यह ठीक है कि मैंबर्ज की नॉमीनेशन होती है, मुझे पता है गवर्नमैंट की इन्टैंशन इसमें क्लीयर होती है। वह किसी को भी चेयरपर्सन बना सकती है बनाए, लेकिन यह बिल तो आने वाले वक्त के लिए है कोई आज के लिए यह बिल नहीं। यह तो हमेशा होता रहेगा। कल को कोई आदमी किसी को भी चेयर पर बिठा सकता है तो इसको थोड़ा सा और सोच कर बनाया जाए क्योंकि आज जो बिल लेकर आए हैं। उसमें Off hand आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे इसलिए आप इस बारे में विभाग से, अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से कंसल्ट करके इसकी क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर देंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana State Commission for Women Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Women & Child Development Minister will move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): स्पीकर सर, बिल पास कराने से पहले जैसा कि प्रो.सम्पत सिंह जी ने एक बात कही है तो मैं कहना चाहती हूं कि इसमें चेयरमैन, वाईस-चेयरमैन और मैम्बर्स की भी योग्यता के बारे में लिखा है। Sir, I also beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

5. दि हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन बिल, 2012

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill, 2012 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill, 2012.

Sir, I beg to move —

That the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill be taken into consideration at once.

Sh. Bharat Bhusan Batra (Rohtak): Sir, I want to make certain suggestions to the Hon'ble Minister that if a student while going to the College/University has committed some ragging, because of his teenage or otherwise, he will be punished. There is no provision of appeal when penalty has been imposed. So, there should be a provision of the appeal also, because in a University the Head is a Principal, Vice-Chancellor and the Principal is the Head of the College also and the Headmaster is the Head of the School also. After forming the committee, if it is proved that he has committed ragging then punishment will be given to him. There should be one opportunity to improve otherwise also. यदि किसी बच्चे से गलती हो भी जाये तो उसको अपील का अधिकार जरूर देना चाहिए ताकि उसका भविष्य खराब होने से बच सके और उसे अपने किये गये कार्य पर पछतावा हो। कालेज में प्रिंसिपल हैड होता है, स्कूल में हैडमास्टर या प्रिंसिपल हैड होता है। जब इनकी कमेटी बनाई जाती है और उसमें कोई केस प्रूव हो जाता है कि किसी बच्चे ने रैगिंग की है तो उसके बाद दोषी बच्चे को सजा दे दी जाती है। मैं यह चाहता हूं कि जब किसी बच्चे को सजा दी जाती है तो बच्चे के कैरियर को देखते हुए उसे सजा के खिलाफ अपील का अधिकार जरूर देना चाहिए। अगर बच्चा फिर भी नहीं सुधरता तो फिर बच्चे को उस संस्था से निकालना ही सही है इसमें तो कोई शक नहीं है। यदि हम बच्चे को अपील का अधिकार नहीं देंगे तो बच्चे का भविष्य तो खराब होगा ही साथ में पेरैंट्स को भी काफी परेशानी उठानी पड़ेगी क्योंकि पेरैंट्स बड़ी मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं इस बारे में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जैसे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए माता-पिता ने पूना भेज दिया। उसको मैडिकल कालेज में एडमिशन भी दिला दिया। बच्चा तीन चार साल तक पढ़ता रहा उसके बाद उस बच्चे से गलती हो जाती है और बच्चे को संबंधित कालेज से निकाल दिया जाता है। इस तरह से बच्चे का कैरियर तो खराब होता ही है साथ में पेरैंट्स की भी दिक्कत बढ़ जाती है। पेरैंट्स की इस वेदना को आप लोग समझ भी सकते हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि जो

हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैडिकल कॉलेज हैं या दूसरे टैक्नीकल इंस्टीट्यूशंज हैं उनमें इस तरह के केसिज में एक अपील का प्रोविजन जरूर रखना चाहिए ताकि एक ऐपीलेट अथॉरिटी अच्छी तरह से ग्रिवैंस को स्टडी करके बच्चे के कैरियर को बचा सके।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): स्पीकर सर, हमारे सम्मानित साथी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव सदन के सामने रखा है। यह प्रावधान जो हम यह बिल लेकर आये हैं उसमें पहले से ही डाला हुआ है। पहले इसमें आर्डिनेंस लेकर आये थे। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कालेज से बहुत सी शिकायतें आ रही थीं कि स्टूडैंट्स रैगिंग का शिकार हो रहे हैं। जिसके कारण रैगिंग पीड़ित छात्रों को अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस कारण जो अच्छे स्टूडैंट्स हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। इससे बच्चों का साईकोलोजिकल और फिजिकल हरासमैंट भी होता है। जो बच्चे शरारती किस्म के होते हैं उनके कंट्रोल के लिए हमने इसमें पूरा प्रावधान किया है, कमेटी का भी गठन किया है, पैनेल्टी क्लाज भी है, पनिशमैंट भी है लेकिन इसमें जो सैक्शन 7 के सब सैक्शन 4 में हमने यह डाला है कि If the Head of the institution is not satisfied with the report made by the committee, he may himself, conduct an independent enquiry and pass any appropriate orders in writing for reasons to be recorded therein. उसके बाद डिसाईड किया जा सकता है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने की आवश्यकता है या नहीं है। इस समय यह बहुत जरूरी था और समय की मांग थी कि स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज के वातावरण को अच्छा करने के लिए और शिक्षा के स्तर को और बढ़िया बनाने के लिए इस बिल को लेकर हम लोग आये हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: स्पीकर सर, मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बिल में अपील का प्रोविजन जरूर होना चाहिए। सैक्शन 8 के अंदर आपने पनिशमैंट तो दे दी है आगे रिपोर्ट आ गई सब कुछ आ गया, हैडमास्टर ने उसको स्कूल से एक्सपैल भी कर दिया मगर उसके बाद भी उसमें एक अपील का प्रोविजन रखने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे के भविष्य तथा पेरैंट्स की हालत को देखते हुए अपील का प्रोविजन जरूर होना चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर फिर भी नहीं सुधरता तो बच्चे को निकालने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि सैक्शन 8 के बाद अपील का प्रोविजन जरूर रखा जाना चाहिए।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगी कि यह जो बिल लेकर आ रहे हैं। जो भी ऐजूकेशनल इंस्टीच्यूशंज हैं उनके जो हैड हैं उनकी भी इसमें रिसपौंसिबिलिटी फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे ? मेरा सुझाव है कि जब तक उनकी रिसपौंसिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक वे इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस बिल को लाने का हमारा मकसद ही यही है कि जो स्टूडैंट्स शरारत करते हैं उनके जो हैड ऑफ इंस्टीच्यूशंज हैं जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनकी हमने इसमें रिसपौंसिबिलिटी फिक्स की है। उनके खिलाफ भी कार्यवाही का हमने इस बिल में प्रावधान किया है। पैनल्टी और पनिशमैंट दोनों के प्रावधान हमने इसमें डाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल हम लेकर आए हैं इसमें हम छोटी-मोटी अमैंडमैंट्स लेकर आए हैं लेकिन बाद में माननीय सदस्य के इस सुझाव पर जरूर विचार करेंगे।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Prohibition of Ragging in Education Institutional Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 13

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, the House is adjourned till 10.00 A.M. Tomorrow, the 28th August, 2012.

*19.22 hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Tuesday, the 28th August, 2012)

50548—H.V.S., H.G.P., Chd.